



**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
राजस्व सेक्टर**

**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष**



**हरियाणा सरकार**

**वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 3**

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन**

**राजस्व सेक्टर**

**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष**

**हरियाणा सरकार**

**वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 3**

**विषय सूची**

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
ओवरव्यू		vii-xi
<b>अध्याय-1</b>		
<b>सामान्य</b>		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.2	4
कर-निर्धारणों में बकाया	1.3	5
विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन	1.4	6
रिफंड मामले	1.5	7
आंतरिक लेखापरीक्षा	1.6	7
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर	1.7	8
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.7.2	9
लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण	1.7.3	9
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति	1.7.4	10
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण	1.8	11
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.8.1	11
स्वीकृत मामलों में वसूली	1.8.2	12
विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई	1.9	13
लेखापरीक्षा आयोजना	1.10	13
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.11	14
इस प्रतिवेदन की कवरेज	1.12	14
<b>अध्याय-2</b>		
<b>बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट</b>		
कर प्रबंध	2.1	15
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	15

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
"घोषणा फार्म के विरुद्ध छूट एवं रियायतें" पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.3	16-36
बिक्रियों/क्रयों के छिपाव के कारण करों का अपवंचन	2.4	37-41
गलत वर्गीकरण के कारण कर का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण	2.5	42
बिक्री न किए गए माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ	2.6	44
केन्द्रीय बिक्री पर कर का अनुद्ग्रहण	2.7	45
ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण	2.8	46
कर योग्य टर्नओवर की गलत कटौती	2.9	47
परिगणना त्रुटि के कारण कर का अवनिर्धारण	2.10	48
आगे लाया गया अधिक टैक्स क्रेडिट	2.11	48
कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का अवमूल्यांकन	2.12	49
निर्माण ठेकेदारों पर कर का कम उद्ग्रहण	2.13	53
इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति	2.14	53
<b>अध्याय-3</b>		
<b>राज्य उत्पाद शुल्क</b>		
कर प्रबंध	3.1	55
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	55
लाईसेंस फीस और ब्याज की अवसूली/कम वसूली	3.3	56
पुनर्निलामी पर अंतरीय लाईसेंस फीस की अवसूली	3.4	57
<b>अध्याय-4</b>		
<b>स्टाम्प शुल्क</b>		
कर प्रबंध	4.1	59
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	59
आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण	4.3	60-66
संयुक्त करार के रूप में बिक्री विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.4	66
पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.5	67

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अचल संपत्ति के कम मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.6	67
स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	4.7	69
'बिक्री पर हस्तांतरण' का निर्मुक्त विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण	4.8	70
स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	4.9	70
प्राइम खसरा वाली भूमि पर नॉन प्राइम दरों के लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.10	71
<b>अध्याय-5</b>		
<b>वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर</b>		
कर प्रबंध	5.1	73
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.2	73
<b>परिवहन विभाग</b>		
माल कर की अवसूली/कम वसूली	5.3	74
टोकन टैक्स की अवसूली/कम वसूली	5.4	75
<b>अध्याय-6</b>		
<b>अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां</b>		
कर प्रबंध	6.1	77
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.2	77
<b>खदान एवं भू-विज्ञान विभाग</b>		
संविदा धन तथा ब्याज की अवसूली	6.3	78
रायल्टी तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली	6.4	79

परिशिष्ट

अनुलग्नक	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
I	अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट हुए तथा जिन पर चर्चा लम्बित रही/30 सितंबर 2017 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए	1.7.4	81
II	30 सितंबर 2017 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/सेक्टर) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण	1.7.4	82
III	30 सितंबर 2017 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/ सेक्टर) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण	1.7.4	83
<b>शब्दावली</b>		85-86	

## प्राक्कथन

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व सेक्टर के अधीन प्रमुख राजस्व अर्जन करने वाले विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत संचालित की गई लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण उपलब्धियां शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो वर्ष 2016-17 के दौरान की गई नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे; 2016-17 से अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक हैं, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

**अध्याय-1**

**सामान्य**



**अध्याय-2**  
**बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट**

**अध्याय-3**  
**राज्य उत्पाद शुल्क**

**अध्याय-4**  
**स्टाम्प शुल्क**

## **अध्याय-5**

**वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर**

## **अध्याय-6**

**अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां**

**परिशिष्ट**

# **शब्दावली**

**ओवरव्यू**





## ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में ₹ 750.20 करोड़ के राजस्व अर्थापत्ति सहित 'घोषणा फार्मों के विरुद्ध छूट एवं रियायतें' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा करों, ब्याज, पेनल्टी के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण, उत्पाद शुल्क, स्टॉम्प शुल्क, यात्री एवं माल कर, रायल्टी इत्यादि के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण से संबंधित 25 उदाहरणदर्शक अनुच्छेद शामिल हैं।

### 1. अध्याय-1

#### सामान्य

वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 47,556.55 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016-17 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 52,496.82 करोड़ थीं। इसमें से, 77 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 34,025.69 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 6,196.09 करोड़) से एकत्रित किए गए थे। शेष 23 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से (₹ 6,597.47 करोड़) तथा सहायता अनुदान (₹ 5,677.57 करोड़) के रूप में प्राप्त किया गया था। पिछले वर्ष से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 4,940.27 करोड़ की वृद्धि थी।

(अनुच्छेद 1.1.1)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, माल एवं यात्रियों पर कर, वाहनों पर कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों की 318 इकाइयों के अभिलेखों की वर्ष 2016-17 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 37,331 मामलों में कुल ₹ 1,701.08 करोड़ के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण/राजस्व की हानि दर्शाई। वर्ष 2016-17 के दौरान, विभाग ने 2,721 मामलों में ₹ 666.76 करोड़ के अवनिर्धारण स्वीकार किए। इनमें से, विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों के 185 मामलों में ₹ 1.49 करोड़ वसूल कर लिए थे।

(अनुच्छेद 1.11)

### 2. अध्याय-2

#### बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

'घोषणा फार्मों के विरुद्ध छूट एवं रियायतें' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा से घोषणा फार्मों के दुरुपयोग के लिए अतिरिक्त कर का अनुद्ग्रहण तथा पेनल्टी, बिक्री का गलत श्रेणीकरण, अवैध दस्तावेजों के विरुद्ध अनुमत कटौतियां और घोषणा फार्मों के बिना बिक्री पर कर का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण के मामले सामने आए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 518.66 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

- कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने अवैध सी, ई-1, एफ. और एच. घोषणा फार्मों के विरुद्ध बिक्री पर शून्य/रियायती दर पर कर तथा गलत छूट की अनुमति दी और अविद्यमान डीलरों को रियायती बिक्री की अनुमति दी परिणामतः ₹ 17.37 करोड़ के कर का अनुद्ग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 103.27 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रहणीय थी।

(अनुच्छेद 2.3.7)

- कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने वैट डी-1 और डी-2 फार्मों के दुरुपयोग के लिए ₹ 262.24 करोड़ के अतिरिक्त कर और पेनल्टी उद्ग्रहण नहीं की।

(अनुच्छेद 2.3.8.1 और 2.3.8.3)

- कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने 'सी' फार्मों के दुरुपयोग के लिए ₹ 79.35 करोड़ की पेनल्टी उद्ग्रहण नहीं की।

(अनुच्छेद 2.3.8.4)

- कर-निर्धारण प्राधिकारी 'सी' फार्मों के बिना अंतर्राज्यीय बिक्री पर ₹ 25.77 करोड़ के कर का निर्धारण करने एवं उद्ग्रहण करने में विफल रहे।

(अनुच्छेद 2.3.8.5)

- कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा 'सी' फार्मों के बिना अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 8.07 करोड़ के सी.एस.टी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.3.8.6)

- मई 2013 के विभागीय अनुदेशों के बाद भी विभाग द्वारा घोषणा फार्म लोगो और जलचिह्न जैसे सुरक्षा विशेषता के बिना मुद्रित किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.3.15.1)

- कर-निर्धारण प्राधिकारी ने अवैध वैट सी-4 फार्म के विरुद्ध गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमत किया, परिणामतः ₹ 2.13 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ तथा ₹ 6.38 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रहण नहीं की।

{अनुच्छेद 2.3.16 (बी) (i)}

108 अपंजीकृत निर्माण-कार्य ठेकेदारों तथा 28 डीलरों ने ₹ 247.25 करोड़ के विक्रय छिपाए, परिणामस्वरूप ₹ 49.78 करोड़ के कर एवं पेनल्टी का अपवंचन हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.2, 2.4.3.1 तथा 2.4.3.2)

विभाग द्वारा पांच मामलों में 14 से 19 माह की समाप्ति के बाद भी ₹ 11.43 करोड़ की पेनल्टी के उद्ग्रहण के लिए कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.4.4)

19 मामलों में ₹ 83.72 करोड़ का स्टॉक छिपाया गया था परिणामस्वरूप ₹ 24.28 करोड़ के कर एवं पेनल्टी का अपवंचन हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.5)

तीन डीलरों ने ₹ 5.08 करोड़ का क्रय छिपाया था परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ के कर एवं पेनल्टी का अपवंचन हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.6)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा एम्ब्रोडयर्ड फैब्रिक्स को फैब्रिक्स की बिक्री मानते हुए छूट अनुमत की गई परिणामतः ₹ 5.82 करोड़ के वैट का अनुद्ग्रहण हुआ। इसके साथ ₹ 2.79 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 2.5.1)

इयूटी एवं एनटाइटलमेंट पासबुक हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत ढंग से अनुमत किया गया था क्योंकि वह पुनः बिक्री हेतु उपयोग नहीं किया गया था तथा देय सीमा शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया गया था परिणामस्वरूप एक डीलर को ₹ 2.68 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति हुई। आगे, ₹ 1.28 करोड़ की आई.टी.सी. गलत ढंग से अनुमत की गई थी क्योंकि विक्रेता डीलर ने वर्ष के दौरान कोई बिक्री नहीं दर्शाई थी।

(अनुच्छेद 2.6)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 30 करोड़ की अंतर्राज्य बिक्रियों पर केन्द्रीय बिक्री कर का उद्ग्रहण छोड़ दिया परिणामस्वरूप ₹ 3.77 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.7)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने पांच मामलों में ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया तथा दो मामलों में ब्याज, कर के विलंबित भुगतान पर कम उद्ग्रहीत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.51 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.8)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने गलत ढंग से कर योग्य टर्नओवर की उच्चतर कटौती अनुमत की परिणामस्वरूप, ₹ 0.76 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 61.96 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

(अनुच्छेद 2.9)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारण अंतिम करते समय परिगणना त्रुटि के कारण ₹ 1.17 करोड़ के कर का अवनिर्धारण किया।

(अनुच्छेद 2.10)

### 3. अध्याय-3

#### राज्य उत्पाद शुल्क

उत्पाद शुल्क राजस्व मुख्यतः विभिन्न बिक्रियों के लाईसेंस की प्रदानगी हेतु लाईसेंस फीस, डिस्टलरियों/ब्रेवरिज में उत्पादित और एक राज्य से दूसरे राज्य को आयातित/निर्यातित स्पिरिट/बीयर पर उद्ग्रहीत उत्पाद शुल्कों से प्राप्त किया जाता है।

90 ठेके वर्ष 2015-16 के लिए देय लाईसेंस फीस की मासिक किस्तों का निर्धारित तिथियों तक भुगतान करने में विफल रहे तथा डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने ठेकों को बंद करने के लिए कार्रवाई आरंभ नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.43 करोड़ की लाईसेंस फीस की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.57 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

(अनुच्छेद 3.3)

विभाग मूल आबंटियों से लाइसेंस फीस की अंतरीय राशि वसूल करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.08 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 3.4)

#### 4. अध्याय-4

##### स्टाम्प शुल्क

आवासीय/वाणिज्यिक अचल संपत्ति तथा बिक्री/विनिमय/उपहार विलेखों और प्राप्त किए गए मुआवजे की राशि से खरीदी गई भूमि, नगरपालिका सीमाओं के भीतर/बाहर 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाली अथवा उस मामले में जहां क्रेता एक से अधिक हैं तथा प्रत्येक क्रेता का हिस्सा 1,000 वर्ग गज से कम है, बेची गई कृषीय भूमि के मूल्यांकन के संबंध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के गैर-अनुपालन के मामले जांच में आए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 45.44 करोड़ (एस.डी. ₹ 44.67 करोड़ तथा आर.एफ. ₹ 0.77 करोड़) के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.3)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने छः करारों में बिक्री के करार की बजाए संयुक्त करार के रूप में बिक्री विलेखों का गलत वर्गीकरण किया परिणामस्वरूप ₹ 7.35 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.4)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने ₹ 229.52 करोड़ के वार्षिक औसत किराए के संबंध में ₹ 6.96 करोड़ की बजाय ₹ 3.52 लाख के स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण किया परिणामतः ₹ 6.92 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.5)

उन खसरा दरों, जिन पर आवासीय कालोनियों को विकसित करने के लिए ₹ 62.04 करोड़, जिस पर ₹ 3.82 करोड़ का स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहण था, के भूमि प्रयोग परिवर्तन लाइसेंस जारी किए गए थे, की बजाय कृषीय भूमि के लिए सामान्य खसरा दरों पर बिक्री के लिए ₹ 18.76 करोड़ जिस पर ₹ 1.05 करोड़ का स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहण किया गया, छः विलेख पंजीकरण किए गए फलस्वरूप ₹ 2.77 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। आगे, 47 बिक्री विलेख पार्टियों के मध्य अनुबंध से कम प्रतिफल पर निष्पादित एवं पंजीकृत किए गए थे परिणामस्वरूप ₹ 42.07 लाख के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.6)

38 मामलों में किसानों, जिन्होंने आवासीय/वाणिज्यिक भूमि खरीदी, मुआवजे से अधिक राशि की कृषीय भूमि खरीदी तथा दो वर्षों की अनुमत्य अवधि के बाद कृषीय भूमि खरीदी, को स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप ₹ 1.85 करोड़ के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.7)

## 5. अध्याय-5

### वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

#### परिवहन विभाग

माल ढोने के लिए प्रयुक्त 619 सार्वजनिक अथवा निजी वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान माल कर जमा नहीं करवाया/कम जमा करवाया, परिणामस्वरूप ₹ 47.25 लाख के माल कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 27.88 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 5.3)

742 माल ढोने वाले वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2015-16 के दौरान टोकन टैक्स या तो जमा नहीं करवाया या कम जमा करवाया, परिणामस्वरूप ₹ 17.16 लाख के टोकन टैक्स की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 34.32 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

(अनुच्छेद 5.4)

## 6. अध्याय-6

### अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

#### खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

समय पर कार्रवाई करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 10.37 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 35.90 करोड़ के संविदा धन की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 6.3)

चार जिलों के संबंध में 67 ईट भट्ठा मालिकों से ₹ 37.22 लाख की रायल्टी तथा ब्याज की राशि की वसूली नहीं की गई थी जिन्हें अप्रैल 2014 तथा मार्च 2017 के मध्य परमिट जारी किए गए थे।

(अनुच्छेद 6.4)

## अध्याय-1: सामान्य

## 1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2016-17 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुसूची आंकड़े तालिका 1.1.1 में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व					
	• कर राजस्व	23,559.00	25,566.60	27,634.57	30,929.09	34,025.69
	• कर-भिन्न राजस्व	4,673.15	4,975.06	4,613.12	4,752.48	6,196.09
	<b>योग</b>	<b>28,232.15</b>	<b>30,541.66</b>	<b>32,247.69</b>	<b>35,681.57</b>	<b>40,221.78</b>
2	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का हिस्सा <sup>1</sup>	3,062.13	3,343.24	3,548.09	5,496.22	6,597.47
	• सहायता अनुदान	2,339.25	4,127.18	5,002.88	6,378.76	5,677.57
	<b>योग</b>	<b>5,401.38</b>	<b>7,470.42</b>	<b>8,550.97</b>	<b>11,874.98</b>	<b>12,275.04</b>
3	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)	33,633.53	38,012.08	40,798.66	47,556.55	52,496.82
4	1 की 3 से प्रतिशतता	84	80	79	75	77

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 40,221.78 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 77 प्रतिशत था। वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्तियों का शेष 23 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों एवं सहायता अनुदानों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा भारत सरकार से था।

कुल राजस्व प्राप्तियों से राज्य सरकार की इसके अपने स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 2012-13 (84 प्रतिशत) से 2015-16 (75 प्रतिशत) तक घटती प्रवृत्ति दर्शाती है। तत्पश्चात वर्ष 2016-17 हेतु यह 77 प्रतिशत तक बढ़ गया।

<sup>1</sup> विवरण हेतु कृपया विवरणी संख्या 14 देखें-वर्ष 2016-17 के लिए हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं में लघु शीर्षा द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे। शीर्षा 0021 के अन्तर्गत आंकड़े-निगम कर से अन्य आय पर कर-भाग 'क' के अंतर्गत वित्त लेखाओं में बुक किए गए राज्य को दिए गए निवल अर्थागमों के हिस्से-कर राजस्व राज्य द्वारा एकत्रित राजस्व से निकाल दिए गए हैं तथा इस विवरणी में विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से में सम्मिलित किए गए हैं।

1.1.2 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण तालिका 1.1.2 में दिए गए हैं।

तालिका 1.1.2: एकत्रित किए गए कर राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2015-16 के वास्तविकों पर 2016-17 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		बजट अनुमान (ब.अ.)	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	
1.	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट)	16,450.00	15,376.58	19,288.61	16,774.33	19,930.00	18,993.25	22,821.40	21,060.23	28,750.00	23,488.41	11.53
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	3,000.00	3,236.48	4,000.00	3,697.35	4,350.00	3,470.45	4,567.50	4,371.08	5,251.58	4,613.13	5.54
3.	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	3,000.00	3,326.25	3,850.00	3,202.48	3,950.00	3,108.70	3,600.00	3,191.21	3,700.00	3,282.64	2.87
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	450.00	470.76	520.00	497.45	650.00	527.07	600.00	554.25	660.00	594.59	7.28
5.	वाहनों पर कर	750.00	887.29	850.00	1,094.86	1,175.00	1,191.50	1,316.00	1,400.38	1,447.60	1,583.06	13.05
6.	बिजली पर कर एवं शुल्क	160.00	191.96	201.40	219.20	232.25	239.74	240.00	256.66	269.88	275.69	7.41
7.	भू-राजस्व	15.28	12.98	19.33	12.42	13.50	15.28	16.50	14.97	18.15	16.08	7.41
8.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	48.00	56.70	55.00	68.51	74.00	88.58	88.00	80.31	102.30	172.09	114.28
	<b>योग</b>	<b>23,873.28</b>	<b>23,559.00</b>	<b>28,784.34</b>	<b>25,566.60</b>	<b>30,374.75</b>	<b>27,634.57</b>	<b>33,249.40</b>	<b>30,929.09</b>	<b>40,199.51</b>	<b>34,025.69</b>	<b>10.01</b>

यह बताया जाता है कि राजस्व कर 2012-13 में ₹ 23,559 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 34,025.69 करोड़ हो गया। वर्षों पर कर राजस्व की वृद्धि लगभग आठ से 10 प्रतिशत की दीर्घकालिक प्रवृत्ति दर्शाती है।

संबंधित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:

- **बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर:** गत पांच वर्षों के दौरान वैट 2012-13 में ₹ 15,376.58 करोड़ के विरुद्ध 2016-17 में ₹ 23,488.41 करोड़ तक बढ़ (52.75 प्रतिशत) गया है तथा वैट/सी.एस.टी. की उच्चतर प्राप्तियों के कारण था।



- **राज्य उत्पाद शुल्क:** गत पांच वर्षों के दौरान 2012-13 में ₹ 3,236.48 करोड़ के विरुद्ध 2016-17 में ₹ 4,613.13 करोड़ तक राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि देशी सिप्रिट तथा अन्य प्राप्तियों की अधिक प्राप्तियों के कारण थी।
- **वाहनों पर कर:** गत पांच वर्षों के दौरान 2012-13 में ₹ 887.29 करोड़ के विरुद्ध 2016-17 में ₹ 1,583.06 करोड़ तक वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

1.1.3 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण तालिका 1.1.3 में इंगित किए गए हैं।

तालिका 1.1.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2015-16 के वास्तविकों पर 2016-17 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	
1.	ब्याज प्राप्तियां	1,080.04	1,058.21 <sup>2</sup>	1,090.12	1,090.71	1,142.51	933.59	1,281.41	1,087.49	2,375.50	2,309.79	112.40
2.	सड़क परिवहन	1,150.00	999.87	1,315.00	1,097.54	1,310.00	1,235.31	1,450.00	1,254.55	1,865.00	1,265.13	0.84
3.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	386.41	385.43	438.14	318.94	527.83	564.48	596.77	637.41	1,109.73	640.48	0.48
4.	शहरी विकास	1,150.00	990.70	1,200.00	1,104.54	1,220.00	861.11	1,300.00	421.95	750.00	599.00	41.96
5.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	225.00	75.49	150.00	79.10	500.00	43.46	1,000.00	271.61	1,040.00	496.95	82.96
6.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	223.39	403.07	246.17	510.65	432.70	472.18	461.25	466.30	464.83	438.45	(-) 5.97
7.	बृहद् एवं मध्यम सिंचाई	194.56	139.12	213.68	95.04	156.50	129.27	156.75	110.48	164.12	113.43	2.67
8.	पुलिस	83.22	63.73	158.20	80.38	160.02	67.82	160.00	151.70	154.23	109.11	(-) 28.07
9.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	156.00	125.86	136.80	144.35	167.39	95.73	194.55	115.64	116.51	105.66	(-) 8.64
10.	वानिकी एवं वन्य जीवन	45.00	41.36	45.00	37.37	40.00	44.29	40.00	51.90	41.00	55.38	6.70
11.	विविध सामान्य सेवाएं <sup>3</sup>	1.30	312.30	5.89	268.37	30.00	20.38	21.23	41.39	31.71	31.54	(-) 23.80
12.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	109.63	78.01	163.48	148.07	179.61	145.50	223.43	142.06	195.81	31.17	(-) 78.06
<b>योग</b>		<b>4,804.55</b>	<b>4,673.15</b>	<b>5,162.48</b>	<b>4,975.06</b>	<b>5,866.56</b>	<b>4,613.12</b>	<b>6,885.39</b>	<b>4,752.48</b>	<b>8,308.44</b>	<b>6,196.09</b>	<b>30.38</b>

<sup>2</sup> सिंचाई परियोजना पूंजीगत ब्याज पर ब्याज के बुक समायोजन में ₹ 454.33 करोड़ सम्मिलित हैं।

<sup>3</sup> अस्वामिक जमा, राज्य लाटरी, भूमि/संपत्ति की बिक्री, गारंटी फीस तथा अन्य प्राप्तियां।

वर्ष 2015-16 की वास्तविक प्राप्तियों पर 2016-17 में वास्तविक प्राप्तियों में 30.38 प्रतिशत की वृद्धि है। शहरी विकास, सड़क परिवहन तथा खनन क्षेत्र कर-भिन्न राजस्व के मुख्य अंशदाता हैं और समग्र रूप से कुल कर-भिन्न राजस्व का 38 प्रतिशत अंशदान करते हैं।

- **शहरी विकास:** गत पांच वर्षों में शहरी विकास के राजस्व में ₹ 990.70 करोड़ से ₹ 599.00 करोड़ तक भारी गिरावट हुई है।
- **ब्याज प्राप्तियां:** 2016-17 की वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (112.40 प्रतिशत) विद्युत वितरण कंपनियों को ऋणों पर ब्याज की अधिक प्राप्तियों के कारण थी।
- **चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य:** 2016-17 की वास्तविक प्राप्तियों में कमी (78.06 प्रतिशत) कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अंतर्गत कम प्राप्तियों के कारण थी।
- **अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग:** 2016-17 की वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (82.96 प्रतिशत) अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग के अंतर्गत खनिज रियायत फीस, किरायों, अधिकार शुल्कों तथा अन्य प्रभारों की अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किए जाने के बावजूद प्राप्तियों में भिन्नताओं के कारण सूचित नहीं किए (अक्टूबर 2017)।

## 1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2017 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के संबंध में राजस्व के बकाया ₹ 12,189.17 करोड़ राशि के थे जिनमें से ₹ 3,071.25 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जो कि नीचे वर्णित है।

तालिका 1.2: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2017 को बकाया राशि	31 मार्च 2017 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्रियां, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	9,501.18	2,553.67	उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 1,045.35 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी, तथा ₹ 23.17 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण रोके गए थे। ₹ 2.24 करोड़ व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोके गए थे, ₹ 106.31 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु प्रस्तावित थे, ₹ 628.60 करोड़ परिशोधन, समीक्षा तथा अपील के कारण रोके गए थे। ₹ 417.58 करोड़ के बकायों की वसूली न्यायालय में लंबित मामलों के कारण लंबित थी तथा ₹ 752.10 करोड़ अन्य कारणों से विभाग द्वारा वसूली न करने के कारण लंबित थे। सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास लंबित मामलों के कारण ₹ 321.82 करोड़ की वसूली बकाया थी। अन्तर्राज्य बकाया ₹ 115.66 करोड़ था तथा अन्तर्जिले बकाया ₹ 75.53 करोड़ था। ₹ 2.20 करोड़ की वसूली किश्तों में की जा रही थी। ₹ 6,010.62 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर थी।

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2017 को बकाया राशि	31 मार्च 2017 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	204.47	94.81	₹ 18.20 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी तथा ₹ 0.49 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु संभावित थे। ₹ 51.24 करोड़ की वसूली क्रमशः अन्तर्राज्य तथा अन्तर्जिले बकायों के कारण थी। ₹ 0.05 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। शेष ₹ 134.49 करोड़ कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थे।
3.	बिजली पर कर एवं शुल्क	212.69	84.14	₹ 211.69 करोड़ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.) तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) के उपभोक्ताओं की ओर लम्बित थे तथा ₹ एक करोड़ सरकारी परिसमापक/ बी.आई.एफ.आर. के पास लम्बित थे।
4.	यात्री एवं माल पर कर	163.56	64.68	₹ 50.36 करोड़ के बकाया विभाग द्वारा वसूली न करने के कारण लंबित थे तथा अन्तर्राज्य बकाया ₹ 5.17 करोड़ था। ₹ 108.03 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थी।
5.	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	1,863.96	195.43	₹ 1,801.71 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी तथा ₹ 62.25 करोड़ की राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थी।
6.	पुलिस	108.43	8.19	31 मार्च 2007 तक ₹ 7.38 करोड़ भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) से देय थे। हरियाणा राज्य में आई.ओ.सी.एल. से वसूली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। ₹ 29 लाख भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.), फरीदाबाद से वसूलनीय थे तथा ₹ 100.76 करोड़ चुनाव ड्यूटी हेतु अन्य राज्यों से वसूलनीय थे।
7.	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां	11.00	8.17	₹ 2.76 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, ₹ 0.02 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे तथा ₹ 8.22 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
8.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	123.88	62.16	₹ 63.65 करोड़ वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत्त मांग के कारण बकाया थे। ₹ 0.54 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 0.02 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे। ₹ 59.67 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
	<b>योग</b>	<b>12,189.17</b>	<b>3,071.25</b>	

### 1.3 कर-निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, कर-निर्धारण हेतु देय बने मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष की समाप्ति पर अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या के विवरण जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर तथा यात्री एवं माल कर (पी.जी.टी.) के संबंध में प्रस्तुत किए गए, नीचे वर्णित है।

तालिका 1.3: कर-निर्धारणों में बकाया

राजस्व का शीर्ष	आरंभिक शेष	2016-17 के दौरान कर-निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय कर-निर्धारण	2016-17 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 4 से 5)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2,29,719	2,28,741	4,58,460	2,03,533	2,54,927	44
माल एवं यात्रियों पर कर	2,319	612	2,931	2,048	883	70

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या की तुलना में वर्ष की समाप्ति पर बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट के मामले में वृद्धि हुई है तथा माल एवं यात्रियों पर कर के मामले में कमी हुई है। यह आगे अवलोकित किया गया है कि बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट तथा माल एवं यात्रियों पर कर के संबंध में निपटान की प्रतिशतता क्रमशः 44 तथा 70 थी।

#### 1.4 विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के प्रकरणों, अन्तिमकृत मामलों तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, तालिका 1.4 में दिए गए हैं।

तालिका 1.4: कर का अपवंचन

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2016 को लंबित मामले	2016-17 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें कर-निर्धारण/ जांच पड़ताल पूर्ण हुई तथा पेनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2017 को अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	100	3,833	3,933	3,799	69.73	134
2	राज्य उत्पाद शुल्क	887	8,623	9,510	8,921	6.72	589
3	माल एवं यात्रियों पर कर	1,453	9,640	11,093	8,291	12.55	2,802
योग		2,440	22,096	24,536	21,011	89.00	3,525

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या की तुलना में वर्ष की समाप्ति पर माल एवं यात्रियों पर कर तथा बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट के मामले में वृद्धि हुई है तथा राज्य उत्पाद शुल्क के मामले में कमी हुई है।

### 1.5 रिफंड मामले

वर्ष 2016-17 के आरम्भ में लम्बित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष 2016-17 के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, तालिका 1.5 में दी गई है।

तालिका 1.5: रिफंड मामलों के विवरण

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	709	250.55	69	7.99
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1,841	516.27	622	41.89
3.	वर्ष के दौरान किए गए/समायोजित/अस्वीकृत रिफंड	1,971	651.52	650	42.72
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	579	115.30	41	7.16

वर्ष के आरंभ में बकाया मामलों की तुलना में वर्ष की समाप्ति पर बकाया मामलों की संख्या बिक्री कर/वैट तथा राज्य उत्पाद शुल्क दोनों में कम हुई है।

### 1.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

वर्ष 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्लान किए गए 268 यूनिटों में से आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने 244 यूनिटों (91 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की जैसाकि तालिका 1.6 में विवरण दिया गया है।

तालिका 1.6: आंतरिक लेखापरीक्षा

प्राप्तियां	प्लान की गई इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या
स्टॉम्प शुल्क	142	142
राज्य उत्पाद शुल्क	22	21
वैट/बिक्री कर	शून्य	शून्य
मोटर वाहन कर	82	70
यात्री एवं माल कर	22	11
<b>योग</b>	<b>268</b>	<b>244</b>

अध्याय 2 से 6 के अनुच्छेदों में चर्चा की गई अनियमितताएं अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की सूचक हैं क्योंकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित की गई अनियमितताएं आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा पता नहीं लगाई गई थी। यह अवलोकित किया गया है कि वर्ष के दौरान वैट/बिक्री कर की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा न कराए जाने के कारण प्रदान नहीं किए गए थे।

### 1.7 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच एवं महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान पता लगाई गई तथा स्थल पर समायोजित न की गई अनियमितताओं को सम्मिलित कर निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) से अनुवर्तित किए जाते हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को, अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों सहित, शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों की अनुपालना की जानी अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को सूचित की जाती हैं।

दिसम्बर 2016 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों ने प्रकट किया कि जून 2017 के अन्त में 2,302 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 5,869.33 करोड़ से आवेष्टित 6,430 अनुच्छेद बकाया रहे। जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुसूची आंकड़ों के साथ नीचे तालिका 1.7 में उल्लिखित है।

तालिका 1.7: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण

	जून 2015	जून 2016	जून 2017
निपटान हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1,966	2,143	2,302
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	4,911	5,389	6,430
आवेष्टित राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)	3,489.99	5,802.87	5,869.33

1.7.1 30 जून 2017 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और आवेष्टित राशि के विभाग-वार विवरण तालिका 1.7.1 में दिए गए हैं।

तालिका 1.7.1: निरीक्षण प्रतिवेदनों के विभाग-वार विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	आवेष्टित धन मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	आबकारी एवं कराधान	बिक्री कर/वैट	327	2,680	5,208.90
		राज्य उत्पाद शुल्क	141	242	144.91
		माल एवं यात्रियों पर कर	225	400	35.88
		मनोरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर	21	23	11.62
2.	राजस्व	स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस	995	2302	360.77
		भू-राजस्व	128	164	0.60
3.	परिवहन	वाहनों पर कर	364	490	25.29
4.	विद्युत	बिजली पर कर एवं शुल्क	4	5	5.84
5.	खदान एवं भू-विज्ञान	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	97	124	75.52
योग			2,302	6,430	5,869.33

निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बनता में वृद्धि इस तथ्य का सूचक थी कि कार्यालयों तथा विभागों के अध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई प्रारंभ नहीं की।

सरकार, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र उत्तर सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए विभागों के उत्तरों की प्रभावी मॉनीटरिंग की प्रणाली स्थापित कर सकती है।

### 1.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुच्छेदों के समायोजन की प्रगति को मॉनीटर एवं तीव्र करने के लिए लेखापरीक्षा समितियां गठित की। वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा समायोजित किए गए अनुच्छेदों के विवरण नीचे तालिका 1.7.2 में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.7.2: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

क्र.सं.	राजस्व का शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निपटाए गए अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर)	6	168	568.76
2	आबकारी एवं कराधान विभाग (माल एवं यात्रियों पर कर)	2	3	0.03
3	राजस्व विभाग	3	58	1.27
4	खदान एवं भू-विज्ञान विभाग	1	11	0.39
	योग	12	240	570.45

वर्ष 2016-17 के दौरान 1,295 अनुच्छेदों पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में चर्चा की गई थी तथा जिनमें से ₹ 570.45 करोड़ के धन मूल्य वाले 240 अनुच्छेदों का निपटान किया गया था जबकि वर्ष 2015-16 के दौरान 2,203 अनुच्छेदों पर चर्चा की गई थी तथा जिनमें से ₹ 166.93 करोड़ के धन मूल्य वाले 674 अनुच्छेदों का निपटान किया गया था। इसने 2015-16 में निपटान किए गए अनुच्छेदों (31 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान निपटान किए गए अनुच्छेदों की प्रतिशतता में कमी (19 प्रतिशत) दर्शाई।

### 1.7.3 लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹ 1,317.78 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित 8,178 कर-निर्धारण फाईलों में से 455 फाईलें तथा अन्य संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। मामलों का जिला-वार विवरण नीचे तालिका 1.7.3 में दिया गया है।

तालिका 1.7.3: अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के विवरण

कार्यालय/विभाग का नाम	वर्ष, जिसमें इसकी लेखापरीक्षा की जानी थी	प्रस्तुत न किए गए मामलों की संख्या	कर की राशि/रिफंड (₹ करोड़ में)
<b>कर-निर्धारण मामले</b>			
आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) (डी.ई.टी.सी.) (एस.टी.) गुरुग्राम (पूर्व)	2016-17	78	335.32
डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुरुग्राम (पश्चिम)	2016-17	315	881.97
डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सिरसा	2016-17	62	100.49
	<b>योग</b>	<b>455</b>	<b>1,317.78</b>

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), गुरुग्राम (पूर्व एवं पश्चिम) तथा सिरसा से संबंधित ₹ 1,317.78 करोड़ की राशि के 455 मामलों की अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के कारण जांच नहीं की जा सकी।

#### 1.7.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्टूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में दोहराए गए निर्देशों के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि विधानसभा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्रवाई आरंभ करेंगे तथा लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) के विचार हेतु प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के भीतर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई टिप्पणियां (कृ.का.टि.) प्रस्तुत करनी चाहिए। तथापि, कृ.का.टि. विलंबित की जा रही थी। 31 मार्च 2013, 2015 तथा 2016 को समाप्त वर्ष हेतु हरियाणा सरकार के राजस्व सेक्टर पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल किए गए 67 अनुच्छेद<sup>4</sup> (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) मार्च 2014 तथा फरवरी 2017 के मध्य राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। 31 मार्च 2013, 2015 तथा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए चार विभागों (आबकारी एवं कराधान, परिवहन, राजस्व तथा खदान एवं भू-विज्ञान) से 51 अनुच्छेदों के संबंध में कृ.का.टि., जैसा **अनुलग्नक-1** में उल्लिखित है, अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी (अक्टूबर 2017)।

<sup>4</sup> लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2012-13: 18 अनुच्छेद; ले.प्र. 2014-15: 24 अनुच्छेद तथा ले.प्र. 2015-16: 25 अनुच्छेद।



लोक लेखा समिति ने वर्ष 2011-12 तथा 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 44 चयनित अनुच्छेदों<sup>5</sup> पर चर्चा की तथा 44 अनुच्छेदों पर इसकी सिफारिशें वर्ष 2015-16 की उनकी 73वीं तथा 74वीं रिपोर्ट में शामिल की गई थी। वर्ष 2012-13 की रिपोर्ट पर अभी लोक लेखा समिति में चर्चा की जानी है। लोक लेखा समिति की 22वीं से 74वीं रिपोर्ट में शामिल 1979-80 से 2011-12 तथा वर्ष 2013-14 की अवधि से संबंधित कुल 963 सिफारिशें, जैसा कि **अनुलग्नक-II** एवं **अनुलग्नक-III** में उल्लिखित है, संबंधित विभागों द्वारा अंतिम सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने के अभाव में अभी तक लंबित थी। तथापि, लोक लेखा समिति ने सिफारिश की कि विभाग, वसूली कक्ष का सृजन करके समयबद्ध ढंग से राजस्व के बकाये वसूल करने के लिए प्रभावी यंत्रावली का सूत्रपात करे।

### 1.8 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का जवाब देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए एक विभाग के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेदों 1.8.1 से 1.8.2 में राजस्व शीर्ष-0039 के अंतर्गत राज्य उत्पाद शुल्क पर करों से संबंधित आबकारी एवं कराधान विभाग के निष्पादन तथा वर्ष 2007-08 से 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित गत 10 वर्षों के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पता लगाए गए मामलों पर चर्चा करते हैं।

#### 1.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

गत 10 वर्षों के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क) को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा 31 मार्च 2017 को उनकी स्थिति नीचे तालिका 1.8.1 में उल्लिखित हैं।

<sup>5</sup> ले.प्र. 2011-12: 20 अनुच्छेद तथा ले.प्र. 2013-14: 24 अनुच्छेद।

तालिका 1.8.1: आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क)  
में निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष	आरम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य (₹ करोड़ में)
2007-08	106	177	128.06	21	39	15.33	16	28	18.23	111	188	125.16
2008-09	111	188	125.16	34	65	20.92	25	45	74.50	120	208	71.58
2009-10	120	208	71.58	36	55	11.04	40	92	23.70	116	171	58.92
2010-11	116	171	58.92	19	60	29.07	30	53	17.48	105	178	70.51
2011-12	105	178	70.51	14	33	4.89	13	33	20.30	106	178	55.10
2012-13	106	178	55.10	27	80	20.87	34	87	13.28	99	171	62.69
2013-14	99	171	62.69	22	46	10.64	5	16	0.86	116	201	72.47
2014-15	116	201	72.47	35	93	84.78	24	49	22.58	127	245	134.67
2015-16	127	245	134.67	25	57	22.10	6	21	2.75	146	281	154.02
2016-17	146	281	154.02	22	50	39.06	23	79	31.43	145	252	161.65

31 मार्च 2017 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 2007-08 में 106 से 2016-17 में 145 तक बढ़ गई तथा अनुच्छेदों की संख्या 2007-08 में 177 से 2016-17 में 252 तक बढ़ गई। सरकार को पुराने लंबित अनुच्छेदों के समायोजन के लिए लेखापरीक्षा समिति की अधिक बैठकें आयोजित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

### 1.8.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये तथा वसूली गई राशि की स्थिति तालिका 1.8.2 में दी गई है:

तालिका 1.8.2 स्वीकृत मामलों की वसूली

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेद का धन मूल्य (₹ करोड़ में)	स्वीकृत अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकृत अनुच्छेदों का धन मूल्य (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि (₹ करोड़ में)	स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति (₹ करोड़ में)
2006-07	02	0.48	02	0.48	0.01	0.16
2007-08	02	1.23	02	1.23	0.03	0.19
2008-09	04	2.35	04	2.35	0.09	0.18
2009-10	02	5.65	02	5.65	0.10	1.93
2010-11	01 (नि.ले.प.)	21.60	01 (नि.ले.प.)	21.60	2.64	2.83
2011-12	03	4.75	03	4.75	0.05	0.19
2012-13	03	12.15	03	12.15	0.44	1.10
2013-14	02	24.87	02	24.87	0.37	0.37
2014-15	02	20.44	02	20.44	5.07	5.07
2015-16	01 (नि.ले.प.)	60.56	01 (नि.ले.प.)	60.56	11.58	11.58
<b>योग</b>	<b>20</b>	<b>71.92</b>	<b>20</b>	<b>71.92</b>	<b>6.16</b>	<b>9.19</b>
	<b>02 (नि.ले.प.)</b>	<b>82.16</b>	<b>02 (नि.ले.प.)</b>	<b>82.16</b>	<b>14.22</b>	<b>14.41</b>
<b>कुल योग</b>	<b>22</b>	<b>154.08</b>	<b>22</b>	<b>154.08</b>	<b>20.38</b>	<b>23.60</b>

गत दस वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों में भी वसूली की प्रगति बहुत कम (15.32 प्रतिशत) थी। विभाग स्वीकृत मामलों में आवेष्टित देयों की शीघ्र वसूली का अनुसरण तथा मॉनीटर करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

### 1.9 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

विभाग ने वर्ष 2010-11 के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की सभी सिफारिशें स्वीकार की तथा बताया कि भविष्य में उत्पाद शुल्क नीति तैयार करते समय इन पर विचार किया जाएगा। वर्ष 2015-16 के प्रतिवेदन में दर्शाई गई 'राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां' नामक निष्पादन लेखापरीक्षा पर अभी लोक लेखा समिति में चर्चा की जानी है।

### 1.10 लेखापरीक्षा आयोजना

हरियाणा राज्य में कुल 656 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां हैं जिनमें से 2016-17 के दौरान 320 इकाइयों की योजना बनाई गई थी तथा 318 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई थी। इकाइयों का चयन जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था।

### 1.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

#### वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, मोटर वाहन, माल एवं यात्री तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की 318 (राजस्व 278 + व्यय 40) यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2016-17 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 37,331 मामलों में कुल ₹ 1,701.08 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि प्रकट की। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 2,721 मामलों में आवेष्टित ₹ 666.76 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियां स्वीकार की। विभागों ने वर्ष 2016-17 के दौरान 185 मामलों में ₹ 1.49 करोड़ संगृहीत किए थे।

### 1.12 इस प्रतिवेदन की कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 750.20 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित 'घोषणा फार्मों के विरुद्ध छूट एवं रियायतें' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 25 अनुच्छेद शामिल हैं।

विभागों/सरकार ने ₹ 622.77 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 0.23 करोड़ वसूल किए गए थे। इन पर अनुवर्ती अध्याय 2 से 6 तक में चर्चा की गई है।

**अध्याय-2: बिक्रियाँ, व्यापार पर कर/वैट**

**2.1 कर प्रबन्ध**

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम अपर मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा लागू किए जाते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रमुख है तथा अपर ई.टी.सी., संयुक्त ई.टी.सी. (जे.ई.टी.सी.), उप ई.टी.सी. (डी.ई.टी.सी.) तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ई.टी.ओज) द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है। संबंधित कर कानूनों तथा नियमों को लागू करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों तथा अन्य सहायक स्टाफ द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है।

**2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम**

2016-17 में 63 इकाइयों में से 39 इकाइयों (राजस्व: 30 तथा व्यय: 09) के वैट/बिक्री कर के निर्धारणों तथा अन्य अभिलेखों से संबंधित की नमूना-जांच ने 2,303 मामलों में ₹ 1,339.32 करोड़ से आवेष्टित कर के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट की जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि तालिका 2.1 में वर्णित है।

**तालिका 2.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम**

राजस्व			
क्र.सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	'घोषणा फार्मों के विरुद्ध छूट एवं रियायतें' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	645	518.66
2.	बिक्री/खरीद के छिपाव के कारण कर का अपवंचन	203	103.41
3.	कर का अवनिर्धारण	388	137.00
4.	दोषपूर्ण सांविधिक 'फार्मों' की स्वीकृति	131	52.58
5.	आई.टी.सी. की अनियमित/गलत/अधिक अनुमति	199	89.78
6.	अन्य अनियमितताएं	710	425.83
	<b>योग (I)</b>	<b>2,276</b>	<b>1,327.26</b>
व्यय			
1.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की अप्राप्ति	1	11.59
2.	अन्य अनियमितताएं	26	0.47
	<b>योग (II)</b>	<b>27</b>	<b>12.06</b>
	<b>कुल योग (I+II)</b>	<b>2,303</b>	<b>1,339.32</b>

वर्ष के दौरान, विभाग ने 823 मामलों में ₹ 526.50 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियां स्वीकार की जिनमें से 208 मामलों में आवेष्टित ₹ 246.89 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने, वर्ष 2016-17 में 42 मामलों में ₹ 84.41 लाख वसूल किए जिनमें से ₹ 46.78 लाख से आवेष्टित 21 मामले इस वर्ष से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

₹ 518.66 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित 'घोषणा फार्मों के विरुद्ध छूट एवं रियायतें' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 122.23 करोड़ से आवेष्टित कुछ व्याख्यात्मक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

## 2.3 घोषणा फार्म के विरुद्ध छूट एवं रियायतें

### 2.3.1 विशिष्टताएं

- कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने अवैध सी, ई-1, एफ. और एच. घोषणा फार्मों के विरुद्ध बिक्री पर शून्य/रियायती दर पर कर तथा गलत छूट की अनुमति दी और अविद्यमान डीलरों को रियायती बिक्री की अनुमति दी परिणामतः ₹ 17.37 करोड़ के कर का अनुद्ग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 103.27 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रहणीय थी।

(अनुच्छेद 2.3.7)

- कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने वैट डी-1 और डी-2 फार्मों के दुरुपयोग के लिए ₹ 262.24 करोड़ के अतिरिक्त कर और पेनल्टी उद्ग्रहण नहीं की।

(अनुच्छेद 2.3.8.1 और 2.3.8.3)

- कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने 'सी' फार्मों के दुरुपयोग के लिए ₹ 79.35 करोड़ की पेनल्टी उद्ग्रहण नहीं की।

(अनुच्छेद 2.3.8.4)

- कर-निर्धारण प्राधिकारी 'सी' फार्मों के बिना अंतर्राज्यीय बिक्री पर ₹ 25.77 करोड़ के कर का निर्धारण करने एवं उद्ग्रहण करने में विफल रहे।

(अनुच्छेद 2.3.8.5)

- कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा 'सी' फार्मों के बिना अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 8.07 करोड़ के सी.एस.टी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.3.8.6)

- मई 2013 के विभागीय अनुदेशों के बाद भी विभाग द्वारा घोषणा फार्म लोगो और जलचिह्न जैसे सुरक्षा विशेषता के बिना मुद्रित किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.3.15.1)

- कर-निर्धारण प्राधिकारी ने अवैध वैट सी-4 फार्म के विरुद्ध गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमत किया, परिणामतः ₹ 2.13 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ तथा ₹ 6.38 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रहण थी।

{अनुच्छेद 2.3.16 (बी) (i)}

### 2.3.2 प्रस्तावना

हरियाणा में बिक्रियों पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) और उसके अधीन बनाए नियमों (एच.वी.ए.टी. नियम, 2003) द्वारा अधिशासित है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा और ऐसे प्रतिबंध और शर्तों जैसी उसमें विनिर्दिष्ट हों, के अधीन डीलरों की किसी श्रेणी या कोई माल या माल की श्रेणी को कर के भुगतान से पूर्ण या आंशिक रूप से ऐसी अवधि के लिए जैसी अधिसूचना में निर्दिष्ट हो, अधिनियम के अधीन छूट दे सकती है। पंजीकृत डीलर को खरीदे गए माल पर अधिनियम के अंतर्गत कर के भुगतान से मुक्त तथा रियायती दर पर कर प्राप्त करेगा,

इस हेतु वैट डी-1<sup>1</sup>, वैट डी-2<sup>2</sup>, वैट सी-3<sup>3</sup> फार्म में एक घोषणा पत्र या प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि इस तरीके से और ऐसी छूट/रियायतों को स्वीकृत करने वाली अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसके द्वारा खरीदे गए माल उसी प्रयोजन के लिए ही प्रयुक्त किया गया था। एक पंजीकृत डीलर से अन्य पंजीकृत डीलर को बेचे गए माल के लिए कर के भुगतान का लाभ फार्म वैट सी-4<sup>4</sup> में प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने पर ही अनुमत की जाएगी।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सी.एस.टी. अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन डीलर, पंजीकृत डीलरों के साथ अंतर्राज्यीय बिक्री/लेन-देन, शाखाओं/एजेंटों को माल के हस्तांतरण और भारत की सीमा में/भारत से बाहर माल के आयात/निर्यात के लिए सी.एस.टी. अधिनियम की धाराओं 5 (3), 6 (2), 6 (4), 6 ए, 8 (3) और 8 (8) के अधीन जैसा प्रावधान है समर्थित प्रमाण-पत्रों और दस्तावेजों के साथ-साथ फार्म सी<sup>5</sup>, ई-1, ई-11<sup>6</sup>, एफ<sup>7</sup> एच<sup>8</sup> आई<sup>9</sup> और जे<sup>10</sup> में निर्धारित घोषणा के बल पर कुछ छूटों/रियायतों के योग्य हैं।

### 2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या:

- सुरक्षा प्रतीक के साथ घोषणा फार्मों के मुद्रण (अनधिकृत मुद्रण एवं फार्मों के दुरुपयोग के परिहार के लिए), घोषणा फार्मों की निगरानी एवं जारी करने की प्रभावी प्रणाली विभाग में विद्यमान है;
- घोषणा फार्म जारी करने के लिए उपयुक्त डाटाबेस विद्यमान है और उसे टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. पर अपलोड किया जा रहा है;
- डीलरों के लेन-देनों/घोषणा फार्मज का ए.एज द्वारा किया गया क्रास सत्यापन डीलरों द्वारा प्रस्तुत घोषणा फार्मों पर दावा की गई छूटों/रियायतों की सत्यता जांचने के लिए प्रभावी था;

<sup>1</sup> निर्दिष्ट प्रयोजनों पर खरीद/बिक्री करने के लिए रियायती दर पर कर के लिए फार्म वैट डी-1

<sup>2</sup> भारत प्रदेश के बाहर माल के निर्यात से आदेश की अनुपालना के लिए खरीद (कर भुगतान बिना) करने के लिए फार्म वैट-2

<sup>3</sup> सरकार द्वारा खरीद करने पर कर की रियायती दर के लिए फार्म वैट सी-3

<sup>4</sup> इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी) के लाभ का दावा करने के लिए फार्म वैट सी-4.

<sup>5</sup> कर की रियायती दर पर अंतर्राज्यीय खरीद/बिक्री करने के लिए फार्म-सी।

<sup>6</sup> खरीद तथा आगे एक राज्य से दूसरे राज्य को माल पहुंचाने के दौरान की बिक्री के लिए फार्म ई-1 और ई-11.

<sup>7</sup> अन्य राज्यों में शाखाओं/एजेंटों को माल (बिना कर भुगतान के) का हस्तांतरण करने के लिए फार्म-एफ।

<sup>8</sup> भारत के क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के आदेश की अनुपालना के लिए खरीद (कर भुगतान के बिना) करने के लिए फार्म-एच।

<sup>9</sup> विशेष आर्थिक जोन (एस ई जैड) में एक इकाई द्वारा खरीद करने के लिए फार्म-आई।

<sup>10</sup> डिप्लोमैटिक मिशन, परामर्श समिति, यूनाईटेड नेशन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकाय और डिप्लोमैटिक एजेंट परामर्शदाता और उनके अधिकारी और स्टाफ द्वारा खरीद करने के लिए फार्म-जे.

- छूटों और रियायतों बारे विभिन्न प्रावधानों/अनुदेशों को ए.एज द्वारा निर्धारण के समय सही रूप से कार्यान्वित किया गया; तथा
- राजस्व के स्राव को रोकने के लिए घोषणा फार्मों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली प्रभावी थी।

### 2.3.4 क्षेत्र एवं प्रणाली

आईडिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साईज विदाऊट रिप्लेसमेंट (मॉड्रिक इकाई सैंपलिंग) तरीका लागू करके रैंडम चयन के आधार पर निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए 23 जिलों में से 10 जिलों<sup>11</sup> के 2013-14 से 2015-16 के दौरान किए निर्धारणों से संबंधित निर्धारण रिकार्डों का चयन किया गया है। चयनित जिलों के रिकार्डों की जनवरी और मई 2017 के मध्य नमूना-जांच की गई। अन्य जिलों के संबंध में मुख्यालय पर उपलब्ध संबंधित सामग्री भी निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल की गई है।

जनवरी 2017 में अपर मुख्य सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग के साथ एंटी कांफ्रेंस हुई थी, जहां लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मापदंड तथा जिलों के चयन के लिए अपनाई गई प्रणाली का ब्यौरा दिया गया/पर चर्चा की गई। प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट जुलाई 2017 में सरकार को अग्रेषित किया गया। 27 जुलाई 2017 को अपर मुख्य सचिव, (आबकारी एवं कराधान विभाग), ई.टी.सी., ए.ई.टी.सीज और अन्य अधिकारियों के साथ एग्जिट कांफ्रेंस की गई। विभाग/सरकार के विचार निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल कर दिए गए हैं।

### 2.3.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्न स्रोतों से निकाले गए थे:

- एच.वी.ए.टी. अधिनियम और नियम, 2003;
- सी.एस.टी. अधिनियम, 1956 तथा सी.एस.टी. नियम, 1957;
- सरकार/विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं, अनुदेश और परिपत्र; तथा
- माननीय न्यायालय/ट्रिब्यूनल के न्यायिक कथन।

### लेखापरीक्षा उपलब्धियां

### प्रणालीगत कमियां

### 2.3.6 टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.

कर सूचना विनिमय प्रणाली (टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.) भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्रीय राज्य क्षेत्रों (यू.टी.ज) में फैले सारे अंतर्राज्यीय डीलरों का केंद्रीकृत एक्सचेंज है। वेबसाईट अंतर्राज्यीय व्यापार की प्रभावी ढंग से निगरानी के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के

<sup>11</sup> गुरुग्राम (पूर्व), जगाधरी, झज्जर में बहादुरगढ़, जींद, मेवात, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा तथा सोनीपत।



वाणिज्यिक कर विभागों की सहायता के लिए बनाई गई थी। टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. का प्रयोग किसी भी डीलर द्वारा किसी अन्य राज्य में काउंटर पार्टी अंतर्राज्यीय डीलर को सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है। डीलर सत्यापन के अलावा, विभागीय कर्मचारियों द्वारा अन्य राज्य वाणिज्यिक कर विभागों द्वारा जारी केंद्रीय सांविधिक फार्मों की प्रमाणिकता, उनको डीलरों द्वारा प्रस्तुत रियायत के लिए दावे के समर्थन में टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. प्रयोग करना अपेक्षित था। टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. अंतर्राज्यीय व्यापार चलन की निगरानी के लिए वाणिज्यिक कर विभाग को प्रबंध सूचना प्रणाली और बिजनेस इंटेलीजेंस रिपोर्ट भी उपलब्ध करवाता है और शक्ति प्रदत्त समिति (ई.सी) को अंतर्राज्यीय व्यापार में प्रचलन मॉनीटर करने के योग्य बनाती है।

### 2.3.6.1 टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. पर डाटा का अपलोड न होना

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने वेबसाइट टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. बनाई और राज्यों को सारे भारत में लेन-देनों/फार्मों की प्रमाणिकता के लिए केंद्रीय घोषणा फार्मों से संबंधित डाटा अपलोड करने के लिए क्रियात्मक और प्रयोग योग्य बनाने के लिए कहा। विभाग ने भी सभी केंद्रीय घोषणा फार्मों को जारी करने संबंधी सूचना वेबसाइट टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. पर अपलोड करने के लिए दिसंबर 2011 में अनुदेश जारी किए।

दस डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभाग ने घोषणा फार्मों अर्थात् सी, एफ, एच, ई-1, ई-11 के विवरण टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. पर अपलोड नहीं किए थे।

विभाग ने बताया कि सी फार्म जून 2015 से ऑनलाईन जारी किए गए थे। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विभाग ने 2011 में अनुदेश जारी किए थे कि सभी हस्तचालित घोषणा फार्म टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. पर अपलोड किए जाने थे।

### अनुपालन कमियां

### 2.3.7 झूठे फार्मों के विरुद्ध गलत छूट/रियायत और अविद्यमान डीलरों को बिक्री पर कर के लाभ की अनुमति देने के कारण अवनिर्धारण

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 8 (4) के अंतर्गत, एक पंजीकृत डीलर फार्म-सी घोषणा पत्र की प्रस्तुति पर दो प्रतिशत कर की रियायती दर के लाभ का हकदार है। सी.एस.टी. नियमों के नियम 12 (4) के साथ पठित सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6 (2) और धारा 8 की उप-धारा (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार, ट्रांजिट बिक्री पर दस्तावेजों के हस्तांतरण और फार्म ई-1 और सी में घोषणा पत्रों की प्रस्तुति पर कर से छूट है। सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6ए के अधीन, एक राज्य से दूसरे राज्य में शाखा या एजेंट को माल के हस्तांतरण पर एफ फार्म की प्रस्तुति पर कर से छूट प्राप्त है। सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 5 (3) और सी.एस.टी. नियमों के नियम 12 (10) के अधीन, किसी माल का क्रय या विक्रय जिसका भारत की सीमा से बाहर निर्यात का अवसर हुआ हो ऐसे निर्यात के लिए अनुबंध की या आदेश की अनुपालना पर घोषणा फार्म एच की प्रस्तुति पर कर से छूट प्राप्त है।

कर के भुगतान से बचने के लिए गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के साथ पठित सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 9 (2ए) के अंतर्गत पेनल्टी उद्ग्रहणीय है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ए.एज ने सी.एस.टी. बिक्री के अवैध दावे के लिए फार्म सी, ई-1, एफ तथा एच में झूठी घोषणा के विरुद्ध ₹ 17.37 करोड़ की राशि के कर की गलत रियायतें/छूट, अविद्यमान डीलरों को क्रय/विक्रय पर कर की छूट तथा ₹ 103.27 करोड़ की राशि के विक्रय का गलत प्रेषण तथा पेनल्टी का अनुद्ग्रहण हुआ, जैसा कि नीचे तालिकाबद्ध है:

क्र. सं.	डी.ई.टी.सीज की संख्या	डीलरों की संख्या	निर्धारण वर्ष	कर का कम/अवनिर्धारण (₹ करोड़ में)	अनिवार्य पेनल्टी (₹ करोड़ में)	अनियमितताओं की प्रकृति
1	13 <sup>12</sup>	74	2010-11 से 2014-15	11.04	33.11	ए.एज ने ₹ 142.42 करोड़ मूल्य के सी फार्मों के विरुद्ध कर की रियायती दर की अनुमति दे दी। संबंधित प्राधिकारियों से लेखापरीक्षा द्वारा क्रास सत्यापन पर, ₹ 62.40 करोड़ मूल्य के फार्म और टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. वेबसाइट से ₹ 52.92 मूल्य के फार्म झूठे पाए गए थे या क्रेता डीलर को जारी नहीं किए गए, परिणामस्वरूप ₹ 11.04 करोड़ के कर और ₹ 33.11 करोड़ की पेनल्टी का अवनिर्धारण हुआ।
2	3 <sup>13</sup>	3	2010-11 से 2011-12	0.11	0.32	ए.एज ने ₹ 16.69 करोड़ मूल्य के ई-1/सी फार्मों के विरुद्ध कर की छूट की अनुमति दे दी। संबंधित प्राधिकारियों से लेखापरीक्षा द्वारा क्रास सत्यापन पर, ₹ 3.31 करोड़ मूल्य के फार्मों के झूठे होने की पुष्टि हो गई परिणामस्वरूप ₹ 0.11 करोड़ के कर तथा ₹ 0.32 करोड़ की पेनल्टी का अवनिर्धारण हुआ।
3	6 <sup>14</sup>	15	2011-12 से 2012-13	1.13	3.39	ए.एज ने ₹ 29.91 करोड़ मूल्य के एफ फार्मों के विरुद्ध कर की छूट की अनुमति दे दी। संबंधित प्राधिकारियों से लेखापरीक्षा द्वारा क्रास सत्यापन पर ₹ 23.29 करोड़ मूल्य के फार्म झूठे पाए गए परिणामस्वरूप ₹ 1.13 करोड़ के कर और ₹ 3.39 करोड़ की पेनल्टी का अवनिर्धारण हुआ।
4	1 <sup>15</sup>	1	2012-13	0.16	0.48	ए.ए. ने ₹ 3.23 करोड़ मूल्य के एच फार्मज के विरुद्ध कर की छूट की अनुमति दे दी। संबंधित प्राधिकारियों से लेखापरीक्षा द्वारा क्रास सत्यापन पर, ₹ 3.23 करोड़ मूल्य के फार्म झूठे पाए गए परिणामस्वरूप

<sup>12</sup> अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (पूर्व), जगाधरी, झज्जर, जींद, मेवात, नारनौल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा तथा सोनीपत।

<sup>13</sup> गुरुग्राम (पूर्व), कुरुक्षेत्र तथा सिरसा।

<sup>14</sup> भिवानी, फरीदाबाद (पश्चिम), हिसार, जींद, रेवाड़ी तथा सोनीपत।

<sup>15</sup> फतेहाबाद।

क्र. सं.	डी.ई.टी.सीज की संख्या	डीलरों की संख्या	निर्धारण वर्ष	कर का कम/अवनिर्धारण (₹ करोड़ में)	अनिवार्य पेनल्टी (₹ करोड़ में)	अनियमितताओं की प्रकृति
						₹ 0.16 करोड़ के कर एवं ₹ 0.48 करोड़ की पेनल्टी का अवनिर्धारण हुआ।
5	3 <sup>16</sup>	10	2010-11 से 2013-14	1.93	5.79	ए.एज ने मार्च 2006 में जारी अनुदेशों के द्वारा अपेक्षित लेन-देनों के सत्यापन के बिना ₹ 36.80 करोड़ मूल्य के घोषणा फार्म एफ के विरुद्ध माल का प्रेषण/हस्तांतरण की अनुमति दे दी। जारी करने वाले कार्यालयों से क्रास सत्यापन से प्रकट हुआ कि ₹ 36.80 करोड़ मूल्य के लेन-देन अविद्यमान डीलरों के साथ किए गए परिणामस्वरूप ₹ 1.93 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। ₹ 5.79 करोड़ की पेनल्टी भी उद्घाह्य थी।
6	1 <sup>17</sup>	1	2012-13	0.67	--	ए.ए. ने ₹ 12.73 करोड़ की प्रेषण बिक्री की गलत अनुमति दी क्योंकि डीलर को प्रेषण आधार पर प्राप्त माल के विक्रय का अधिकार नहीं है और डीलर फार्म एफ के विरुद्ध अन्य राज्यों में अपने एजेंटों को ऐसे माल की आगे प्रेषण नहीं कर सकता था परिणामस्वरूप ₹ 0.67 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त ब्याज भी उद्घाह्य था।
7	3 <sup>18</sup>	13	2011-12 से 2013-14	2.33	7.00	ए.एज ने ₹ 33.79 करोड़ मूल्य के सी फार्मों के विरुद्ध कर की रियायती दर की अनुमति दे दी। जारी करने वाले कार्यालयों से क्रास सत्यापन पर ₹ 2.33 करोड़ के कर वाले ₹ 33.79 करोड़ मूल्य के सी फार्म अविद्यमान क्रेता डीलरों द्वारा जारी किए गए, परिणामस्वरूप ₹ 2.33 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। ₹ 7.00 करोड़ की पेनल्टी भी उद्घाह्य थी।
8	2 <sup>19</sup>	10	2011-12 से 2013-14	-	53.18	ए.एज ने साबित किया कि इन डीलरों द्वारा ₹ 103.49 करोड़ मूल्य का कोई लेन-देन नहीं किया गया था और तदनुसार कर उद्ग्रहण किया परंतु सी.एस.टी. विक्रय के जाली दावे के लिए ₹ 53.18 करोड़ की पेनल्टी के उद्ग्रहण में विफल रहे। ऐसा इंगित किए जाने पर, ए.ए. सिरसा ने तीन मामलों में ₹ 2.57 करोड़ की पेनल्टी लगा दी (मई 2016)।
	<b>योग</b>	<b>127</b>		<b>17.37</b>	<b>103.27</b>	

16 गुरुग्राम (पश्चिम), हिसार तथा जींद।

17 गुरुग्राम (पूर्व)।

18 सिरसा, हिसार तथा जींद।

19 सिरसा तथा जगाधरी।

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर की रियायती दर के लाभ की अनुमति देने से पहले अन्य राज्यों के प्राधिकारियों/टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. वेबसाइट से घोषणापत्र फार्मों की सत्यता की जांच करनी अपेक्षित थी। तथापि, कर-निर्धारण प्राधिकारी फार्म 'सी' और इलैक्ट्रॉनिक रूप में भी अर्थात् टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. वेबसाइट पर घोषणापत्र की सत्यता की जांच करने में विफल रहे जो सही समय आधार पर सत्यापित किए जा सकते थे। विभाग ने उपर्युक्त अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और आशवासित किया कि इन मामलों में सुधारक कार्रवाई की जाएगी।

### 2.3.8 छूट एवं रियायतों के प्रावधानों की अनुपालना न किया जाना

#### 2.3.8.1 वैट डी-1 फार्म का दुरुपयोग

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (3) में प्रावधान है कि जहां कर योग्य माल एक डीलर से दूसरे डीलर को बेचा जाता है तो यदि क्रेता डीलर यह प्रमाणित करते हुए कि माल उसमें निर्दिष्ट प्रयोजन में प्रयोग के लिए है, वैट डी-1 फार्म में घोषणा प्रस्तुत करता है तो कर एक निम्नतर दर पर (4 प्रतिशत) उद्ग्रहणीय होता है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (5) के अनुसार, यदि एक अधिकृत विक्रेता कोई माल खरीदने के बाद निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए माल का प्रयोग करने में विफल रहता है तो ए.ए. उस पर पेनल्टी के रूप में एक राशि जो उस पर अतिरिक्त रूप से लगाई जाने वाले कर के डेढ़ गुणा से अधिक न हो, लगा सकता है। आगे, विभाग ने मार्च 2013 में अनुदेश जारी किए कि निर्माण कार्य ठेकेदार जिन्होंने एकमुश्त कर का विकल्प नहीं लिया है फार्म वैट डी-1 के विरुद्ध माल खरीदने के हकदार नहीं है।

नौ डी.ई.टी.सी.(एस.टी)<sup>20</sup> कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 18 डीलरों ने ₹ 1,131.88 करोड़ मूल्य के वैट डी-1 फार्म में घोषणा के विरुद्ध माल खरीदा था। इसमें से 11 नियमित निर्माण कार्य ठेकेदार थे जिन्होंने एकमुश्त स्कीम का विकल्प नहीं लिया था, ने ₹ 31.92 करोड़ मूल्य का माल खरीदा और सात डीलर जिन्होंने वैट डी-1 फार्म के विरुद्ध ₹ 1,099.96 करोड़ मूल्य का माल खरीदा था, उसे उस प्रयोजन के लिए प्रयोग करने में विफल रहे जिसके लिए खरीदा गया था। इस प्रकार ये डीलर जिन्होंने वैट डी-1 फार्मों का दुरुपयोग किया था, अतिरिक्त कर एवं पेनल्टी अदा करने के दायी थे। ए.एज ने मार्च 2013 और मार्च 2016 के मध्य निर्धारण अंतिम करते समय दो मामलों में ₹ 0.67 करोड़ की पेनल्टी लगाई परंतु अन्य मामलों में ए.एज वैट डी-1 फार्मों के दुरुपयोग के लिए ₹ 101.00 करोड़ का अतिरिक्त कर और ₹ 151.00 करोड़ की पेनल्टी लगाने में विफल रहे। परिणामतः ₹ 252.00 करोड़ के अतिरिक्त कर और पेनल्टी का अवनिर्धारण हुआ।

विभाग ने इस सीमा तक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया कि जुर्माना उद्ग्रहणीय था परंतु अतिरिक्त कर के उद्ग्रहण को स्वीकारा नहीं गया। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि अधिनियम के पूर्वोक्त प्रावधानों के अधीन अंतरीय कर और पेनल्टी दोनों उद्ग्रहणीय थे।

<sup>20</sup> भिवानी, फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (पश्चिम), जगाधरी, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, रेवाड़ी, रोहतक तथा सिरसा।

### 2.3.8.2 कम वैट डी-1 के कारण अवनिर्धारण

सितंबर 2016 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पलवल कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक डीलर ने ₹ 7.61 करोड़ मूल्य की रियायती दर पर माल की बिक्री का वैट डी-1 फार्मों में घोषणा के विरुद्ध दावा किया। ए.ए. ने नवंबर 2015 में निर्धारण अंतिम करते समय डीलर का वैट डी-1 फार्मों के विरुद्ध रियायती दर पर कर निर्धारण कर दिया। परंतु डीलर ने केवल ₹ 1.19 करोड़ अर्थात् ₹ 6.42 करोड़ के कम के लिए वैट डी-1 फार्म प्रस्तुत किए। वैट डी-1 फार्मों के बिना ₹ 6.42 करोड़ पर रियायती दर पर कर के लाभ की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 0.57 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

### 2.3.8.3 वैट डी-2 फार्म का दुरुपयोग

एच.वी.ए.टी. नियमों के नियम 21 के अधीन, एक वैट डीलर भारत से बाहर उस माल के निर्यात के लिए आदेश की अनुपालना के लिए फार्म वैट डी-2 (कर भुगतान के बिना) के विरुद्ध माल खरीद सकता है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (5) के अंतर्गत यदि कोई डीलर खरीदे माल को निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयोग करने में विफल रहता है तो डीलर अतिरिक्त कर और जो उस माल के क्रय/विक्रय पर उद्ग्रहणीय कर का डेढ़ गुणा से अधिक न हो उतनी पेनल्टी अदा करने का दायी होगा।

मार्च 2015 और दिसंबर 2016 के मध्य तीन डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)<sup>21</sup> के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि आठ डीलरों ने 2011-12 से 2013-14 के दौरान भारत से बाहर निर्यात के लिए वैट डी-2 फार्मों के विरुद्ध ₹ 98.97 करोड़ मूल्य के धान, चावल, पैकिंग सामग्री एवं बर्तन खरीदे परंतु स्वयं निर्यात करने में विफल रहे और फार्म वैट डी-2 फार्मों के विरुद्ध आगे निर्यात के लिए ₹ 80.88 करोड़ मूल्य का उक्त माल स्थानीय डीलरों को बेच दिया और दंडनीय कार्रवाई के दायी हो गए। मई 2013 और मार्च 2016 के मध्य निर्धारण अंतिम करते समय, डी.ई.टी.सी.(एस.टी) रेवाड़ी ने ₹ 38.74 लाख का अतिरिक्त कर लगाया था परंतु ₹ 58.11 लाख की पेनल्टी लगाने में विफल रहे। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कैथल और सोनीपत के मामले में, ए.एज ने वैट डी-2 फार्मों के विरुद्ध निर्यात की कटौती की अनुमति दे दी परंतु ₹ 3.86 करोड़ का कर लगाने में विफल रहे। इसके अतिरिक्त ₹ 6.38 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रहणीय थी। परिणामस्वरूप ₹ 10.24 करोड़ की अतिरिक्त कर और पेनल्टी का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सोनीपत ने अगस्त 2016 में बताया कि एक मामले में ₹ 0.15 करोड़ के कर की अतिरिक्त मांग सृजित की गई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा और आश्वासन दिया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

<sup>21</sup> कैथल, रेवाड़ी तथा सोनीपत।

#### 2.3.8.4 सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 10 ए के अंतर्गत पेनल्टी का अनुद्ग्रहण

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 8 (3) के अनुसार, एक पंजीकृत डीलर पुनःविक्रय, विक्रय के लिए माल के उत्पादन/प्रक्रिया/पैकिंग में प्रयोग के लिए सी-फार्म घोषणा के विरुद्ध माल खरीद सकता है परंतु स्वयं प्रयोग अर्थात् उक्त धारा के अंतर्गत निर्दिष्ट के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए माल नहीं खरीद सकता। आगे, अधिनियम की धारा 10 ए में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए खरीदे माल के अप्रयोग के लिए पेनल्टी, जो कर के डेढ़ गुणा से अधिक न हो, का प्रावधान है।

चार<sup>22</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों के अभिलेखों की जून 2015 और मई 2017 के मध्य संवीक्षा से प्रकट हुआ कि आठ मामलों में डीलरों ने फार्म सी के विरुद्ध ₹ 62.57 करोड़ के कर वाले ₹ 616.95 करोड़ मूल्य का तैयार मिश्रित कंक्रीट (आर.एम.सी.), सीमेंट, एयर कंडीशनर और फर्नीचर अक्टूबर 2014 तथा मार्च 2017 के मध्य खरीदा। ये डीलर फार्म सी के विरुद्ध इस माल को खरीदने के हकदार नहीं थे क्योंकि उक्त माल उत्पादक गतिविधियों में प्रयुक्त नहीं किया गया। ए.ए. ने एक मामले में ₹ 14.50 करोड़ की पेनल्टी लगाई और सात मामलों में ₹ 79.35 करोड़ की पेनल्टी लगाने में विफल रहे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा और आश्वासन दिया कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

#### 2.3.8.5 अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर का अनुद्ग्रहण

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 8 (1) और (2) में प्रावधान है कि राज्य में माल की बिक्री पर लागू कर की दर ऐसे माल की अंतर्राज्यीय बिक्री पर फार्म 'सी' के बिना लागू होगी।

मई और जून 2016 के मध्य डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कुरूक्षेत्र और सिरसा कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि चार मामलों में डीलरों ने 2013-14 और 2014-15 के दौरान ₹ 130.01 करोड़ मूल्य के तंबाकू उत्पाद और बैटरीज खरीदी और सी फार्म प्रस्तुत किए बिना कर के रियायती दर का दावा किया। ए.एज ने जुलाई और दिसंबर 2015 के मध्य इन डीलरों का निर्धारण अंतिम करते समय, ₹ 130.01 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री का निर्धारण करने में विफल रहे। सी फार्मों के बिना अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर का निर्धारण न होने के परिणामस्वरूप ₹ 25.77 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सिरसा ने जून 2016 में बताया कि तीन मामलों में ₹ 25.11 की अतिरिक्त मांग सृजित की गई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा तथा आश्वासन दिया कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और आगे सूचित किया (अगस्त 2017) कि वसूली प्रक्रिया अधीन थी।

### 2.3.8.6 अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की गलत दर

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पानीपत, रेवाड़ी और सिरसा कार्यालयों के मई 2016 और मई 2017 के मध्य अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 13 डीलरों ने 2011-12 और 2014-15 के दौरान ₹ 64.80 करोड़ मूल्य के तंबाकू उत्पादों और भवन निर्माण सामग्री बेची और सी-फार्मों के विरुद्ध रियायती दर पर कर का दावा किया। ए.एज ने नवंबर 2013 और दिसंबर 2015 के मध्य निर्धारणों को अंतिम करते हुए, सी-फार्मों के अभाव में 12.5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की सही दर की बजाय 2 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत की दर पर कर का निर्धारण किया। फार्म 'सी' के बिना अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 8.07 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सिरसा ने जून 2016 में बताया कि दो मामलों में आदेश को सुधारा गया और ₹ 5.25 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा और आश्वासन दिया कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और आगे सूचित किया (अगस्त 2017) कि वसूली प्रक्रिया अधीन है।

### 2.3.8.7 घोषणा फार्मों के बिना कर का अनुद्ग्रहण

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6 (2) में फार्म ई-1 और सी में घोषणा की प्रस्तुति पर एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही के दौरान परवर्ती बिक्री पर कर से छूट के लिए प्रावधान है। सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 8 (1) में प्रावधान है कि राज्य में माल की बिक्री पर लागू कर की दर घोषणा फार्मों के बिना ऐसे माल की अंतर्राज्यीय बिक्री पर लागू होगी।

(i) डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुरुग्राम (पश्चिम) के कार्यालय में अक्टूबर 2016 में अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक निर्माणकार्य ठेकेदार ने 2012-13 और 2013-14 के दौरान रिटर्नस में ₹ 19.35 करोड़ मूल्य के फार्म एफ के विरुद्ध स्टॉक हस्तांतरण का दावा किया। ए.ए. ने सितंबर 2015 में निर्धारण अंतिम करते समय एफ फार्मस के बिना ₹ 19.35 करोड़ के अंतर्राज्यीय स्टॉक ट्रांसफर का निर्धारण करने में विफल रहा। फार्म एफ. के बिना माल के स्टॉक हस्तांतरण पर कर न लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.54 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने वर्ष 2012-13 के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों स्वीकार की और सूचना दी कि 2013-14 वर्ष के लिए मामला जांच अधीन था।

(ii) जनवरी 2017 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सिरसा कार्यालय के अभिलेखों से संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक डीलर ने वर्ष 2014-15 के दौरान फार्म 'सी' और 'ई-1' के विरुद्ध ₹ 2.39 करोड़ मूल्य के चावल बेचे। ए.ए. ने नवंबर 2015 में निर्धारण अंतिम करते समय 'सी' और 'ई-1' फार्मों में घोषणा के बिना अंतर्राज्यीय बिक्री का निर्धारण करने में विफल रहे। घोषणापत्र फार्मों के बिना बिक्री पर कर न लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 0.12 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने बताया कि मामला पहले ही पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास किसी अन्य कारणों के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए भेजा गया था।

### 2.3.9 बिक्री का गलत वर्गीकरण

(i) सी.एस.टी. अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) के प्रावधानों के अनुसार एक राज्य के भीतर माल का क्रय या विक्रय तभी घटित माना जाएगा, यदि विशिष्ट और निश्चित माल के मामले में माल राज्य के भीतर है, उस समय जब विक्रय का ठेका हुआ और अनिश्चित या भविष्य के माल के लिए क्रेता या विक्रेता द्वारा बिक्री के ठेके के विनियोजन के समय, चाहे अन्य पार्टी की सहमति ऐसे विनियोजन से पहले या बाद में हो।

सात<sup>23</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 18 डीलरों ने 2010-11 से 2013-14 के दौरान ₹ 49.57 करोड़ मूल्य का माल हरियाणा के डीलरों को बेचा और बिक्री को अंतर्राज्यीय बिक्री मानते हुए स्थानीय डीलरों से प्राप्त फार्म सी के विरुद्ध कर की रियायती दर के लाभ का दावा इस तर्क पर किया कि माल हरियाणा के क्रेता डीलरों द्वारा अन्य राज्य के डीलरों को सुपुर्द किया गया था। परंतु माल हरियाणा के डीलरों के मध्य बिक्री के अनुबंध के समय राज्य के भीतर ही था और इस प्रकार कर एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय था। ए.एज ने निर्धारण अंतिम करते समय डीलरों के दावे स्वीकार किए और सी फार्मों की प्रस्तुति पर कर की रियायती दर पर बिक्री का निर्धारण किया। परिणामस्वरूप ₹ 4.64 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(ii) सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6 (2) में माल के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही के दौरान फार्म ई-1 और सी में घोषणा की प्रस्तुति पर आगामी बिक्री पर कर की छूट का प्रावधान है।

दिसंबर 2014 और अप्रैल 2017 के मध्य डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम) और झज्जर के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि पांच डीलरों ने ₹ 9.76 करोड़ मूल्य के घोषणा फार्मों ई-1 और सी घोषणा के विरुद्ध बिक्री पर 2010-11 से 2012-13 के दौरान सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6 (2) के अधीन कर की छूट का दावा किया और इसे ए.एज द्वारा जुलाई 2013 और फरवरी 2016 के मध्य निर्धारण अंतिम करते समय अनुमति दे दी गई। परंतु इन डीलरों ने हरियाणा के डीलर से ₹ 9.76 करोड़ मूल्य का माल खरीदा और हरियाणा के अन्य डीलर को आगे बेच दिया और ई-1 और सी फार्म प्रस्तुत करके सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6 (2) के अधीन छूट का दावा किया। चूंकि डीलर ने माल को हरियाणा के भीतर ही खरीदा और बेचा और माल की पहली आवाजाही हरियाणा से हुई, डीलर को छूट की गलत अनुमित दी गई। छूट की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 0.78 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा और आश्वासन दिया कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और आगे सूचना दी (अगस्त 2017) कि वसूली प्रक्रियाधीन है।



### 2.3.10 अवैध दस्तावेजों के विरुद्ध गलत कटौती

केन्द्रीय बिक्री कर की धारा 8 प्रावधान करती है कि प्रत्येक डीलर अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान पंजीकृत डीलर को माल बेचता है तो वह दो प्रतिशत की दर पर कर की अदायगी के लिए बाध्य होगा। रियायती दर पर कर केवल मूल घोषणा फार्मों के विरुद्ध अनुमत है।

चार डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)<sup>24</sup> अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि चार डीलरों ने 2011-12 और 2012-13 के दौरान वैट डी-1 और 'सी' फार्मों में घोषणा के विरुद्ध ₹ 20.81 करोड़ मूल्य के कर की रियायती दर पर माल बेचा था। ए.एज ने नवंबर 2013 और मार्च 2016 में निर्धारण अंतिम करते समय वैट डी-1 और 'सी' फार्मों की फोटो प्रतियों के विरुद्ध कर की रियायती दर पर ₹ 20.81 करोड़ की बिक्री निर्धारित कर दी। वैट डी-1 और सी फार्मों की फोटो प्रतियों के विरुद्ध कर की रियायती दर की गलत अनुमति देने के परिणामस्वरूप ₹ 2.04 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस में बताया कि मूल दस्तावेज पृथक फाइलों में रखे गए थे तथा रियायतें/छूट की अनुमति अधिनियम के अधीन दी गई थी। विभाग का उत्तर सही नहीं था क्योंकि रियायतें/छूट केवल मूल घोषणा फार्मों की प्रस्तुति पर अनुमत थी और लेखापरीक्षा के दौरान कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए और इसका अक्टूबर और नवंबर 2017 में भी सत्यापन किया गया था।

### 2.3.11 सत्यापन के बिना कर का लाभ

2013-14 और 2014-15 वर्षों के लिए संवीक्षा निर्धारण के लिए मामलों के चयन के लिए मानदंड क्रमशः मई 2015 और 2016 में परिचालित किए गए थे। वर्ष में ₹ 25 लाख से अधिक आई.टी.सी. या ₹ 10 करोड़ से ऊपर सकल टर्नओवर वाले मामले संवीक्षा निर्धारण के लिए चुने जाने थे। आगे, जुलाई 2013 में जारी अनुदेशों के अनुसार खरीदों के शत-प्रतिशत सत्यापन और अंतर्राज्यीय लेन-देनों और उसके घोषणा फार्मों के साथ कर के वास्तविक भुगतान की संवीक्षा निर्धारण के समय निर्धारित की जानी थी।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सिरसा के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 2013-14 और 2014-15 निर्धारण वर्ष के लिए ₹ 10 करोड़ से अधिक जी.टी.ओ. या 25 लाख से अधिक आई.टी.सी. वाले 120 मामले जिनका कर ₹ 155.48 करोड़ था, आई.टी.सी. का सत्यापन किए बिना और अंतर्राज्यीय लेन-देनों के लिए घोषणा फार्मों को प्रस्तुत न करने के लिए मांग सृजित करके एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 15 (3) के अधीन संवीक्षा की बजाय एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन मानी गई स्कीम के अधीन निर्धारित किए गए थे। योग्य मामलों को संवीक्षा निर्धारण के लिए न लेकर, ₹ 155.48 करोड़ के आई.टी.सी. का लाभ की अनुमति, क्रय और कर के वास्तविक भुगतान का सत्यापन किए बिना, दे दी गई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी।

<sup>24</sup> जींद, पलवल, पानीपत तथा पंचकुला।

### 2.3.12 ब्याज का अनुद्ग्रहण

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 8 (1) में घोषणा फार्म सी के विरुद्ध दो प्रतिशत की रियायती दर पर कर के उद्ग्रहण का प्रावधान है। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के साथ पठित सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 9 (2ए) के अनुसार कर के भुगतान में चूक के मामले में ब्याज उद्ग्रहणीय है।

(i) डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) रोहतक कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक डीलर ने 2012-13 के दौरान ₹ 30.37 करोड़ मूल्य के फार्म सी के विरुद्ध रियायती दर पर डिटरजेंट की बिक्री का दावा किया और ए.एज ने मार्च 2016 में निर्धारण अंतिम करते समय इसकी अनुमति दे दी। डीलर द्वारा रिटर्नस के साथ ₹ 0.50 करोड़ मूल्य के दो प्रतिशत की दर पर न्यूनतम कर का भुगतान अपेक्षित था जो वह जमा करने में विफल रहा। अतः डीलर ₹ 0.42 करोड़ का ब्याज अदा करने का दायी था।

(ii) डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) रोहतक के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि चार डीलरों ने 2012-13 और 2013-14 के दौरान फार्म एच के विरुद्ध बिक्री पर कर की छूट का दावा किया। ए.एज ने नवंबर 2015 और मार्च 2016 के मध्य निर्धारण अंतिम करते समय 'एच' फार्मों की प्रस्तुति न होने के कारण ₹ 3.73 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी। चूंकि निर्धारण के समय डीलर अपना दावा साबित नहीं कर सका, डीलर रिटर्नस के साथ अदा न किए कर पर ब्याज अदा करने का दायी था। अतः देय कर पर ब्याज उद्ग्रहण न होने के परिणामस्वरूप ₹ 3.07 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा तथा सुधारक कार्रवाई प्रारंभ करने का आश्वासन दिया।

### 2.3.13 कर के अधिक कैरी फारवर्ड का लाभ

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 (1) में प्रावधान है कि इनपुट कर क्रेडिट की अनुमति वैट डीलरों से किए खरीद पर कर के भुगतान के बाद दी जाएगी जो बाद में डीलर का आउटपुट कर देयता के विरुद्ध समायोजित कर ली जाएगी और यदि आउटपुट कर देयता अधिक पाई जाती है तो इसे भविष्य कर देयता के समायोजन के लिए अगले साल में कैरी फारवर्ड किया जाएगा।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) रोहतक के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक डीलर को वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 25 लाख के कर के अधिक कैरी फारवर्ड की अनुमति दी गई। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए सत्यापन के अनुसार, 2012-13 में डीलर द्वारा प्रस्तुत 'सी' फार्म जाली पाए गए क्योंकि यह संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गए थे। ए.एज ने वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारण अंतिम करते समय अक्टूबर 2015 में 2013-14 वर्ष के लिए ₹ 25 लाख के अधिक कैरी फारवर्ड की अनुमति दे दी परंतु 2012-13 वर्ष के लिए ए.ए. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि डीलर ने झूठे घोषणा फार्म प्रस्तुत किए थे। परिणामतः ₹ 25 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा और सुधारक कार्रवाई प्रारंभ करने का आश्वासन दिया।

### 2.3.14 वैट सी-3 फार्म की गलत स्वीकृति

एच.वी.ए.टी. नियमों के नियम 21 के साथ पठित एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (3) (बी) में प्रावधान है कि पंजीकृत डीलर न होते हुए वैट सी-3 फार्म में घोषणा के विरुद्ध सरकार को बेचे गए माल पर चार प्रतिशत की रियायती दर पर कर देय होगा। आगे, गैर सरकारी विभागों में निर्माण कार्य ठेके के निष्पादन में स्थानांतरित सामग्री ऐसी सामग्री की बिक्री पर लागू दर पर निर्धारित की जाएगी।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) रोहतक के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक निर्माण कार्य ठेकेदार ने हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल निगम (एच.एस.आर.बी.सी) रेवाड़ी के लिए निर्माण कार्य का ठेका लिया और ₹ 24.08 करोड़ मूल्य के वैट सी-3 फार्म प्रस्तुत किए। ए.ए. ने निर्धारण अंतिम करते समय निर्माण कार्य ठेके को सरकारी विभाग के लिए निष्पादित मानते हुए सामग्री का हस्तांतरण 5.25 और 12.5 प्रतिशत कर पूर्ण दर के बजाय चार प्रतिशत की दर पर निर्धारित किया। एच.एस.आर.बी.सी. सरकारी विभाग नहीं था और निर्माण कार्य ठेके के निष्पादन में स्थानांतरित सामग्री ऐसी सामग्री के क्रय/विक्रय पर लागू दर पर निर्धारणीय थी। अवैध फार्म वैट सी-3 स्वीकृत करके डीलर को कर की निम्नतर दर पर निर्धारित करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.04 करोड़ के कर का अवनियमन हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा और कानून के अनुसार कार्रवाई प्रारंभ करने का आश्वासन दिया।

### 2.3.15 आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली

आंतरिक नियंत्रण एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संगठन अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए जांच और सन्तुलन प्रणाली द्वारा अपनी गतिविधियों को शासित करता है। एक अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली और कोड और मैनुअल की कड़ी अनुपालना विभाग को लागू नियमों की अनुपालना, वित्तीय रिपोर्टिंग का भरोसा, प्रभाविकता और इसके परिचालन में दक्षता के बारे उचित आश्वासन प्रदान करती है।

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंधन के हाथों में यह सुनिश्चित करने का यंत्र है कि निर्धारित प्रणालियां उचित ढंग से काम कर रही हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग द्वारा घोषणा फार्मों की प्राप्ति और जारी करने की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

## मुद्रण, भंडार का जारी करना और घोषणा फार्मों का उपयोग

### 2.3.15.1 घोषणा फार्मों का मुद्रण और निगरानी

पंजीकृत डीलर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान सी.एस.टी. फार्मों को प्रयोग करके कर की छूट/रियायतों का लाभ उठाते हैं। विभाग ने मई 2013 में अनुदेश जारी किए कि घोषणा फार्मों का मुद्रण आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) द्वारा अनुमोदित नमूने के अनुसार ही होना चाहिए। फार्मों का कागज सुरक्षा विशेषता जलचिह्न के साथ उच्चतर गुणवत्ता के होने चाहिए। पीले रंग के सी फार्म पर भारत सरकार का लोगो था। फार्म विशिष्ट संख्या के साथ होना चाहिए जिसे आपूर्ति से पहले जांचा जाना चाहिए। फार्म की भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस) के अनुसार सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से जांच करवाई जानी चाहिए।

ई.टी.सी. कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि सी, ई-1 और ई-11, एफ और एच फार्मों के कागज की गुणवत्ता निम्नतर थी जिसके कारण जाली फार्म आसानी से मुद्रित किए जा सकते थे और फार्मों का टिकाऊपन भी समुचित नहीं था। ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालय ने डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (पश्चिम) को जुलाई 2013 में गलत क्रम संख्या के साथ मुद्रित घोषणा फार्मों की आपूर्ति की थी। अनुदेश के अनुसार ई-1 फार्म क्रम संख्या एच.आर./013 ई-1-00010001 से 50,000 के साथ मुद्रित किए जाने अपेक्षित थे जबकि विभाग ने क्रम संख्या 1,31,141 से 1,31,200 और 1,30,820 से 1,31,000 ई-1 फार्म मुद्रित करवाए और आपूर्ति की। विभाग ने फार्मों के नमूने को बी.आई.एस. मानकों के अनुसार जांच के लिए नहीं भेजा। घोषणा फार्मों पर न भारत सरकार का 'लोगो' खुदा हुआ था और न ही जलचिह्न था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया और विभाग द्वारा जारी अनुदेशों की अनुपालना का आश्वासन दिया।

### 2.3.15.2 घोषणा फार्मों के उचित लेखाओं का रख-रखाव न होना

ई.टी.सी. कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभाग ने वर्ष 2013-14 के दौरान घोषणा फार्म सरकारी प्रेस के साथ-साथ निजी प्रिंटर से मुद्रित करवाए थे परंतु कोई उचित स्टॉक और वितरण रिकार्ड नहीं रखा गया। आगे, चार डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित कमियां प्रकट हुईं:

- डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पानीपत और सोनीपत कार्यालयों में 3,032 सी फार्म वार्ड के रिकार्ड कीपर द्वारा नाजिर (स्टाक का प्रभारी) को वापस किए गए (दिसंबर 2015) परंतु स्टॉक में उन्हें वापस लिया नहीं दिखाया गया। इसके अतिरिक्त, 175 सी. फार्म का हिसाब सी फार्मों के स्टॉक में कम दिखाए गए।
- ई.टी.सी. कार्यालय ने नवंबर 2014 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पानीपत के कार्यालय को 5,000 एच फार्म जारी किए परंतु 1,000 एच फार्म प्राप्त किए गए (नवंबर 2014) परिणामतः 4,000 एच फार्मों की कम प्राप्ति थी।
- डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) रेवाड़ी के कार्यालय में अप्रैल 2017 को 52,000 सी फार्मों का अंतिम स्टॉक था परंतु जारी करने के रजिस्टर में दिए गए ब्यौरे में 5,883 सी फार्म का अंतिम स्टॉक दर्शाया गया था और 46,117 सी फार्मों के अंतर की व्याख्या नहीं की गई।

आगे यह भी देखा गया कि 6 सी फार्मों का लेखा स्टॉक रजिस्टर में कम दिखाया गया था। इसके अलावा, स्टॉक रजिस्टर के अनुसार एफ फार्मों का अंतिम स्टॉक 13,000 फार्मों का था जबकि जारी करने वाले रजिस्टर के अनुसार अप्रैल 2017 को क्लोजिंग स्टॉक 4,080 एफ फार्मों का था। 8,920 एफ फार्मों के अंतर का ब्यौरा नहीं था।

- मेवात में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) नूंह ने डीलरों को 105 'सी' फार्म जारी किए थे परंतु डीलर से पावती प्राप्त नहीं की। इन फार्मों के दुरुपयोग को नकारा नहीं जा सकता।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

### 2.3.15.3 घोषणा फार्मों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन

हरियाणा राज्य को यथा लागू, पंजाब वित्तीय नियम वोल्यूम-1 के नियम 15.16 में निहित प्रावधानों के अनुसार सभी उपभोग्य माल और सामग्री का भौतिक सत्यापन वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए और त्रुटियां, यदि कोई हो, को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त कार्रवाई के लिए स्टॉक रजिस्टर में रिकार्ड किया जाना चाहिए।

ई.टी.सी. और 10 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि घोषणा फार्मों का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा और अनुदेशों की अनुपालना का आश्वासन दिया।

### 2.3.15.4 अन्य राज्यों के वर्तमान एवं अप्रचलित घोषणा फार्मों के नमूने का डेटाबेस

सी.एस.टी. (हरियाणा) नियम, 1957 के नियम 7 (7) और (8) के अनुसार, आबकारी एवं कराधान विभाग, अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकता है कि एक विशेष क्रम, रूप या रंग के घोषणा फार्म को अधिसूचना में निर्दिष्ट दिनांक से अप्रचलित एवं अवैध माना जाएगा। इस अधिसूचना की प्रति अन्य राज्य सरकारों को उनके कार्यालय के गजट में प्रकाशन के लिए भेजी जाएगी।

ई.टी.सी. कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 239 ई-1 घोषणा फार्म अप्रचलित हो गए थे जैसा कि जुलाई 2013 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुरुग्राम (पश्चिम) द्वारा सूचित किया गया परंतु इस बारे कोई अधिसूचना विभाग द्वारा जारी नहीं की गई। अभिलेखों की आगे संवीक्षा से प्रकट हुआ कि अन्य राज्यों के वाणिज्यिक कर विभागों ने घोषणा फार्मों के नमूने की मांग की जिसकी विभाग द्वारा आपूर्ति की गई परंतु जाली या नकली घोषणा फार्मों को पहचानने के लिए अन्य राज्य के घोषणा फार्मों के नमूने रखने में विफल रहे। अतः, अवैध और अप्रचलित घोषणा फार्मों के स्वीकृत किए जाने का जोखिम था।

### 2.3.15.5 रियायतों/छूटों के डाटाबेस का न रखा जाना

सी.एस.टी. अधिनियम, 1956 तथा उसके अंतर्गत बनाए नियमों के अधीन, पंजीकृत डीलर फार्म 'सी' और 'एफ' में निर्धारित घोषणापत्रों की प्रस्तुति पर अंतर्राज्यीय लेन-देनों पर कर पर कुछ छूटों और रियायतों के योग्य है जिससे राज्य के राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव है। हरियाणा से बाहर बेचे/स्थानांतरित मुख्य वस्तुओं पर छोड़े गए राजस्व का डेटाबेस अनिवार्य है ताकि विभाग उन वस्तुओं के बारे में सतर्क रहे जहां डीलर भारी संख्या में रियायतों और छूटों के दावे करने को वरीयता देते हैं।

ई.टी.सी. और दस डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों के जनवरी 2017 और मई 2017 के मध्य अभिलेखों की संवीक्षा से संकेत मिला कि विभाग ने ऐसी छूट/रियायत का डाटाबेस नहीं रखा हुआ था। ऐसे डाटाबेस को विभाग द्वारा वास्तविक समय के आधार पर फार्मों के मुद्रण, जारी करने, स्टॉक और उपयोग पर निगरानी के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) के तौर पर प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसा डाटाबेस दी गई छूट/रियायत के क्रास सत्यापन और छोड़ी हुई वस्तुओं पर राजस्व की मॉनीटरिंग के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। राज्य सरकार ऐसे डाटाबेस को राज्य की राजस्व नीति बनाने के लिए भी प्रयोग कर सकती है।

### 2.3.16 मॉनीटरिंग

अधिनियमों के पालन एवं कार्यान्वयन के लिए विभाग में प्रभावी मॉनीटरिंग यंत्रावली अपेक्षित है। संदिग्ध डीलरों का ऑनलाईन डाटाबेस रखकर, धोखाधड़ी के मामलों की सूची बनाकर, सामयिक रिपोर्ट, विभागीय अनुदेशों की अनुपालना और उच्चतर प्राधिकारियों के निर्देश, अनुवर्ती कार्रवाई और कर अपवंचन रोकने के लिए फील्ड कार्यालयों के निरीक्षण के माध्यम से प्रभावी मॉनीटरिंग की जा सकती है।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभाग ने फील्ड कार्यालयों द्वारा घोषणा फार्म की प्राप्ति और जारी करने की आवधिक रिपोर्ट निर्धारित नहीं की थी। भले ही घोषणा फार्मों के क्रास सत्यापन की प्रक्रिया, समय-समय पर जारी किए अनुदेशों/निर्देशों की अनुपालना की उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा मॉनीटरिंग नहीं की गई जैसा कि नीचे चर्चित है:

#### (ए) जाली/अवैध घोषणापत्रों का प्रयोग करने वाले संदिग्ध डीलरों की घोषणा के लिए प्रणाली का अभाव

कर के अपवंचन को रोकने के लिए विभाग संदिग्ध डीलरों की उनके पिछले इतिहास पर आधारित डाटाबेस रखे, जिसमें धोखाधड़ी, फार्मों का दुरुपयोग, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में कर की छूट या रियायत का लाभ उठाने के लिए इन डीलरों द्वारा अवैध फार्मों का प्रयोग के मामलों की सूची हो। यह डाटाबेस, यदि बने और विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए तो न केवल संदिग्ध रिकार्ड वाले डीलरों पर निगरानी रखना विभाग के लिए सुगम करेगा बल्कि अन्य राज्यों को भी ऐसे डीलरों से सचेत करेगा और ऐसे मामलों की प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, ऐसी यंत्रावली की विद्यमानता उन डीलरों के लिए रोकथाम का कार्य करेगी जो ऐसे गलत कार्यों में संलिप्त हों।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पश्चिम) और झज्जर के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि दो डीलर वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान अवैध घोषणा फार्म बार-बार प्रस्तुत कर रहे थे परंतु विभाग उन्हें संदिग्ध डीलर घोषित करने में विफल रहा।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकारा और संदिग्ध डीलर जो जाली घोषणा फार्मों के प्रयोग में संलिप्त हैं की सूची तैयार करने का आश्वासन दिया।

**(बी) उच्चतर प्राधिकारियों के निर्देशों की अनुपालना न करना**

जे.ई.टी.सी. (रेंज) गुरुग्राम ने, अप्रैल 2016 में डी.ई.टी.सी. (गुरुग्राम) को सरकारी राजस्व के हित में एच.वी.ए.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन क्रय/विक्रय के सत्यापन और अपेक्षित कार्रवाई के बारे में अनुदेश जारी किए।

(i) डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुरुग्राम (पश्चिम) और जौंद के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि दो डीलरों को फार्म वैट सी-4 की प्रस्तुति के विरुद्ध ₹ 2.13 करोड़ के आई.टी.सी. की अनुमति दे दी गई थी। खरीद के सत्यापन की रिपोर्टों के अनुसार, विक्रेता डीलर ने क्रेता डीलर को कोई विक्रय नहीं दर्शाया था, और विक्रेता डीलर का पंजीकरण प्रमाण-पत्र क्रय/विक्रय के लेन-देन से पहले रद्द कर दिया गया था। संयुक्त ई.टी.सी. (रेंज), गुरुग्राम द्वारा कर और पेनल्टी लगाने के लिखित अनुदेशों के बावजूद ए.ए. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और अवैध फार्म वैट सी-4 के विरुद्ध आई.टी.सी. की अनुमति दे दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.13 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 6.38 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रहणीय थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकारा और आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(ii) डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुरुग्राम (पश्चिम) के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक डीलर को फार्म वैट सी-4 की प्रस्तुति के विरुद्ध 0.60 करोड़ के आई.टी.सी. की अनुमति दे दी। खरीद के सत्यापन की रिपोर्टों के अनुसार, विक्रेता डीलर ने इस डीलर को की गई बिक्री पर कर अदा नहीं किया था। तदनुसार, ए.ए. ने ₹ 0.60 करोड़ की आई.टी.सी. की अनुमति रद्द कर दी। अपील पर संयुक्त ई.टी.सी. (अपील) फरीदाबाद ने मामला ए.ए. को आई.टी.सी. की अनुमति रद्द करने और ब्याज प्रभारित करने और पेनल्टी लगाने पर नए निर्णय के लिए वापस भेज दिया (अक्टूबर 2013)। अक्टूबर 2015 में पुनर्विचार मामलों पर निर्णय देते समय ए.ए. ने ₹ 0.60 करोड़ की आई.टी.सी. की अनुमति रद्द कर दी पर पेनल्टी लगाने में विफल रहे। पेनल्टी के उद्ग्रहण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.80 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकारा तथा आश्वासन दिया कि माननीय ट्रिब्यूनल के निर्णय के बाद पेनल्टी लगाई जाएगी।

**(सी) विभागीय अनुदेशों की अनुपालना न करना**

मार्च 2006 और जुलाई 2013 में जारी अनुदेशों के अनुसार ए.एज द्वारा निर्धारण के अंतिमकरण से पहले राज्य के भीतर तथा बाहर अन्य डीलरों के अभिलेखों के क्रास सत्यापन के माध्यम से लेन-देनों की प्रमाणिकता की पुष्टि करनी अपेक्षित थी।

छः<sup>25</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 176 मामलों में कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 43.80 करोड़ के कर वाले माल की अंतर्राज्यीय बिक्री/हस्तांतरण के लेनदेन का सत्यापन किए बिना, सी फार्मों के विरुद्ध कर की रियायत दर और ₹ 1,347.54 करोड़ मूल्य के एफ फार्मों के विरुद्ध कर की छूट की अनुमति दे दी। उपर्युक्त अनुदेशों की अनुपालना न होने को ध्यान में रखते हुए कर की छूट/रियायत की प्रमाणिकता का सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

विभाग ने बताया कि लेन-देनों/फार्मों के सत्यापन के लिए मार्गनिदेश केवल संवीक्षा मामलों के लिए थे। विभाग का उत्तर सही नहीं था क्योंकि डीलर केवल स्थानीय घोषणा फार्म प्रस्तुत करने के लिए छूट प्राप्त थे तथा सी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत कर की रियायत/छूट प्राप्त करने के लिए उनसे सभी आवश्यक दस्तावेज/घोषणा फार्म प्रस्तुत करने अपेक्षित थे।

**(डी) अवैध वैट सी-4 फार्मों के विरुद्ध आई.टी.सी. का लाभ**

एच.वी.ए.टी. नियम, 2003 के नियम 20 में निहित प्रावधानों के अनुसार, विक्रेता डीलर द्वारा फार्म वैट सी-4 पर बढ़ते क्रम में क्रम संख्या, वर्ष तथा कर के भुगतान के विवरण मुद्रित होने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा (फरवरी और मई 2017 के मध्य) कि चार<sup>26</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों ने 92 डीलरों को 2010-11 से 2014-15 वर्षों के दौरान ₹ 1,078.04 करोड़ मूल्य की खरीद पर वैट सी-4 की प्रस्तुति के विरुद्ध ₹ 53.68 करोड़ की आई.टी.सी. की अनुमति दी। फार्म वैट सी-4 की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि इन फार्मों पर विक्रेता डीलर द्वारा क्रम संख्या, वर्ष तथा कर के भुगतान के विवरण मुद्रित नहीं थे। प्रावधानों की अनुपालना न होने के कारण लेखापरीक्षा में ₹ 53.68 करोड़ के आई.टी.सी. की सत्यता का सत्यापन नहीं हो सका।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा और इन मामलों का सत्यापन करने का आश्वासन दिया।

**(ई) एक मास से अधिक के लेन-देनों से निहित एफ फार्मों की स्वीकृति**

सी.एस.टी. नियम 1957 के नियम 12 (5) के साथ पठित सी.एस.टी. अधिनियम 1956 की धारा 6ए के अनुसार पंजीकृत डीलर द्वारा माल की आवाजाही और प्रेषणी द्वारा प्राप्त करने वाले मुख्यालय/शाखा कार्यालय द्वारा प्राप्ति फार्म एफ में घोषणा प्रस्तुत करके सिद्ध करना अपेक्षित है। इसके अलावा, एक एफ फार्म केवल एक कलैण्डर मास के दौरान किए माल के हस्तांतरण को आवृत करेगा।

<sup>25</sup> गुरुग्राम (पूर्व), झज्जर में बहादुरगढ़, जींद, पलवल, पानीपत तथा सोनीपत।

<sup>26</sup> झज्जर, पानीपत, रेवाड़ी तथा सिरसा।



डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फतेहाबाद, पलवल और पानीपत के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि पांच डीलरों ने ₹ 8.94 करोड़ मूल्य के स्टॉक हस्तांतरण के लाभ का दावा किया और नवंबर 2013 और मार्च 2016 के मध्य निर्धारण अंतिम करते समय ए.एज द्वारा इसकी अनुमति दे दी गई। आगे फार्म 'एफ' की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि इन फार्मों में एक माह से अधिक में किए गए लेन-देन निहित थे।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा और विभागीय अनुदेशों के अनुसरण का आश्वासन दिया।

#### **(एफ) एच फार्मों के विरुद्ध कर की गलत छूट**

जैसा सी.एस.टी. नियम 1957 के नियम 12 (10) के अधीन प्रावधान है, ए.एज को फार्म एच प्रथम निर्धारण के समय तक प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे, नवंबर 2012 में जारी अनुदेशों द्वारा ए.एज को फार्मों एच/वैट डी-2 के प्रस्तुत करने के लिए समय की अनुमति न देने के निर्देश दिए गए थे।

डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (पूर्व), झज्जर और पानीपत के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ए.एज ने 16 डीलरों के निर्धारण के समय ₹ 25.66 करोड़ मूल्य के फार्म एच की प्रस्तुति न करने के एवज में कर की पूर्ण दर पर मामलों का निर्धारण किया और एच फार्म की प्रस्तुति पर छूट के लाभ की अनुमति निर्धारण के बाद दे दी। ए.एज द्वारा इन फार्मों को निर्धारण की तिथि तक स्वीकृत करना अपेक्षित था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.31 करोड़ के कर की गलत छूट दी गई।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा और विभागीय अनुदेशों का अनुसरण करने का आश्वासन दिया।

#### **(जी) हस्तचालित सी फार्मों को गलत जारी करना**

प्रत्येक पंजीकृत डीलर, जो अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, एक पंजीकृत डीलर को विक्रय करता है, सी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत घोषणा फार्म सी के विरुद्ध दो प्रतिशत की रियायती दर पर कर के भुगतान का दायी होगा।

विभाग ने जून 2015 से प्रभावी सी फार्मों को ऑनलाइन जारी करने की नई प्रणाली आरंभ की परंतु सी फार्म जारी करने की पुरानी प्रणाली, सी फार्म ऑनलाइन जारी करना प्रारंभ करने के बाद भी चालू रही। सी फार्म ऑनलाइन जारी करना प्रारंभ करने के बाद भी 69,967 सी फार्म 10 चयनित जिलों द्वारा हस्तचालित जारी किए गए। आगे, 1,15,966 सी फार्म दस डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों के स्टॉक में पड़े थे। विभाग ने केवल सी फार्म ऑनलाइन जारी करना प्रारंभ किया परंतु अन्य केंद्रीय घोषणा फार्म अभी भी हस्तचालित जारी किए जा रहे थे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारा तथा आश्वासन दिया कि सभी हस्तचालित सी फार्म मुख्य कार्यालय में वापस मंगवा लिए जाएंगे।

### 2.3.17 निष्कर्ष

विभाग ने सुरक्षा मानकों के साथ केंद्रीय फार्मों के मुद्रण तथा उसका उपयुक्त रिकार्ड रखना सुनिश्चित नहीं किया। केंद्रीय घोषणा फार्मों/लेन-देनों और अवैध फार्मों के विरुद्ध छूट/हस्तांतरण पर कर की रियायत/अविद्यमान डीलरों को माल की बिक्री की अनुमति का सत्यापन करने में विभागीय अनुदेशों की अनुपालन न करने के मामले देखे गए। घोषणापत्र फार्मों के दुरुपयोग के लिए अतिरिक्त कर और पेनल्टी का उद्ग्रहण न होने के मामले देखे गए। बिक्री का गलत श्रेणीकरण, अवैध दस्तावेजों के विरुद्ध अनुमत कटौतियां और घोषणा फार्मों के बिना बिक्री पर कर के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण के मामले देखे गए जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

### 2.3.18 सिफारिशें

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार विचार करे:

- (i) लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए अनुसार, देय करों की लागू ब्याज तथा पेनल्टी सहित वसूली की जांच करने के लिए, विभाग को अनुदेश जारी करे;
- (ii) नकली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले डीलरों के विरुद्ध एच.वी.ए.टी. अधिनियम/सी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाए;
- (iii) संदिग्ध डीलरों का डाटाबेस कर की समझ प्रयोजनों के लिए रखा जाए; तथा
- (iv) आंतरिक नियंत्रण एवं मानीटरिंग यंत्रावली में त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए, विभाग को राज्य राजस्व के और रिसाव को रोकने के लिए जी.एस.टी. के अधीन मॉनीटरिंग के वर्धित स्तर को सुनिश्चित करना चाहिए।

## अन्य अनुपालन अभ्युक्तियाँ

### 2.4 बिक्रियों/क्रयों के छिपाव के कारण करों का अपवंचन

108 अपंजीकृत निर्माण-कार्य ठेकेदारों तथा 28 डीलरों ने ₹ 247.25 करोड़ के विक्रय छिपाए, परिणामस्वरूप ₹ 49.78 करोड़ के कर एवं पेनल्टी का अपवंचन हुआ। विभाग द्वारा पांच मामलों में 14 से 19 माह की समाप्ति के बाद भी ₹ 11.43 करोड़ की पेनल्टी के उद्ग्रहण के लिए कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी। 19 मामलों में ₹ 83.72 करोड़ का स्टॉक छिपाया गया था परिणामस्वरूप ₹ 24.28 करोड़ के कर एवं पेनल्टी का अपवंचन हुआ। डीलरों ने तीन मामलों में ₹ 5.08 करोड़ का क्रय छिपाया था परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ के कर एवं पेनल्टी का अपवंचन हुआ।

#### 2.4.1 प्रस्तावना

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों राज्य में आयातों या माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे तथा गलत लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित किए गए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जिसमें किसी सामग्री के विवरण झूठे या गलत हैं, ऐसा प्राधिकारी उसे, कर जो उस पर निर्धारित किया जाता है या निर्धारित किया जाना दायी है, के अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में कर की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निदेश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा या सही स्वीकार कर लिया जाता।

पन्द्रह<sup>27</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों के वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान तैयार किए गए निर्धारण से संबंधित अभिलेखों की मार्च 2015 तथा जून 2017 के मध्य नियमित लेखापरीक्षा के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए नमूना-जांच की गई थी कि क्या सभी विक्रय/क्रय समुचित रूप से ध्यान में रखे गए थे तथा डीलरों द्वारा कर का अपवंचन रोकने के लिए नियमों एवं अनुदेशों की अनुपालना की गई थी। अपंजीकृत निर्माण-कार्य ठेकेदारों द्वारा कर के अपवंचन की सीमा की जांच करने के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.) तथा नगर निगमों (एम.सी.) से भी सूचना एकत्र की गई थी।

#### 2.4.2 अपंजीकृत डीलरों/ठेकेदारों द्वारा बिक्रियों के छिपाव के कारण कर का अपवंचन

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 48 निर्धारित करती है कि कर-निर्धारण प्राधिकारी (ए.ए.) किसी कार्यवाही से संबंधित अन्य विभागों/निगम/व्यक्तियों से अथवा कर प्रबंध के लिए उपयोगी सूचना/डाटाबेस की मांग कर सकता है। धारा-16 में अपंजीकृत डीलरों के कर-निर्धारण के दौरान नियत किए गए कर के बराबर कर तथा पेनल्टी के उद्ग्रहण का प्रावधान है। आगे, एच.वी.ए.टी. नियम का नियम 10 (2) प्रावधान करता है कि एक डीलर, जिसके मामले में एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 3 (2) में विनिर्दिष्टानुसार कर-योग्य प्रमात्रा ₹ पांच लाख है, यदि किसी वर्ष में उसका सकल टर्नओवर पहली बार कर-योग्य प्रमात्रा से

<sup>27</sup> अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), हिसार, जगाधरी, जींद, कैथल, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा तथा सोनीपत।

अधिक हो जाता है तो वह अगले दिन से कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा तथा एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 11 (2) के अंतर्गत पंजीकरण अपेक्षित है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) हिसार, अंबाला तथा पंचकूला के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभाग ने अन्य विभागों के पास उपलब्ध सूचना, जो कर के अपवंचन का पता लगाने के लिए अपंजीकृत डीलरों की पहचान करने, पंजीकरण करने तथा निर्धारण करने की प्रक्रिया को सुगम बनाती, के क्रास सत्यापन हेतु कोई प्रणाली स्थापित नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने कार्यकारी अभियंता, एच.एस.ए.एम.बी. तथा डी.ई.टी.सी.जे के पंजीकरण अभिलेखों के साथ एम.सी. अंबाला, पंचकूला तथा हिसार के कार्यालयों से एकत्र सूचना का क्रास सत्यापन किया तथा यह पाया गया था कि 108 डीलरों (निर्माण ठेकेदारों) ने पंजीकरण के लिए ₹ पांच लाख के कर-योग्य टर्नओवर की सीमा पार की थी। उन्होंने 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान निर्माण ठेकों के कार्यान्वयन हेतु ₹ 87.42 करोड़ के भुगतान प्राप्त किए। परंतु इन ठेकेदारों ने एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत स्वयं को पंजीकृत नहीं करवाया तथा ₹ 87.42 करोड़ की बिक्री छिपाई। संग्रहण तथा अन्य विभागों से सूचना के क्रास सत्यापन हेतु प्रणाली का आरंभ करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप इन अपंजीकृत डीलरों से ₹ 4.65 करोड़ के कर की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत ₹ 4.65 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. हिसार ने उत्तर दिया (मई 2017) कि एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अनुसार अपंजीकृत डीलरों/ठेकेदारों का पंजीकरण करने के लिए कार्रवाई आरंभ की जाएगी। ए.ए. अंबाला तथा पंचकूला से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

### 2.4.3 बिक्री के छिपाव के कारण कर का अपवंचन

माल के जाली टैक्स इनवाईसिस या झूठे लेखांकन जारी करके कर अपवंचन रोकने के उद्देश्य से ई.टी.सी. हरियाणा ने वर्ष में एकल वैट डीलर से ₹ एक लाख से अधिक योग वाले सभी बिक्री/खरीद लेनदेनों के सत्यापन हेतु अनुदेश जारी (मार्च 2006) किए। आगे, बेहतर कर प्रशासन हेतु कर अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण पर विचारार्थ वैट का आरंभ किया जाना चाहिए। सभी बिक्री/खरीद लेन-देन, बिक्री/खरीद लेन-देनों के सत्यापन हेतु विभागीय वैबसाइट पर अपलोड किए जाने चाहिए।

2.4.3.1 ग्यारह<sup>28</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के वर्ष 2011-12 से 2014-15 के अभिलेखों की संवीक्षा तथा 2013-14 से 2015-16 के दौरान ए.ए. द्वारा कर-निर्धारण ने प्रकट किया कि 19 डीलरों ने उनके तिमाही/वार्षिक रिटर्नों में ₹ 124.68 करोड़ की बिक्रियां नहीं दर्शाई थी, हालांकि क्रेता डीलर ने इन डीलरों से किए गए क्रयों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) का दावा किया था। क्रय/विक्रय लेन-देन विभाग द्वारा वैबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए थे तथा ए.ए. ने कर-निर्धारण अंतिम करते समय क्रेता के अभिलेखों के संदर्भ में बिक्री के छिपाव के विवरण सत्यापित नहीं किए परिणामस्वरूप ₹ 124.68 करोड़ की बिक्री का छिपाव हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.86 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त

<sup>28</sup> अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व तथा पश्चिम), गुरुग्राम (पूर्व तथा पश्चिम), जींद, कैथल, पंचकूला, पानीपत तथा सिरसा।

₹ 23.58 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर ए.एज कैथल, फरीदाबाद (पूर्व) तथा सिरसा ने बताया (मई तथा जून 2017) कि तीन मामलों में ₹ 5.59 करोड़ की मांग सृजित की गई थी। तीन<sup>29</sup> ए.एज ने बताया कि पांच मामले पुनरीक्षण प्राधिकारी (आर.ए.) को स्वतः कार्रवाई हेतु भेज दिए गए थे। ए.ए. फरीदाबाद (पश्चिम) ने बताया कि दो मामलों में पुनः कर-निर्धारण हेतु नोटिस जारी किए गए थे। ए.ए. फरीदाबाद (पूर्व) ने बताया कि एक मामला परीक्षाधीन था। ए.ए. भिवानी ने बताया कि एक डीलर ने पानीपत के क्रेता डीलर को माल की बिक्री न करने के संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था। ए.ए. का उत्तर सही नहीं था क्योंकि विक्रेता/क्रेता डीलरों के मध्य बिक्री/खरीद लेन-देनों के संबंध में समुचित जांच के बिना शपथ-पत्र के तथ्यों को स्वीकार नहीं किया जा सकता चूंकि क्रेता डीलर ने विक्रेता डीलर से किए गए क्रयों के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ का दावा किया था। ए.ए. जींद ने बताया कि एक मामले में बिक्री के छिपाव के तथ्यों का सत्यापन करने के लिए डी.ई.टी.सी. करनाल से पूछताछ की जाएगी (मई 2017)। ए.एज गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम) तथा भिवानी से पांच मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

**2.4.3.2** चार<sup>30</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के वर्ष 2010-11 से 2013-14 के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विक्रेता डीलरों ने एच.वी.ए.टी. की धारा 14 के प्रावधानों के उल्लंघन में चार मामलों में उनके तिमाही/वार्षिक रिटर्न फाइल नहीं किए थे, तथा विक्रेता डीलरों ने उनके तिमाही रिटर्न में छः मामलों में क्रेता डीलरों को उनकी बिक्री नहीं दर्शाई थी और इन मामलों में ए.ए. द्वारा कोई कर-निर्धारण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए सत्यापन पर यह देखा गया था कि क्रेता डीलरों ने इन डीलरों से किए गए ₹ 35.15 करोड़ के क्रयों के आधार पर आई.टी.सी. के लाभ का दावा किया था तथा विक्रेता डीलरों ने क्रेता डीलरों को किए गए विक्रयों पर कर का भुगतान नहीं किया था। इस प्रकार, ₹ 35.15 करोड़ की बिक्री के छिपाव के परिणामस्वरूप ₹ 2.26 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 6.78 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर ए.एज फरीदाबाद (पूर्व) तथा फरीदाबाद (पश्चिम) ने चार मामलों में बताया कि मार्च 2016 तथा मार्च 2017 के मध्य ₹ 2.40 करोड़ की मांग सृजित की गई थी। ए.एज पानीपत तथा गुरुग्राम (पश्चिम) ने दो मामलों में बताया कि ये आर.ए. को स्वतः कार्रवाई हेतु भेज दिए गए थे। ए.ए. फरीदाबाद (पूर्व) ने बताया कि तीन मामलों में डीलरों को नोटिस जारी किए गए थे। ए.ए. फरीदाबाद (पश्चिम) ने बताया कि फर्म का पंजीकरण प्रमाण-पत्र (आर.सी.) 24 फरवरी 2011 को रद्द किया गया था क्योंकि डीलर ने 2009 से रिटर्न फाइल नहीं की थी। ए.ए. का उत्तर सही नहीं था क्योंकि ए.ए. को अधिनियम की धारा 15 (5) के प्रावधानों के अनुसार मामले का कर-निर्धारण करना था जिसमें यदि एक डीलर रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है तो ए.ए. को तीन वर्षों की समाप्ति से पहले मामले का कर-निर्धारण करना होता है। इसके अतिरिक्त डीलर ने वर्ष 2010-11 में बिक्रियां

<sup>29</sup> अंबाला, पंचकूला तथा पानीपत।

<sup>30</sup> फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (पश्चिम) तथा पानीपत।

की क्योंकि क्रेता डीलरों ने इन बिक्रियों के विरुद्ध आई.टी.सी. के लाभ का दावा किया था। ए.ए. पानीपत से एक मामले में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

#### 2.4.4 पेनल्टी का अनुद्ग्रहण

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पश्चिम) तथा गुरुग्राम (पश्चिम) के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि तीन डीलरों ने वर्ष 2012-13 से 2014-15 के मध्य पांच मामलों में ₹ 73.56 करोड़ की बिक्रियां छिपाईं। कर-निर्धारण अंतिम करते समय (जून 2015 तथा अगस्त 2015 के मध्य) ए.एज ने ₹ 3.81 करोड़ का कर उद्ग्रहीत किया किंतु ₹ 11.43 करोड़ की पेनल्टी का उद्ग्रहण करने में विफल रहे। इन मामलों में से डी.ई.टी.सी. कार्यालय गुरुग्राम (पश्चिम) तथा फरीदाबाद (पश्चिम) के तीन मामलों में कर-निर्धारण आदेश में यह उल्लिखित किया गया था कि धारा 38 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई पृथक रूप से की जाएगी किंतु 14 से 19 माह की समाप्ति के बाद भी ए.एज द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस प्रकार, ए.एज की ओर से कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप ₹ 11.43 करोड़ की पेनल्टी का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

यह इंगित किए जाने पर ए.एज गुरुग्राम (पश्चिम) ने बताया कि एक मामले में डीलर को नोटिस जारी किया गया था। ए.ए. फरीदाबाद (पश्चिम) ने चार मामलों में बताया (फरवरी 2017) कि डीलरों को नोटिस जारी किए जाएंगे।

#### 2.4.5 स्टॉक के छिपाव के कारण कर का अपवंचन

आठ<sup>31</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के वर्ष 2011-12 से 2014-15 के अभिलेखों की संवीक्षा तथा वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान ए.एज द्वारा कर-निर्धारण ने प्रकट किया कि 11 मामलों में डीलरों के विक्रय/क्रय के अनुसार क्लोजिंग स्टॉक ₹ 31.54 करोड़ लिया जाना था किंतु ट्रेडिंग अकाउंट के अनुसार यह ₹ 8.48 करोड़ था। पांच मामलों में डीलरों ने ₹ 53.68 करोड़ का माल खरीदा किंतु ट्रेडिंग अकाउंट के अनुसार ये माल न तो बेचे गए थे और न ही क्लोजिंग स्टॉक में लिए गए थे। डी.ई.टी.सी. पानीपत के एक मामले में वर्ष 2011-12 के लिए डीलर का क्लोजिंग स्टॉक ₹ 0.96 करोड़ था, तथापि, वर्ष 2012-13 के लिए ओपनिंग स्टॉक ₹ 0.06 करोड़ लिया गया था। दो मामलों में क्लोजिंग स्टॉक ₹ 6.48 करोड़ लिया जाना था किंतु ट्रेडिंग अकाउंट में ₹ 0.40 करोड़ लिया गया था तथा शेष स्टॉक मूल्य 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि लेखा में लिया गया था। इस प्रकार, ₹ 83.72 करोड़ का स्टॉक डीलरों द्वारा छिपाया गया था परिणामस्वरूप ₹ 6.07 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 18.21 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रहण थी।

यह इंगित किए जाने पर ए.एज जगाधरी, सिरसा तथा पानीपत ने बताया कि 12 मामले आर.ए. को स्वतः कार्रवाई हेतु भेज दिए गए थे। ए.ए. गोहाना ने एक मामले में बताया कि मामला परीक्षाधीन था। ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) तथा गुरुग्राम (पश्चिम) ने बताया कि तीन मामलों में डीलरों को नोटिस जारी किए गए थे। ए.ए. फरीदाबाद (पश्चिम) ने बताया कि एक डीलर ने टाइम बार स्टॉक बेचा था। ए.ए. का उत्तर सही नहीं था क्योंकि रसीद माल की

<sup>31</sup> फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), जगाधरी, जींद, पानीपत, सिरसा तथा ई.टी.ओ. गोहाना (सोनीपत)।

बिक्री में लेने की बजाय 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाई गई थी। ए.ए. जीद ने एक मामले में उत्तर दिया कि सभी बिक्रियां वार्षिक रिटर्न (वैट आर-2) में ली गई थी। ए.ए. का उत्तर सही नहीं था क्योंकि डीलर द्वारा दर्शाई गई बिक्रियां तीसरी और चौथी तिमाहियों में ₹ 1.03 करोड़ की खरीद के विरुद्ध ₹ 0.57 करोड़ की थी तथा ₹ 0.46 करोड़ का शेष माल क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लिया गया था। ए.ए. जगाधरी ने एक मामले में उत्तर दिया कि माल स्टॉक में लिया गया था। ए.ए. का उत्तर सही नहीं था क्योंकि डीलर ने स्टॉक का मूल्य 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि लेखा में लिया था जिसका कर-निर्धारित नहीं किया गया था।

#### 2.4.6 क्रयों के छिपाव पर कर तथा पेनल्टी का अनुद्ग्रहण

तीन<sup>32</sup> डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के वर्ष 2011-12 से 2013-14 के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान कर-निर्धारण किए गए तीन मामलों में ₹ 5.08 करोड़ के क्रय कम बताए गए थे। डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (पूर्व) के एक मामले में विक्रेता डीलर ने ₹ 10.68 करोड़ की बिक्री की किंतु क्रेता डीलर ने ₹ 10.06 करोड़ की खरीद ली। डी.ई.टी.सी. अंबाला के एक मामले में ₹ 3.28 करोड़ का स्टॉक राज्य के बाहर से प्राप्त किया गया था किंतु खाते में लिया गया स्टॉक ₹ 3.04 करोड़ का था। डी.ई.टी.सी. रेवाड़ी के एक मामले में डीलर ने ₹ 4.22 करोड़ की अंतर्राज्य क्रय किए किंतु ये क्रय खाते में नहीं लिए गए थे। इस प्रकार, ₹ 5.08 करोड़ के क्रयों के छिपाव के परिणामस्वरूप ₹ 0.27 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 0.82 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रहण थी।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए.ज अंबाला ने बताया (मई 2017) कि मामला आर.ए. को स्वतः कार्रवाई हेतु भेज दिया गया था। ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने बताया (अगस्त 2015) कि डीलर को नोटिस जारी किया गया था। ए.ए. रेवाड़ी ने बताया (मई 2017) कि पुनः कर-निर्धारण प्रक्रिया आरंभ की गई थी।

#### निष्कर्ष

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ की गई थी कि क्या सभी विक्रय/क्रय समुचित रूप से लेखे में लिए गए थे तथा डीलरों द्वारा कर का अपवंचन रोकने के लिए नियमों/अनुदेशों की अनुपालना की गई थी। लेखापरीक्षा ने स्थापित किया कि विक्रयों/क्रयों की गणना तथा अन्य विभागों से डाटा के संग्रहण के संबंध में नियमों/अनुदेशों का अनुसरण नहीं किया गया था परिणामस्वरूप ₹ 86.58 करोड़ के कर तथा पेनल्टी का अपवंचन हुआ।

उपर्युक्त बिंदु आबकारी एवं कराधान विभाग तथा सरकार को जून 2017 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

## 2.5 गलत वर्गीकरण के कारण कर का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 6.63 करोड़ के कर तथा ₹ 3.00 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (1) (ए) (iii) एवं (iv) विनिर्दिष्ट करती है कि माल के वर्गीकरण के आधार पर अधिनियम की 'ए' से 'जी' तक की अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट दरों पर कर उद्ग्रहण है। उपर्युक्त अनुसूचियों में वर्गीकृत न की गई मर्दों पर, 1 जुलाई 2005 से 12.5 प्रतिशत कर की सामान्य दर पर कर उद्ग्रहण है।

**2.5.1** प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग ने 25 मार्च 2013 को स्पष्ट किया कि सभी प्रकार के टैक्सटाइल्स, जिन पर मूल्य बढ़ाने वाला कार्य जैसे बुनाई, कढ़ाई किया गया है, पर अवर्गीकृत माल के रूप में कर उद्ग्रहण है। आगे, 02 अप्रैल 2010 से कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी उद्ग्रहण था। इसके अतिरिक्त, कर के भुगतान में चूक के मामले में, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्रहण था।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम) तथा सोनीपत के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि तीन डीलरों ने 2011-12 तथा 2013-14 के मध्य ₹ 44.33 करोड़ के कढ़ाई किए गए फैब्रिक्स बेचे तथा माल का कर मुक्त के रूप में दावा किया। ए.ए.ए. ने नवंबर 2013 तथा नवंबर 2015 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम करते समय, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की अनुसूची 'बी' के अंतर्गत इसे फैब्रिक्स की बिक्री के रूप में मानते हुए कटौतियां अनुमत कर दी। तथापि, कढ़ाई किए गए फैब्रिक्स, विनिर्दिष्ट न होने के कारण 13.125 प्रतिशत की दर पर करयोग्य थी। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 5.82 करोड़ की राशि के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 2.79 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सोनीपत ने सूचित किया (मार्च 2017) कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। ए.ए. गुरुग्राम (पश्चिम) ने मार्च 2017 में सूचित किया कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा। ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने जुलाई 2017 में सूचित किया कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था।

**2.5.2** वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार ने 18 नवंबर 2011 को स्पष्ट किया कि हाई डेनसिटी पोलिथिलिन पाईपस (एच.डी.पी.ई.) कर मुक्त मद नहीं हैं। प्रधान सचिव ने आगे 11 मार्च 2013 को स्पष्ट किया कि सभी प्रकार की पाईपें कर योग्य हैं तथा एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा की अनुसूची 'सी' की प्रविष्टि 60 के अंतर्गत आवृत हैं और पांच प्रतिशत की दर पर कर योग्य हैं। 02 अप्रैल 2010 से कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी उद्ग्रहण है। आगे, कर के भुगतान में चूक के मामले में, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्रहण था।



डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पूर्व) तथा रेवाड़ी के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि दो डीलरों ने 2012-13 में ₹ 8.56 करोड़ के पाईप बेचे तथा पाईपों की बिक्री को कर मुक्त के रूप में दावा किया। ए.एज ने अगस्त तथा नवंबर 2014 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम करते समय एच.वी.ए.टी. अधिनियम की अनुसूची 'बी' के अंतर्गत इसे कर मुक्त माल के रूप में मानते हुए कटौतियां अनुमत कर दी। तथापि, पाईपें अनुसूची 'सी' में वर्गीकृत हैं तथा पांच प्रतिशत की दर पर कर एवं सरचार्ज कर योग्य हैं। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 44.94 लाख की राशि के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ, इसके अतिरिक्त, ₹ 21.41 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. फरीदाबाद (पूर्व) ने बताया (सितंबर 2016) कि ₹ 36.95 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। ए.ए. रेवाड़ी ने सूचित किया (मार्च 2017) कि पुनः कर-निर्धारण हेतु डीलर को नोटिस भेजा गया था।

**2.5.3** सरकार ने 23 जून 2014 को स्पष्ट किया कि जहां तक 'विभिन्न पैकेजिंग में पनीर तथा कॉटेज चीज' का संबंध है यह 'कॉटेज चीज' है जोकि अनुसूची 'सी' की प्रविष्टि-81 के अंतर्गत आता है अर्थात् 'स्कीमड मिल्क पाउडर, अल्ट्रा हाई टैंप्रेचर मिल्क, कॉटेज चीज', इस प्रकार पांच प्रतिशत की दर पर कर योग्य है किंतु 'पनीर' कॉमन ट्रेड पारलैस में पृथक एवं विशेष उपयोगी वस्तु होने से अवर्गीकृत मद होने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर पर वैट आकृष्ट करेगा। कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज के रूप में 2 अप्रैल 2010 से अतिरिक्त कर उद्ग्रहण है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पूर्व) तथा जींद के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि तीन डीलरों ने वर्ष 2011-12 से 2012-13 के दौरान ₹ 4.59 करोड़ मूल्य का पनीर तथा मक्खन बेचा पांच प्रतिशत की दर पर ₹ 24.09 लाख के कर तथा उस पर सरचार्ज का भुगतान किया। ए.एज ने सितंबर 2014 तथा मार्च 2016 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम करते समय भी सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार सरचार्ज जमा 12.5 प्रतिशत के कर की सही दर की बजाए सरचार्ज जमा पांच प्रतिशत की दर पर कर उद्ग्रहीत किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 36.13 लाख की राशि के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर ए.एज जींद तथा फरीदाबाद (पूर्व) ने अगस्त 2015 तथा सितंबर 2016 के मध्य सूचित किया दो डीलरों के मामले पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिए गए थे।

मामला अगस्त 2015 तथा फरवरी 2017 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग तथा मार्च एवं अप्रैल 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

## 2.6 बिक्री न किए गए माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ

इयूटी एवं एनटाइटलमेंट पासबुक हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत ढंग से अनुमत किया गया था क्योंकि वह पुनः बिक्री हेतु उपयोग नहीं किया गया था तथा देय सीमा शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया गया था परिणामस्वरूप एक डीलर को ₹ 2.68 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति हुई। आगे, ₹ 1.28 करोड़ की आई.टी.सी. गलत ढंग से अनुमत की गई थी क्योंकि विक्रेता डीलर ने वर्ष के दौरान कोई बिक्री नहीं दर्शाई थी।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, की धारा 8 के अनुसार, माल के क्रय पर आई.टी.सी., ऐसे माल की बिक्री अथवा राज्य में उससे विनिर्मित माल अथवा अन्तर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य पर कर-देयता के विरुद्ध अनुमत है। आगे, अधिनियम की धारा 38, झूठी सूचना तथा गलत लेखाओं या दस्तावेजों इत्यादि के आधार पर दावों के लिए दंडात्मक कार्रवाई (बचाए गए कर/दावे किए गए लाभ तथा तीन गुना पेनल्टी) का प्रावधान करती है।

2.6.1 सरकार ने स्पष्ट किया था (22 अप्रैल 2013) कि आई.टी.सी. केवल तभी उपलब्ध है यदि इयूटी क्रेडिट्स सक्रिप्स पुनः बिक्री के लिए खरीदे जाते हैं तथा यदि ये कस्टम इयूटी के समायोजन के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो कोई आई.टी.सी. अनुमत नहीं होगा।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), रेवाड़ी के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि एक डीलर ने 2011-12 के दौरान ₹ 2.68 करोड़ के वैट के भुगतान के बाद ₹ 51.03 करोड़ मूल्य के इयूटी एनटाइटलमेंट पास बुक (डी.ई.पी.बी.) क्रय किया। डीलर ने उसे, उसके द्वारा देय कस्टम इयूटी के समायोजन के लिए प्रयोग किया। चूंकि डीलर द्वारा माल (सक्रिप्स) बेचे नहीं गए थे, कोई आई.टी.सी. अनुमत नहीं था। तथापि, मार्च 2015 में कर-निर्धारण अंतिम करते समय ए.ए. ने डीलर को आई.टी.सी. दावे अनुमत कर दिए परिणामतः ₹ 2.68 करोड़ के आई.टी.सी. की गलत अनुमति हुई, इसके अतिरिक्त ₹ 2.68 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. रेवाड़ी ने सूचित किया (जुलाई 2017) कि आर.ए. ने ₹ 5.36 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की थी। तथापि, डीलर ने हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल में अपील फाईल की जो अभी तक लंबित है।

2.6.2 ई.टी.सी. हरियाणा ने जुलाई 2013 में अनुदेश जारी किए कि कर के वास्तविक भुगतान के प्रत्येक स्तर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) का शत प्रतिशत सत्यापन किया जाएगा। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), गुरुग्राम (पूर्व) के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि दो डीलरों के वर्ष 2010-11 से 2012-13 के कर-निर्धारण मामले अंतिमकृत किए गए थे (जून 2013 तथा अक्टूबर 2014 के मध्य) तथा विक्रेता डीलर द्वारा कर के भुगतान का सत्यापन किए बिना ₹ 1.28 करोड़ के आई.टी.सी. का लाभ अनुमत किया गया था। सत्यापन पर विक्रेता डीलर पंजीकृत नहीं पाए/शून्य रिटर्न फाइल किए गए पाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ के आई.टी.सी. की गलत अनुमति हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 3.84 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. ने बताया कि मामलों का पुनः कर-निर्धारण किया गया था तथा ₹ 1.24 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 2.54 करोड़ की मांग सृजित की गई थी। ए.ए. के उत्तर पूरी तरह सही नहीं थे क्योंकि ए.ए. से धारा 38 के अंतर्गत ब्याज की बजाय अतिरिक्त मांग पर तीन गुना पेनल्टी उद्ग्रहण करनी अपेक्षित थी।

मामला मई 2015 तथा जुलाई 2016 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग तथा फरवरी एवं मई 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

### 2.7 केन्द्रीय बिक्री पर कर का अनुद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 30 करोड़ की अंतर्राज्य बिक्रियों पर केन्द्रीय बिक्री कर का उद्ग्रहण छोड़ दिया परिणामस्वरूप ₹ 3.77 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सी.एस.टी. अधिनियम) की धारा 9 (2) के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार भारत सरकार की ओर से इस अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त राज्य के सामान्य बिक्री कर कानून के अंतर्गत एक डीलर द्वारा देय किसी कर के कर-निर्धारण, पुनः कर-निर्धारण, भुगतान के संग्रहण एवं प्रवर्तन के लिए कुछ समय के लिए प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान की जाएगी क्योंकि यदि ऐसे डीलर द्वारा देय कर राज्य के सामान्य बिक्री कर कानून के अंतर्गत देय है; तथा इस प्रयोजन के लिए वे राज्य के सामान्य बिक्री कर कानून प्राप्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), सिरसा तथा फरीदाबाद (पश्चिम) के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि दो डीलरों ने वर्ष 2013-14 में ₹ 30 करोड़ मूल्य का माल अन्य राज्य के डीलरों को बेचा। नवंबर तथा दिसंबर 2015 में कर-निर्धारण अंतिम करते समय ए.ए. ने उपर्युक्त बिक्रियों पर सी.एस.टी. का उद्ग्रहण छोड़ दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.77 करोड़ की राशि के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. सिरसा तथा फरीदाबाद (पश्चिम) ने बताया (मई 2016 तथा जनवरी 2017 के मध्य) कि ₹ 3.77 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी।

मामला सितंबर 2016 तथा अप्रैल 2017 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग तथा अप्रैल 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

## 2.8 ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने पांच मामलों में ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया तथा दो मामलों में ब्याज कर के विलंबित भुगतान पर कम उद्ग्रहीत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.51 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) इसके साथ-साथ निर्धारित करती है कि यदि कोई डीलर, अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो यदि भुगतान नब्बे दिनों के अंदर किया जाता है तो एक प्रतिशत प्रति माह की दर पर, तथा चूक नब्बे दिनों के बाद जारी रहती है तो समस्त अवधि के लिए, कर के भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम अवधि से उसके भुगतान करने की तिथि तक दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर साधारण ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), अंबाला, गुरुग्राम (पूर्व) तथा ई.टी.ओ. टोहाना के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि पांच डीलरों ने अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमों के अनुसार कर का भुगतान नहीं किया। ए.एज ने वर्ष 2010-11 तथा 2013-14 के लिए जनवरी 2014 तथा मार्च 2016 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम किए किंतु रिटर्न के अनुसार कर के देरी से भुगतान/भुगतान न करने पर पांच मामलों में ₹ 1.12 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया तथा दो मामलों में ₹ 1.39 करोड़ का ब्याज कर के विलंबित भुगतान पर कम उद्ग्रहीत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.51 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने सूचित किया (सितंबर 2016) कि एक मामले में ₹ 14.14 लाख के ब्याज की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी तथा दो मामलों में ब्याज के उद्ग्रहण हेतु प्रक्रिया आरंभ की गई थी। ए.एज अंबाला, गुरुग्राम (पूर्व) तथा टोहाना ने सूचित किया कि चार मामले पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिए गए थे।

मामला अगस्त 2014 तथा फरवरी 2017 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग तथा मार्च 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

## 2.9 कर योग्य टर्नओवर की गलत कटौती

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने गलत ढंग से कर योग्य टर्नओवर की उच्चतर कटौती अनुमत की परिणामस्वरूप, ₹ 0.76 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 61.96 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

एच.वी.ए.टी. नियम, 2003 के नियम 49 प्रावधान करता है कि अधिनियम के अंतर्गत कर का भुगतान करने हेतु दायी ठेकेदार, राज्य में निष्पादन के लिए उसे सौंपे गए निर्माण ठेके के संबंध में ठेके के निष्पादन में आवेष्टित संपत्ति के हस्तांतरण पर अधिनियम के अंतर्गत उसके द्वारा देय कर के बदले में निर्माण ठेके के निष्पादन के लिए प्राप्त कुल मूल्यवान प्रतिफल के चार प्रतिशत पर परिकल्पित एकमुश्त राशि का भुगतान कर सकता है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 की धारा 42 प्रावधान करती है कि यदि एक निर्माण ठेकेदार, उप-ठेकेदार को नियुक्त करता है तो ठेकेदार और उप-ठेकेदार माल में संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से कर का भुगतान करने के लिए दायी होंगे।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पंचकूला के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि एक डीलर ने वर्ष 2011-12 के दौरान निष्पादित कार्य के लिए ₹ 44.33 करोड़ का प्रतिफल प्राप्त किया। डीलर एक उप-ठेकेदार था तथा कर के बदले में एक मुश्त राशि का भुगतान करने का विकल्प दिया। ए.ए. ने वर्ष 2011-12 के लिए कर-निर्धारण अंतिम करते समय (मार्च 2015) इस आधार पर ₹ 44.33 करोड़ (संपूर्ण जी.टी.ओ.) की कटौती अनुमत की कि मुख्य ठेकेदार द्वारा कर का भुगतान किया जा चुका है। तथापि, ए.ए. यह स्थापित करने में विफल रहा कि मुख्य ठेकेदार ने ₹ 44.33 करोड़ की कुल राशि पर कर का भुगतान किया था। मुख्य ठेकेदार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की संवीक्षा ने प्रकट किया कि उसने मुख्य ठेकेदार द्वारा आपूरित सामग्री के रूप में ₹ 18.89 करोड़ की राशि कम करते हुए वर्ष 2011-12 के दौरान इस उप-ठेकेदार की ओर से केवल ₹ 25.44 करोड़ के कार्य पर कर का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप आपूरित सामग्री की राशि पर ₹ 0.76 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 61.96 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. पंचकूला ने सितंबर 2017 में सूचित किया कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था।

मामला दिसंबर 2015 में आबकारी एवं कराधान विभाग तथा मार्च 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2017)।

## 2.10 परिगणना त्रुटि के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारण अंतिम करते समय परिगणना त्रुटि के कारण ₹ 1.17 करोड़ के कर का अवनिर्धारण किया।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत, कोई कर लगाने वाले प्राधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी, किसी मामले में, उसके द्वारा पारित आदेश की प्रति की आपूर्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के भीतर किसी समय, प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् मामले के अभिलेखों से स्पष्ट लिपिकीय अथवा गणितीय त्रुटि को सुधार सकता है।

ई.टी.ओ. (एस.टी.) हांसी के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि एक डीलर ने 2012-13 के दौरान ₹ 15.56 करोड़ मूल्य की बिक्री की थी। ए.ए. ने मार्च 2016 में कर-निर्धारण अंतिम करते समय ₹ 74.71 लाख की सही राशि की बजाय ₹ 7.48 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की। आगे, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), फरीदाबाद (पश्चिम) के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ए.ए. ने मार्च 2015 के दौरान वर्ष 2011-12 के लिए एक डीलर के कर-निर्धारण अंतिम करते समय ₹ 24.76 लाख की राशि का आई.टी.सी. अनुमत नहीं किया। तथापि, ए.ए. ने आई.टी.सी. की गणना करते समय उसकी कटौती करने की बजाए यह अनुमत न की गई आई.टी.सी. जोड़ दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.17 करोड़ (₹ 67.23 लाख + ₹ 49.53 लाख) के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. हांसी ने बताया (अप्रैल 2017) कि त्रुटि सुधार दी गई थी तथा ₹ 67.23 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। ए.ए. फरीदाबाद (पश्चिम) ने अनुच्छेद को स्वीकार किया तथा सूचित किया (जुलाई 2017) कि लिपिकीय त्रुटि के सुधार हेतु डीलर को नोटिस जारी किया गया है।

मामला सितंबर 2016 तथा अप्रैल 2017 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग तथा मई 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2017)।

## 2.11 आगे लाया गया अधिक टैक्स क्रेडिट

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 8.88 लाख के वास्तविक के विरुद्ध ₹ 42.76 लाख के आगे लाए गए इनपुट टैक्स का समायोजन अनुमत किया परिणामस्वरूप ₹ 33.88 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 20 (2) (बी) प्रावधान करती है कि कर की दर में अंतर के कारण माल की बिक्री पर सी.एस.टी. सहित कर से अधिक बढ़ने वाले शेष इनपुट टैक्स को भविष्य में कर देयता के साथ समायोजन हेतु आगे ले जाया जाएगा।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), गुरुग्राम (पश्चिम) के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ए.ए. ने निर्धारण वर्ष 2010-11 से आगे लाए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की ₹ 8.88 लाख की वास्तविक राशि के विरुद्ध निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए एक मामले में ₹ 42.76 लाख की राशि का आगे लाया गया, इनपुट टैक्स समायोजित करने की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप 2011-12 के दौरान ₹ 33.88 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सी., गुरुग्राम (पश्चिम) ने सूचित किया (सितंबर 2016) कि ₹ 67.75 लाख (ब्याज सहित) की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी।

मामला जून 2016 में आबकारी एवं कराधान विभाग तथा अप्रैल 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

### 2.12 कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का अवमूल्यांकन

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने कर-निर्धारण अंतिम करते समय 13.125 प्रतिशत कर की सही दर की बजाए 5.25 प्रतिशत की दर पर गलत ढंग से कर उद्ग्रहीत किया परिणामस्वरूप ₹ 2.09 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण/अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.40 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (1) (ए) (iii) एवं (iv) के अंतर्गत अनुसूची 'सी' में वर्गीकृत कोई उपयोगी वस्तु 15 फरवरी 2010 से पांच प्रतिशत की दर पर कर योग्य है तथा अवर्गीकृत उपयोगी वस्तुएं 1 जुलाई 2005 से 12.5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य हैं। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत 02 अप्रैल 2010 से उद्ग्रहण कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी उद्ग्रहण है। आगे, धारा 38, दस्तावेजों, झूठी सूचना तथा गलत लेखाओं के आधार पर दावों के लिए दंडात्मक कार्रवाई (बचाया गया कर/दावा किया गया लाभ तथा तीन गुना पेनल्टी) का प्रावधान करती है। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्रहण था।

**2.12.1** डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), फरीदाबाद (पश्चिम) के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि एक डीलर ने 2012-13 के दौरान 65 डीलरों को ₹ 11.90 करोड़ की स्थानीय बिक्री की तथा 5.25 प्रतिशत की दर पर कर का भुगतान किया। ए.ए. ने नवंबर 2014 में कर-निर्धारण अंतिम करते समय बिक्री को अलौह धातु के रूप में मानते हुए 5.25 प्रतिशत की दरों पर ₹ 62.47 लाख का कर उद्ग्रहीत किया। क्रेता डीलरों की फाइल की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि कथित डीलर 2012-13 के दौरान फ्लाइ ऐश की बिक्री में संलग्न था। फ्लाइ ऐश अवर्गीकृत मद होने के कारण 13.125 प्रतिशत की दर पर कर योग्य था। इसके परिणामस्वरूप, गलत सूचना प्रस्तुत करने के कारण ₹ 2.81 करोड़ की तीन गुना पेनल्टी के अतिरिक्त ₹ 93.70 लाख (11,89,87,893 X 7.875 प्रतिशत) के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. ने अनुच्छेद को स्वीकार किया (फरवरी 2017) तथा सूचित किया कि मामला समीक्षा हेतु पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा गया था।

2.12.2 आठ<sup>33</sup> डी.ई.टी.सी./ई.टी.ओ. (बिक्री कर) के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के कर-निर्धारण अंतिम करते समय नौ डीलरों के कर-निर्धारण नीचे विवरणित माल की बिक्री पर लागू कर से कम दर पर कर-निर्धारित किए गए (नवंबर 2013 से नवंबर 2015) थे:

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी./ ई.टी.ओ. का नाम	कर-निर्धारण की अवधि माह	उपयोगी वस्तु	उद्घाह्य कर/ उद्गृहीत कर	कम उद्गृहीत	उद्घाह्य ब्याज (₹ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर
1	बहादुरगढ़	2011-12 से 2012-13 11.03.2014 से 21.11.2014	एयर कंप्रेसर/ ब्लोअर्ज	2732466 1092986	1639480	872442	सरकार ने 22 अक्टूबर 2009 को स्पष्ट किया कि एयर कंप्रेसर/ब्लोअर अवर्गीकृत मद है तथा सरचार्ज जमा 12.5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है। ए.ए. ने सूचित किया (अप्रैल 2017) कि एयर कंप्रेसर/ब्लोअर्ज फार्मासियूटिकल इंडस्ट्री तथा ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री में प्लांट एवं मशीनरी के रूप में उपयोग किए जाते हैं तथा मशीनरी का हिस्सा हैं। उत्तर सरकार के स्पष्टीकरण के दृष्टिकोण से सही नहीं था।
2	भिवानी	2011-12 13.11.2013	मोबाइल एस्सेसरीज	1771834 708734	1063100	519502	मोबाइल एस्सेसरीज अवर्गीकृत मद है तथा सरचार्ज जमा 12.5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है किंतु ए.ए. ने 5.25 प्रतिशत की दर पर कर निर्धारित किया। ए.ए. ने उत्तर दिया (मार्च 2017) कि मोबाइल एस्सेसरीज 5.25 प्रतिशत की दर पर कर योग्य हैं। उत्तर सही नहीं था क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मैसर्स नोकिया बनाम पंजाब राज्य के संबंध में निर्णय दिया था कि मोबाइल एस्सेसरीज कर की सामान्य दर पर कर योग्य थी।



क्र. सं.	डी.ई.टी.सी./ ई.टी.ओ. का नाम	कर-निर्धारण की अवधि माह	उपयोगी वस्तु	उद्योग/कर/ उद्गृहीत कर	कम उद्गृहीत	उद्योग/कर/ उद्गृहीत ब्याज (₹ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर
3	गुरुग्राम (पूर्व)	07.11.2013 तथा 12.02.2016 के मध्य 2011-12 से 2013-14	सनग्लासिज तथा कढ़ाईदार साडियां	7426838 2970735	4456103	2509864	सनग्लासिज तथा कढ़ाईदार साडियां कर की सामान्य दर अर्थात् 13.125 प्रतिशत पर कर योग्य हैं। तथापि, ए.ए. ने 5.25 प्रतिशत की दर पर कर निर्धारित किया। यह इंगित किए जाने पर ए.ए. ने सूचित किया कि मामले समीक्षा हेतु पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजे गए थे (अप्रैल 2017)।
4	हिसार	2013-14 17.11.2015	रूहअफजा	549142 219657	329485	161667	सरकार ने 01.03.2013 को स्पष्ट किया कि रूहअफजा अवर्गीकृत मद है 12.5 प्रतिशत की दर पर कर तथा सरचार्ज कर योग्य है किंतु ए.ए. ने 5.25 प्रतिशत की दर पर मामले पर कर निर्धारित किया। यह इंगित किए जाने पर ए.ए. ने सूचित किया कि मामले समीक्षा हेतु पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजे गए थे (जून 2016)।
5	जौंद	2012-13 दिनांक 11/8/2014 तथा 2013-14 दिनांक 5/5/2015	रूहअफजा	2379573 951829	1427744	571599	रूहअफजा अवर्गीकृत मद है तथा सरचार्ज जमा 12.5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है किंतु ए.ए. ने 5.25 प्रतिशत की दर पर मामले पर कर निर्धारित किया। ए.ए. ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि डीलर ने कर का भुगतान करने के बाद माल खरीदा तथा डीलर मूलधन पर कर का भुगतान करने के लिए दायी नहीं था। उत्तर सही नहीं था क्योंकि डीलर ने सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार माल की बिक्री पर लागू कर की दर पर संपूर्ण कर का भुगतान नहीं किया है।

वर्ष 2016-17 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी./ ई.टी.ओ. का नाम	कर-निर्धारण की अवधि माह	उपयोगी वस्तु	उद्ग्राह्य कर/ उद्गृहीत कर	कम उद्गृहीत	उद्ग्राह्य ब्याज (₹ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर
6	जगाधरी	2011-12 दिनांक 19.11.2013 एवं 2012-13 दिनांक 21.10.2014	बायो-फ्यूल	836995 शून्य	836995	402818	अनुसूची 'सी' की प्रविष्टि 13 के अनुसार बायोमास ब्रिक्वेटस 5.25 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है किंतु ए.ए. ने कर मुक्त निर्धारित किया। यह इंगित किए जाने पर ए.ए. ने सूचित किया कि मामले समीक्षा हेतु पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजे गए थे (अप्रैल 2017)।
7	पंचकूला	2013-14 14.09.2015	ड्रायर फेल्ड	932017 शून्य	932017	418786	अनुसूची 'सी' की प्रविष्टि 26 के अनुसार ड्रायर फेल्ड 5.25 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है किंतु ए.ए. ने कर मुक्त निर्धारित किया। ए.ए. ने सूचित किया (मई 2017) कि ड्रायर फेल्ड अनुसूची 'बी' की प्रविष्टि 51 के अनुसार कर मुक्त है। उत्तर सही नहीं था क्योंकि अनुसूची 'सी' की प्रविष्टि 26 के अनुसार ड्रायर फेल्ड 5.25 प्रतिशत की दर पर कर योग्य था।
8	टोहाना	2012-13 एवं 2013-14 दिनांक 24.08.2015	जी. सी. शीट	1362309 518975	843334	440935	गालवैनिस्ट कोरयूग्रेटिड शीट कर की सामान्य दर अर्थात् 13.125 प्रतिशत पर कर योग्य है। ए.ए. ने सूचित किया कि मामला समीक्षा हेतु भेजा गया था (अगस्त 2016)।
<b>योग</b>					<b>11528258</b>	<b>5897613</b>	

इसके परिणामस्वरूप, ₹ 1.15 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 58.98 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

मामला जून 2015 तथा फरवरी 2017 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग तथा जून 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर अभी तक प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

### 2.13 निर्माण ठेकेदारों पर कर का कम उद्यहण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने गैर-सरकारी संगठन को सरकारी के रूप में मानते हुए सरचार्ज जमा कर की सामान्य दर अर्थात् 12.5 प्रतिशत की बजाए चार प्रतिशत की दर पर कर का निर्धारण किया परिणामस्वरूप ₹ 0.69 करोड़ के कर का कम उद्यहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 2 (1) (जेड.ई.) (ii) प्रावधान करती है कि निर्माण ठेके के निष्पादन में आवेष्टित माल में संपत्ति का हस्तांतरण (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) जहां ऐसा हस्तांतरण, नकदी, आस्थगित भुगतान या अन्य बहुमूल्य प्रतिफल के लिए है, हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति के द्वारा उस माल की बिक्री मानी जाएगी। एच.वी.ए.टी. नियम का नियम 49 प्रावधान करता है कि एक निर्माण ठेकेदार या तो निर्माण ठेके की सकल प्राप्तियों के चार प्रतिशत की दर पर कर की एवज में एकमुश्त राशि का भुगतान कर सकता है या निर्माण ठेके के निष्पादन में हस्तांतरित माल के मूल्य पर कर का भुगतान कर सकता है। आगे, अधिनियम की धारा 7 (2) प्रावधान करती है कि एक डीलर द्वारा उसके कर योग्य टर्नओवर, जहां तक ऐसा टर्नओवर या उसका कोई हिस्सा सरकार को बेचे गए माल से संबंधित है, पर देय कर चार प्रतिशत पर परिकल्पित किया जाएगा।

डी.ई.टी.सीज (बिक्री कर) भिवानी, कैथल तथा ई.टी.ओ. चरखी दादरी के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि तीन डीलरों ने 2010-11 तथा 2012-13 के मध्य नगर निगम (एम.सी.), हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.) तथा अन्य ऐसे संगठन का कार्य ₹ 7.74 करोड़ मूल्य की लागत पर निष्पादित किया तथा 4.2 प्रतिशत की दर पर कर का भुगतान किया। डीलर ने कर के बदले में एक मुश्त राशि के भुगतान का विकल्प नहीं चुना। ए.एज ने कर-निर्धारण अंतिम करते समय (नवंबर 2013 से फरवरी 2016) गैर-सरकारी संगठन को सरकारी के रूप में मानते हुए सामान्य कर की दर अर्थात् 12.5 प्रतिशत जमा सरचार्ज की बजाय चार प्रतिशत की दर पर कर जमा सरचार्ज का निर्धारण किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 0.69 करोड़ के कर का कम उद्यहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, ए.एज ने बताया कि मामले पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिए गए थे (सितंबर 2016 से अप्रैल 2017)।

मामला जून 2015 तथा मार्च 2017 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग तथा मई 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

### 2.14 इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक गैस, जोकि ईंधन के रूप में उपयोग की गई थी, के संबंध में आई.टी.सी. वापस नहीं लौटाई थी परिणामस्वरूप ₹ 19.18 लाख के कर की कम वसूली हुई।

अनुसूची 'ई' क्रम संख्या 1 के साथ पठित हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) की धारा 8 (1) के अंतर्गत, जब पेट्रोलियम उत्पाद तथा प्राकृतिक

गैस, ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है तो इनपुट टैक्स की स्वीकार्यता शून्य के रूप में मानी जाएगी। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा, पंचकूला ने भी अनुदेश जारी किए (25 अगस्त 2011) कि यदि पेट्रोलियम उत्पाद तथा प्राकृतिक गैस, ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं तो ऐसे माल के क्रयों पर भुगतान किए गए वैट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) शून्य होगा।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) जगाधरी के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि एक डीलर ने 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान ₹ 4.23 करोड़ का पेट कोक खरीदा तथा उसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया और ₹ 19.18 लाख के आई.टी.सी. का दावा किया। मार्च 2014 तथा दिसंबर 2014 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम करते समय कर-निर्धारण प्राधिकारी (ए.ए.) ने आई.टी.सी. वापस नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.18 लाख के कर की कम वसूली हुई।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. जगाधरी ने सूचित किया (अप्रैल 2017) कि ₹ 19.18 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। परंतु डीलर ने हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी।

मामला मई 2015 तथा जुलाई 2016 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग तथा मार्च 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2017)।

### अध्याय-3: राज्य उत्पाद शुल्क

#### 3.1 कर प्रबंध

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग, सरकारी स्तर पर प्रशासनिक मुखिया हैं तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) विभागाध्यक्ष हैं। ई.टी.सी. को मुख्यालय पर सहयोग क्लैक्टर (आबकारी) द्वारा तथा फील्ड में राज्य आबकारी अधिनियमों/नियमों के उचित प्रबन्ध के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) {डी.ई.टी.सीज (आबकारी)}, सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओज), निरीक्षकों एवं अन्य सहायक स्टॉफ द्वारा दिया जाता है।

उत्पाद शुल्क राजस्व मुख्यतः विभिन्न ठेकों के लाईसेंस की प्रदानगी हेतु लाईसेंस फीस, डिस्टलरियों/ब्रेवरिज में उत्पादित और एक राज्य से दूसरे राज्य को आयातित/निर्यातित स्पिरिट/बीयर पर उद्गृहीत उत्पाद शुल्कों से प्राप्त किया जाता है।

#### 3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2016-17 के दौरान राज्य आबकारी विभाग की 94 इकाइयों में से 37 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 634 मामलों में ₹ 13.48 करोड़ से आवेष्टित उत्पाद शुल्क/लाईसेंस फीस/ब्याज/पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट की जो निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं जैसा कि तालिका 3.1 में तालिकाबद्ध है।

तालिका 3.1- लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	लाईसेंस फीस जमा न करना/कम जमा करना तथा ब्याज की हानि	254	5.90
2	ठेकों के पुनः आबंटन पर लाईसेंस फीस की अंतरीय राशि की वसूली न करना	12	4.06
3	अतिरिक्त शुल्क/पेनल्टी न लगाना	229	1.56
4	अवैध शराब पर पेनल्टी की अवसूली	96	0.48
5	विविध अनियमितताएं	43	1.48
	<b>योग</b>	<b>634</b>	<b>13.48</b>

वर्ष के दौरान, विभाग ने 158 मामलों में आवेष्टित ₹ 4.80 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियां स्वीकार की जिनमें से 133 मामलों में आवेष्टित ₹ 4.65 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 33 मामलों में ₹ 18.64 लाख वसूल किए जिनमें से आठ मामलों में आवेष्टित ₹ 3.66 लाख वर्ष 2016-17 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

₹ 5.08 करोड़ से आवेष्टित कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

### 3.3 लाईसेंस फीस और ब्याज की अवसूली/कम वसूली

90 ठेके वर्ष 2015-16 के लिए देय लाईसेंस फीस की मासिक किस्तों का निर्धारित तिथियों तक भुगतान करने में विफल रहे तथा डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने ठेकों को बंद करने के लिए कार्रवाई आरंभ नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.43 करोड़ की लाईसेंस फीस की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.57 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

वर्ष 2015-16 के लिए राज्य आबकारी नीति का पैरा 6.4 निर्धारित करता है कि भारत में बनी विदेशी शराब (आई.एम.एफ.एल.)/देसी शराब (सी.एल.) की बिक्रियों की दुकानों के लिए लाईसेंस वाले प्रत्येक लाईसेंसधारी प्रत्येक मास की 20 तारीख तक लाईसेंस फीस की मासिक किश्त का भुगतान करेगा। ऐसे करने में विफलता उसे, मास के प्रथम दिन से, जिसमें लाईसेंस फीस देय थी, किश्त या उसके किसी हिस्से के भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज अदा करने हेतु उत्तरदायी बना देगी। आगे राज्य आबकारी नीति के पैरा 6.5 के अनुसार, यदि लाईसेंसधारी मास के अंत तक ब्याज के साथ पूरी मासिक किश्त जमा करवाने में विफल रहता है तो लाईसेंस प्राप्त ठेके अगले मास के प्रथम दिन से चलना बंद हो जाएंगे और संबंधित जिले के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त {डी.ई.टी.सी. (आबकारी)} द्वारा साधारणतः बंद किए जाएंगे।

डी.ई.टी.सीज (आबकारी) फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र तथा रोहतक के वर्ष 2015-16 के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि लाईसेंसधारियों को आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. की बिक्री के लिए 20 ठेके ₹ 5.51 करोड़ पर आबंटित किए गए थे। लाईसेंसधारियों ने केवल ₹ 3.08 करोड़ की लाईसेंस फीस का भुगतान किया था और ₹ 2.43 करोड़ की शेष लाईसेंस फीस लाईसेंसधारियों द्वारा अभी जमा करवाई जानी थी। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 2.43 करोड़ की लाईसेंस फीस की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 57.24 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

आगे लेखापरीक्षा ने देखा कि चार डी.ई.टी.सीज (आबकारी)<sup>1</sup> की 70 ठेकों ने अप्रैल 2015 और मार्च 2016 के मध्य की अवधि के लिए ₹ 26.88 करोड़ की लाईसेंस फीस की मासिक किश्तों का भुगतान 11 से 331 दिनों की देरी के साथ किया। डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने लाईसेंस फीस के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज उद्ग्रहण करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 99.43 लाख के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, सभी डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने बताया (नवंबर 2016 और अगस्त 2017 के मध्य) कि ₹ 9.08 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा चूककर्ताओं से ₹ 3.91 करोड़ की बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

मामला सितंबर 2016 तथा जनवरी 2017 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा जून 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

<sup>1</sup> गुरुग्राम, झज्जर, कुरुक्षेत्र तथा रोहतक।

### 3.4 पुनर्नीलामी पर अंतरीय लाईसेंस फीस की अवसूली

विभाग मूल आबंटियों से लाईसेंस फीस की अंतरीय राशि वसूल करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.08 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

वर्ष 2015-16 के लिए राज्य आबकारी नीति का पैरा 6.5 तथा 2.19 निर्धारित करता है कि यदि आबंटी प्रतिभूति जमा का भुगतान करने में विफल रहता है और ब्याज के साथ लाईसेंस फीस के भुगतान में चूक करता है, लाईसेंसशुदा दुकान अगले मास के प्रथम दिन से बंद हो जाएगी और उप-आबकारी एवं कराधान अधिकारी (आबकारी), ई.टी.सी. की पूर्व अनुमति लेने के बाद मूल आबंटी के जोखिम और लागत पर इसका पुनः आबंटन कर सकता है।

डी.ई.टी.सीज (आबकारी) फतेहाबाद तथा रोहतक के वर्ष 2015-16 के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2015 के लिए तीन खुदरा दुकानों की नीलामी ₹ 3.07 करोड़ में की गई। आबंटी, तथापि, देय तिथि तक लाईसेंस फीस की पूरी मासिक किश्तों का भुगतान करने में विफल रहे। ₹ 3.07 करोड़ की कुल लाईसेंस फीस में से, आबंटियों ने ₹ 67.13 लाख की प्रतिभूति और मासिक लाईसेंस फीस जमा की और ₹ 2.40 करोड़ की शेष राशि जमा करने में विफल रहे। विभाग ने मई तथा जून 2015 के मध्य उनकी खुदरा दुकानों को रद्द कर दिया और बाद में शेष अवधि के लिए मूल आबंटियों के जोखिम और लागत पर ₹ 1.36 करोड़ में जुलाई तथा अक्टूबर 2015 के मध्य उन्हें पुनः नीलामी/आबंटित कर दी। जबकि विभाग ने दूसरे आबंटियों से ₹ 1.32 करोड़ वसूल किए, यह मूल आबंटियों से ₹ 1.08 करोड़ (₹ 2.40 करोड़- ₹ 1.32 करोड़) की लाईसेंस फीस की अंतरीय राशि को वसूल करने के लिए कार्यवाही करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.08 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

यह इंगित किए जाने पर, दोनों डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने अप्रैल 2017 में बताया कि चूककर्ता आबंटियों को नोटिस जारी किए गए थे तथा चूककर्ताओं से ₹ 1.08 करोड़ की बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

मामला सितंबर तथा दिसंबर 2016 में आबकारी एवं कराधान विभाग को तथा मई 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

**अध्याय-4: स्टाम्प शुल्क**

**4.1 कर प्रबंध**

स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस से प्राप्तियां उपयुक्त संशोधनों के साथ हरियाणा सरकार द्वारा यथा अपनाए गए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. अधिनियम), पंजीकरण अधिनियम, 1908 (आई.आर. अधिनियम), पंजाब स्टाम्प नियम, 1934 तथा हरियाणा स्टाम्प (दस्तावेजों के अवमूल्यांकन की रोकथाम) नियम, 1978 के अन्तर्गत विनियमित की जाती हैं। अपर मुख्य सचिव, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा, विभिन्न दस्तावेजों के पंजीकरण के संबंध में प्रबंधन हेतु उत्तरदायी हैं। स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर समग्र नियंत्रण एवं अधीक्षण, पंजीकरण महानिरीक्षक (आई.जी.आर.), हरियाणा, चण्डीगढ़ के पास निहित है। आई.जी.आर. की सहायता उपायुक्तों (डी.सी.ज), तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों द्वारा क्रमशः रजिस्ट्रारों, उप-रजिस्ट्रारों (एस.आर.ज) तथा संयुक्त उप-रजिस्ट्रारों (जे.एस.आर.ज) के रूप में कार्य करते हुए की जाती है।

**4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम**

2016-17 में राजस्व विभाग के 131 यूनिटों में से 101 यूनिटों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 836 मामलों में ₹ 81.14 करोड़ के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, इत्यादि का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट की जो नीचे तालिका 4.1 में दर्शाई गई हैं।

**तालिका 4.1: लेखापरीक्षा के परिणाम**

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	1	45.44
2.	निम्नलिखित के कारण स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अवसूली/कम वसूली <ul style="list-style-type: none"> <li>• अचल संपत्ति का अवमूल्यांकन</li> <li>• दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण</li> </ul>	208 286	9.55 19.76
3.	करार विलेखों में उल्लिखित राशि से कम प्रतिफल पर संपत्ति की बिक्री के कारण स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	74	0.62
4.	अधिगृहीत भूमि के बंधक विलेखों/मुआवजा प्रमाण-पत्रों पर स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	124	3.62
5.	विविध अनियमितताएं	143	2.15
<b>योग</b>		<b>836</b>	<b>81.14</b>

वर्ष के दौरान, विभाग ने 348 मामलों में आवेष्टित ₹ 57.78 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें से 342 मामलों में आवेष्टित ₹ 57.77 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित छः मामलों में ₹ 1.44 लाख वसूल किए।

₹ 66.69 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।



### 4.3 आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण

#### 4.3.1 प्रस्तावना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. अधिनियम) के अनुसूची-1 क के अनुसार दस्तावेजों के क्रियान्वयन पर स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहणीय है तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर पंजीकरण फीस देय है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र अथवा ऐसे मामलों में जहां खरीददार एक से ज्यादा हैं तथा प्रत्येक खरीददार का हिस्सा 1,000 वर्ग गज से कम है, के नगर पालिका सीमाओं के भीतर/बाहर कृषीय भूमि की बिक्री पर आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति के लिए निर्धारित दरों के आधार पर स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस सही तौर पर उद्ग्रहीत की गई है, राज्य में 21 जिलों<sup>1</sup> के एस.आर.ज/जे.एस.आर.ज के कार्यालय के वर्ष 2013-14 से 2015-16 के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई। आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति के पंजीकरण के संबंध में नमूना-जांच किए गए 36,836 मामलों में से 1,468 मामलों (4 प्रतिशत) में स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण होना पाया गया जिनकी नीचे दिए गए अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

#### 4.3.2 आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति को कृषीय संपत्ति मानते हुए कम मूल्य आंकने के कारण स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 2 (10) प्रावधान करती है कि 'हस्तांतरण' में बिक्री तथा प्रत्येक दस्तावेज जिसके द्वारा चल या अचल संपत्ति एक जीवित व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरित की जाती है, सम्मिलित है तथा जो अधिनियम की अनुसूची-1 क द्वारा विशेष रूप से अन्यथा प्रदान नहीं की जाती है। आगे, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए (1) के अनुसार यदि पंजीकरण अधिकारी के पास इस आशय का कोई प्रमाण है कि संपत्ति अथवा प्रतिफल का मूल्य दस्तावेज में सही नहीं दर्शाया गया है तो वह ऐसे दस्तावेज को पंजीकरण के पश्चात् मूल्य अथवा प्रतिफल तथा उचित देय शुल्क के निर्धारण हेतु, जैसा भी मामला हो, कलैक्टर के पास भेज सकता है।

19 जिलों<sup>2</sup> में 104 एस.आर.ज/जे.एस.आर.ज के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि अप्रैल 2013 तथा मार्च 2016 के मध्य पंजीकृत किए गए 36,679 मामलों में नमूना-जांच किए गए 637 (2 प्रतिशत) मामलों में स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, इनके लिए निर्धारित आवासीय/वाणिज्यिक दरों की बजाए कृषीय भूमि के लिए निर्धारित दरों पर वसूल की गई थी। कलैक्टर द्वारा कृषीय भूमि के लिए निर्धारित दरों पर इन संपत्तियों की कीमत ₹ 530.33 करोड़ आंकी गई थी जिस पर विभाग ने ₹ 28.86 करोड़ की स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की गई थी। तथापि, भूमि अभिलेखों कलैक्टर की दरों संबंधी सूचियों में दिए गए खसरा नंबरों के अनुसार ये अचल संपत्तियां व्यावसायिक (बैंकेट हाल, शैक्षणिक संस्थान, फैक्टरी, गोदाम, होजरी, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप, पोल्ट्री फार्म, राईस शैलर, दुकान

<sup>1</sup> अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, नूंह, पलवल, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत तथा यमुनानगर।

<sup>2</sup> अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पलवल, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत तथा यमुनानगर।

और स्टोन क्रशर)/ राजस्व विभाग द्वारा अनुरक्षित भूमि अभिलेखों (जमा बंदियों) के अनुसार रिहायशी थी। कलेक्टर द्वारा रिहायशी/व्यावसायिक संपत्तियों के लिए निर्धारित की गई दरों के अनुसार इन संपत्तियों की कीमतों का निर्धारण ₹ 1,175.84 करोड़ होना चाहिए था जिस पर ₹ 64.35 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस ली जानी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप रिहायशी/व्यावसायिक संपत्तियों के कृषीय भूमि के रूप में मूल्यांकन से ₹ 35.49 करोड़ (स्टाम्प शुल्क ₹ 35.28 करोड़ तथा पंजीकरण फीस ₹ 0.21 करोड़) के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ। कुछ रूचिकर मामलों की चर्चा नीचे की गई है:

(i) एस.आर. मतलौडा के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक विलेख<sup>3</sup> कृषीय भूमि के लिए नियत की गई कलेक्टर दरों के अनुसार ₹ 25.58 करोड़ की कृषीय भूमि के आधार पर पंजीकृत किया गया जिस पर विभाग द्वारा ₹ 1.28 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की गई। तथापि, भूमि अभिलेखों/कलेक्टर द्वारा जारी दर सूचियों में दिए गए खसरा नंबरों और राजस्व विभाग द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों (जमाबंदियों) के अनुसार यह अचल संपत्ति व्यावसायिक (सीमेंट फैक्टरी) थी। कलेक्टर द्वारा व्यावसायिक संपत्ति के लिए नियत की गई दरों के अनुसार इस अचल संपत्ति की कीमत ₹ 45.28 करोड़ निर्धारित की जानी चाहिए थी, जिस पर ₹ 2.27 करोड़ का स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक संपत्ति का कृषीय भूमि के रूप में मूल्यांकन किए जाने से ₹ 0.99 करोड़ का स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(ii) एस.आर. करनाल के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक विलेख<sup>4</sup> कृषीय भूमि के रूप में पंजीकृत किया गया। कलेक्टर द्वारा कृषीय भूमि के लिए नियत की गई दरों के आधार पर इस संपत्ति का ₹ 3.50 करोड़ के मूल्य का निर्धारण किया गया जिस पर विभाग द्वारा ₹ 24.65 लाख स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की गई। तथापि, भूमि अभिलेखों/कलेक्टर द्वारा जारी दर सूचियों में दिए गए खसरा नंबरों और राजस्व विभाग द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों के अनुसार यह अचल संपत्ति रिहायशी थी। कलेक्टर द्वारा रिहायशी संपत्ति के लिए नियत की गई दरों के अनुसार इस अचल संपत्ति की कीमत ₹ 10.87 करोड़ निर्धारित की जानी चाहिए थी, जिस पर ₹ 76.21 लाख का स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप रिहायशी संपत्ति का कृषीय भूमि के रूप में मूल्यांकन किए जाने से ₹ 51.56 लाख के स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(iii) एस.आर. गन्नौर के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक विलेख<sup>5</sup> कृषीय भूमि के रूप में पंजीकृत किया गया। कलेक्टर द्वारा कृषीय भूमि के लिए नियत की गई दरों के आधार पर इस संपत्ति का ₹ 7.96 करोड़ के मूल्य का निर्धारण किया गया जिस पर विभाग द्वारा ₹ 39.82 लाख स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की गई। तथापि, भूमि अभिलेखों/कलेक्टर द्वारा जारी दर सूचियों में दिए गए खसरा नंबरों और राजस्व विभाग द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों (जमाबंदियों) के अनुसार यह अचल संपत्ति

<sup>3</sup> विलेख संख्या 206 दिनांक अप्रैल 2015

<sup>4</sup> विलेख संख्या 5545 दिनांक अक्टूबर 2015

<sup>5</sup> विलेख संख्या 2950 दिनांक अगस्त 2014

व्यावसायिक (पोल्ट्री फार्म) थी। कलैक्टर द्वारा व्यावसायिक संपत्ति के लिए नियत की गई दरों के अनुसार इस अचल संपत्ति की कीमत ₹ 15.09 करोड़ निर्धारित की जानी चाहिए थी, जिस पर ₹ 75.43 लाख का स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक संपत्ति का कृषीय भूमि के रूप में मूल्यांकन किए जाने से ₹ 35.61 लाख के स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(iv) एस.आर. सोनीपत के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक विलेख<sup>6</sup> कृषीय भूमि के रूप में पंजीकृत किया गया। कलैक्टर द्वारा कृषीय भूमि के लिए नियत की गई दरों के आधार पर इस संपत्ति का ₹ 24.70 करोड़ के मूल्य का निर्धारण किया गया जिस पर विभाग द्वारा ₹ 1.24 करोड़ स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की गई। तथापि, भूमि अभिलेखों/कलैक्टर द्वारा जारी दर सूचियों में दिए गए खसरा नंबरों और राजस्व विभाग द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों (जमाबंदियों) के अनुसार यह अचल संपत्ति व्यावसायिक (इंजीनियरिंग कालेज) थी। कलैक्टर द्वारा व्यावसायिक संपत्ति के लिए नियत की गई दरों के अनुसार इस अचल संपत्ति की कीमत ₹ 49.55 करोड़ निर्धारित की जानी चाहिए थी, जिस पर ₹ 2.48 करोड़ का स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक संपत्ति का कृषीय भूमि के रूप में मूल्यांकन किए जाने से ₹ 1.24 करोड़ के स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(v) एस.आर. नीलोखेड़ी के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि दो विलेख<sup>7</sup> कृषीय भूमि मानते हुए पंजीकृत किए गए। कलैक्टर द्वारा कृषीय भूमि के लिए नियत की गई दरों के आधार पर इस संपत्ति का ₹ 12.35 करोड़ के मूल्य का निर्धारण किया गया जिस पर विभाग द्वारा ₹ 62.03 लाख स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की गई। तथापि, भूमि अभिलेखों/कलैक्टर द्वारा जारी दर सूचियों में दिए गए खसरा नंबरों और राजस्व विभाग द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों (जमाबंदियों) के अनुसार यह अचल संपत्ति औद्योगिक भूमि थी। कलैक्टर द्वारा व्यावसायिक संपत्ति के लिए नियत की गई दरों के अनुसार इस अचल संपत्ति की कीमत ₹ 24.91 करोड़ निर्धारित की जानी चाहिए थी, जिस पर ₹ 1.75 करोड़ का स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक संपत्ति का कृषीय भूमि के रूप में मूल्यांकन किए जाने से ₹ 1.13 करोड़ के स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर सभी जे.एस.आरज/एस.आरज ने बताया (अप्रैल 2016 तथा अप्रैल 2017 के मध्य) कि यह मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47ए के तहत कलैक्टर को भेजे गए हैं/भेजे जाएंगे और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

<sup>6</sup> विलेख संख्या 11605 दिनांक मार्च 2015

<sup>7</sup> विलेख संख्या 1594 एवं 1595 दिनांक सितंबर 2015

**4.3.3 अचल संपत्ति पर गलत दर लगाने से स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण**

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1क के अनुच्छेद 23, 31 तथा 33 में बिक्री, विनिमय तथा उपहार विलेखों पर उद्ग्रहणीय स्टाम्प शुल्क को परिभाषित किया गया है। आगे, जनवरी 2011 में जारी अधिसूचना के अनुसार हरियाणा सरकार उन किसानों, जिनकी भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिगृहीत की गई थी, द्वारा कार्यन्वित किए गए विलेखों पर स्टाम्प शुल्क माफ कर दिया था, यदि उनके द्वारा प्राप्त मुआवजा राशि की दो वर्ष के भीतर भी राज्य में कृषि भूमि खरीदी गई है। यह छूट केवल मुआवजा राशि तक ही सीमित होगी तथा कृषि भूमि के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क लगेगा। तथापि, नवंबर 2000 में सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नगरपालिका की सीमाओं के भीतर एवं बाहर बेची गई कृषीय भूमि 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र अथवा ऐसे मामलों में जहां खरीददार एक से ज्यादा हैं तथा प्रत्येक खरीददार का हिस्सा 1,000 वर्ग गज से कम है, पर स्टाम्प शुल्क लगाने के उद्देश्य से उस इलाके में आवासीय संपत्ति के लिए निर्धारित दर पर मूल्यांकन किया जाएगा।

उपर्युक्त अनुदेशों को लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप नीचे दिए गए मामलों में ₹ 9.95 करोड़ (स्टाम्प शुल्क ₹ 9.39 करोड़ तथा पंजीकरण फीस ₹ 0.56 करोड़) स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ:

मामला	मामले का सार	की कमी (₹ करोड़ में)			विभाग का उत्तर
		एस.डी.	आर.एफ.	योग	
1,000 वर्ग गज से कम कृषीय भूमि की गलत दरें लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण	17 जिलों <sup>8</sup> में 104 एस.आरज/जे.एस.आरज के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि जून 2013 तथा मार्च 2016 के मध्य नमूना-जांच किए गए 36,679 पंजीकृत मामलों में से 806 (दो प्रतिशत) मामले कृषीय भूमि हेतु नियत दरों के आधार पर ₹ 60.22 करोड़ पर निर्धारित किए गए थे तथा ₹ 3.02 करोड़ का स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की गई थी। तथापि, ये विलेख क्षेत्र की आवासीय संपत्ति हेतु नियत दरों के आधार पर ₹ 256.03 करोड़ हेतु निर्धारित की जाने के लिए दायी थी तथा ₹ 12.50 करोड़ का स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस उद्ग्रहण था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.48 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।	8.95	0.53	9.48	एस.आर. हिसार ने अक्टूबर 2016 में बताया कि ₹ 3.37 लाख की राशि के तीन मामले कलैक्टर द्वारा निर्णीत किए जा चुके थे तथा एक मामला लंबित था। शेष जिलों के सभी जे.एस.आरज/एस.आरज ने बताया (अप्रैल 2016 तथा मार्च 2017 के मध्य) कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत कलैक्टर के पास भेजे गए थे तथा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

<sup>8</sup> अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत तथा यमुनानगर।

वर्ष 2016-17 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

मामला	मामले का सार	की कमी (₹ करोड़ में)			विभाग का उत्तर
		एस.डी.	आर.एफ.	योग	
गलत दरें लागू करने के कारण 1,000 वर्ग गज से कम कृषीय भूमि के विनिमय के मामले में स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण	छ: जिलों <sup>9</sup> में 11 एस.आरज/जे.एस.आरज के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मार्च 2015 तथा फरवरी 2016 के मध्य नमूना-जांच किए गए 63 पंजीकृत मामलों में से 15 (24 प्रतिशत) मामले कृषीय भूमि हेतु नियत दरों के आधार पर ₹ 98.63 लाख पर निर्धारित किए गए थे तथा ₹ 6.66 लाख का स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की गई थी। तथापि, ये विलेख क्षेत्र की आवासीय संपत्ति हेतु नियत दरों के आधार पर ₹ 4.64 करोड़ हेतु निर्धारित की जाने के लिए दायी थी जिन पर ₹ 29.31 लाख का स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस उद्ग्रहण था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.65 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।	0.21	0.01	0.22	सभी जे.एस.आरज/एस.आरज ने बताया (जून 2016 तथा जनवरी 2017 के मध्य) कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत कलैक्टरों के पास भेजे गए थे तथा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
गलत दरें लागू करने के कारण 1,000 वर्ग गज से कम कृषीय भूमि के उपहार के मामले में स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण	एस.आरज, गुरुग्राम तथा इसराना के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मई तथा सितंबर 2015 में नमूना-जांच किए गए 53 पंजीकृत मामलों में से दो (चार प्रतिशत) मामले कृषीय भूमि हेतु नियत दरों के आधार पर ₹ 22.29 लाख पर निर्धारित किए गए थे तथा ₹ 1.49 लाख का स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की गई थी। तथापि, ये विलेख क्षेत्र की आवासीय संपत्ति हेतु नियत दरों के आधार पर ₹ 1.37 करोड़ हेतु निर्धारित की जाने के लिए दायी थी जिन पर ₹ 9.25 लाख का स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस उद्ग्रहण था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.76 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।	0.07	0.01	0.08	दोनों एस.आरज ने जुलाई 2017 में बताया कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत कलैक्टरों के पास भेजे गए थे तथा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
गलत दरें लागू करने के कारण कृषीय भूमि के अधिग्रहण पर प्राप्त मुआवजे से 1,000 वर्ग गज से कम	फरीदाबाद तथा हिसार जिलों में तीन एस.आरज <sup>10</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि जून 2015 तथा फरवरी 2016 के मध्य नमूना-जांच किए गए 41 पंजीकृत मामलों में से आठ (20 प्रतिशत) मामले कृषीय भूमि हेतु नियत दरों के आधार पर ₹ 56.97 लाख पर निर्धारित किए गए थे तथा ₹ 3.73 लाख का स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की गई थी। तथापि, ये विलेख क्षेत्र की आवासीय	0.16	0.01	0.17	सभी एस.आरज/जे.एस.आरज ने नवंबर 2016 में बताया कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत कलैक्टरों के पास भेजे गए थे तथा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

<sup>9</sup> अंबाला, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर तथा रोहतक।

<sup>10</sup> बल्लभगढ़, मोहना तथा हिसार।

मामला	मामले का सार	की कमी (₹ करोड़ में)			विभाग का उत्तर
		एस.डी.	आर.एफ.	योग	
कृषीय भूमि की खरीद के मामले में स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण	संपत्ति हेतु नियत दरों के आधार पर ₹ 4.77 करोड़ हेतु निर्धारित की जाने के लिए दायी थी। चूंकि किसानों ने कृषीय भूमि के अधिग्रहण के कारण ₹ 83.05 लाख की राशि का मुआवजा प्राप्त किया, ₹ 3.94 करोड़ की शेष राशि स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस के लिए दायी थी तथा ₹ 20.47 लाख का स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस उद्ग्रहण थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.74 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।				
<b>योग</b>		<b>9.39</b>	<b>0.56</b>	<b>9.95</b>	

एस.आर. फरीदाबाद, एस.आर. बल्लभगढ़, एस.आर. हिसार तथा जे.एस.आर. रायपुररानी में अनियमितता 24 मामलों, 28 मामलों, 28 मामलों तथा 32 मामलों में क्रमशः ₹ 1.63 करोड़, ₹ 31.53 लाख, ₹ 28.91 लाख तथा ₹ 27.85 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के कम उद्ग्रहण की पाई गई। कुछ रुचिकर मामलों की चर्चा नीचे की गई है:

(i) एस.आर. फरीदाबाद, के कार्यालय के अभिलेखों की सर्वीक्षा में प्रकट हुआ कि नगरपालिका सीमाओं में पड़ने वाले दो कृषीय प्लॉट विलेख संख्या<sup>11</sup> कृषीय भूमि के रूप में पंजीकृत किए गए थे। पंजीकरण प्राधिकारियों ने कृषीय भूमि के लिए नियत दरों के आधार पर इन विलेखों का निर्धारण ₹ 45.90 लाख किया तथा इन पर ₹ 3.34 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की। तथापि, इन इलाकों में आवासीय संपत्ति के लिए निर्धारित दर पर इन विलेखों का निर्धारण ₹ 3.73 करोड़ किया जाना था तथा क्योंकि इन मामलों में भूमि 1,000 वर्गगज से कम थी अतः ₹ 26.28 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहणीय था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.94 लाख के स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(ii) एस.आर. गुरुग्राम, के कार्यालय के अभिलेखों की सर्वीक्षा में प्रकट हुआ कि नगरपालिका सीमाओं में पड़ने वाले दो कृषीय प्लॉट विलेख संख्या<sup>12</sup> कृषीय भूमि के रूप में पंजीकृत किए गए थे। पंजीकरण प्राधिकारियों ने कृषीय भूमि के लिए नियत दरों के आधार पर इन विलेखों का निर्धारण ₹ 1.28 करोड़ किया तथा इन पर ₹ 9.11 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की। तथापि, इन इलाकों में आवासीय संपत्ति के लिए निर्धारित दर पर इन विलेखों का निर्धारण ₹ 3.67 करोड़ किया जाना था तथा क्योंकि इन मामलों में भूमि 1,000 वर्गगज से कम थी अतः ₹ 25.81 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहणीय था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.70 लाख के स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

<sup>11</sup> विलेख संख्या 751 तथा 10033

<sup>12</sup> विलेख संख्या 6413 तथा 18187

## निष्कर्ष

आवासीय/वाणिज्यिक अचल संपत्ति तथा बिक्री/विनिमय/उपहार विलेखों और प्राप्त किए गए मुआवजे की राशि से खरीदी गई भूमि, नगरपालिका सीमाओं के भीतर/बाहर 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाली अथवा उस मामले में जहां क्रेता एक से अधिक हैं तथा प्रत्येक क्रेता का हिस्सा 1,000 वर्ग गज से कम है, बेची गई कृषीय भूमि के मूल्यांकन के संबंध में भारतीय स्टॉम्प अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के गैर-अनुपालन के मामले जांच में आए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 45.44 करोड़ (एस.डी. ₹ 44.67 करोड़ तथा आर.एफ. ₹ 0.77 करोड़) के स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को मई 2017 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2017)।

### 4.4 संयुक्त करार के रूप में बिक्री विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने छः करारों में बिक्री के करार की बजाए संयुक्त करार के रूप में बिक्री विलेखों का गलत वर्गीकरण किया परिणामस्वरूप ₹ 7.35 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

अक्टूबर 2013 में जारी हरियाणा सरकार अधिसूचना के अनुसार कोई करार, जो किसी अचल संपत्ति के निर्माण, विकास या विक्रय या हस्तांतरण (किसी भी तरीके से) हेतु प्रोमोटर या डवलपर, किसी नाम से जात, को प्राधिकार या शक्ति देने से संबंधित हो, पर स्टाम्प शुल्क देय होगा जैसा कि अचल संपत्ति के विक्रय के लिए हस्तांतरण पर उद्ग्रहणीय होता है। विलेखों के गलत वर्गीकरण के मामले पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में मुद्रित किए गए थे। लोक लेखा समिति ने अपनी 74वीं रिपोर्ट में इच्छा प्रकट की कि संयुक्त करारों के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट एक माह के भीतर प्रस्तुत की जाए तथा वसूली को प्रभावी बनाने के लिए विशेष अभियान आयोजित किए जाए किंतु विभाग से कोई कृत कार्रवाई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

चार एस.आरज/जे.एस.आर.<sup>13</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि अप्रैल तथा दिसंबर 2014 के मध्य छः संयुक्त करार पंजीकृत किए गए थे जिन पर ₹ 100 प्रति विलेख की दर से ₹ 600 का कुल स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहीत किया गया था। इन करारों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि भूमि के मालिकों ने डवलपरज को निर्मित शॉप-कम-फ्लैट्स और आवासीय घर बनाने के अधिकार के साथ भूमि का स्वामित्व लेने का प्राधिकार दे दिया और यह अक्टूबर 2013 की अधिसूचना के क्षेत्र के अंतर्गत था। कलैक्टर द्वारा नियत दरों के अनुसार, डवलपरज को हस्तांतरित कृषीय भूमि का मूल्य ₹ 146.98 करोड़ परिकलित किया गया जिस पर ₹ 7.35 करोड़ का स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहणीय था। इस प्रकार, विकसित करने के लिए करारों के रूप में इन दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 7.35 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, सभी एस.आरज/जे.एस.आर. ने बताया (अप्रैल तथा जुलाई 2017 के मध्य) कि ₹ 49,900 की राशि वसूल कर ली गई थी तथा मामले भारतीय

<sup>13</sup>

एस.आरज: गन्नौर, नूहं तथा सोनीपत; जे.एस.आर.: धारूहेड़ा।

स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय हेतु कलैक्टर के पास भेजे गए थे। आगे वसूली पर रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2017)।

मामला अप्रैल तथा जून 2016 में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा फरवरी 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

#### 4.5 पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने ₹ 229.52 करोड़ के वार्षिक औसत किराए के संबंध में ₹ 6.96 करोड़ की बजाय ₹ 3.52 लाख के स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण किया परिणामतः ₹ 6.92 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए का अनुच्छेद 35, औसत वार्षिक आरक्षित किराये की राशि के अतिरिक्त और पट्टे की अवधि के आधार राशि पर जुर्माने के मूल्य या प्रीमियम या अग्रिम के बराबर प्रतिफल के लिए निर्धारित दरों पर विलेख डीड के लिए स्टाम्प शुल्क के उद्ग्रहण का प्रावधान करता है।

छ: एस.आरज<sup>14</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि सात से 30 वर्षों तक श्रृंखलित अवधियों के लिए पट्टे के नौ दस्तावेज दिसंबर 2014 से फरवरी 2016 के मध्य पंजीकृत किए गए थे। पट्टाधारियों ने अनुबंध की समयावधि के दौरान देय ₹ 229.52 करोड़ राशि का वार्षिक औसत किराया प्राप्त किया। पंजीकरण प्राधिकारियों ने ₹ 6.96 करोड़ की बजाय ₹ 3.52 लाख का स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.92 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर एस.आर., पलवल ने जून 2017 में बताया कि मामलों का निर्णय कलैक्टर द्वारा किया गया था तथा वसूली हेतु आदेश दिए गए थे। शेष सभी एस.आरज ने बताया (अप्रैल तथा मई 2017 के मध्य) कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अधीन निर्णय के लिए कलैक्टर के पास भेजे जा चुके थे।

मामला जून तथा अक्टूबर 2016 के मध्य राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा अप्रैल 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

#### 4.6 अचल संपत्ति के कम मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

उन खसरा दरों, जिन पर आवासीय कालोनियों को विकसित करने के लिए ₹ 62.04 करोड़, जिस पर ₹ 3.82 करोड़ का स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहण था, के भूमि प्रयोग परिवर्तन लाइसेंस जारी किए गए थे, की बजाय कृषीय भूमि के लिए सामान्य खसरा दरों पर बिक्री के लिए ₹ 18.76 करोड़ जिस पर ₹ 1.05 करोड़ का स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहण किया गया, छ: विलेख पंजीकरण किए गए फलस्वरूप ₹ 2.77 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। आगे, 47 बिक्री विलेख पार्टियों के मध्य अनुबंध से कम प्रतिफल पर निष्पादित एवं पंजीकृत किए गए थे परिणामस्वरूप ₹ 42.07 लाख के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 निर्धारित करती है कि शुल्क या शुल्क की राशि जिसके साथ यह प्रभार्य है, वाले किसी दस्तावेज की प्रभार्यता प्रभावित करने वाले

<sup>14</sup>

छछरौली, नारायणगढ़, नारनौल, पलवल, राजौंद तथा शाहबाद।



प्रतिफल तथा अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियां इसमें पूर्णतया अथवा सत्यता से सामने रखी जानी चाहिए। आगे, आई.एस. अधिनियम की धारा 64 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति, जो सरकार को धोखा देने के उद्देश्य से दस्तावेज निष्पादित करता है जिसमें सभी तथ्य एवं परिस्थितियां जो कि इस दस्तावेज में सामने रखनी अपेक्षित हैं; पूर्णतया एवं सत्यतः नहीं रखी गई है तो वह जुर्माने से दंडनीय है जो ₹ 5,000 प्रति दस्तावेज तक बढ़ सकता है।

**4.6.1** वर्ष 2014-15 से 2015-16 के एस.आरज, जींद, कैथल तथा कालका के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि अक्टूबर 2013 से नवंबर 2015 के मध्य की अवधि के दौरान कृषीय भूमि के लिए सामान्य खसरा दरों पर विक्रय के लिए छः विलेख पंजीकृत किए गए। इन विलेखों में संपादित खसरा उन खसराज से मेल खाते थे जिन पर आवासीय कालोनियां विकसित करने के लिए जून 2013 से जनवरी 2014 तक भूमि प्रयोग का परिवर्तन (सी.एल.यू.) जारी किए गए थे जो प्रत्येक छः मामलों में हस्तांतरण विलेख के पंजीकरण की तिथि से पूर्व थे। इस प्रकार भूमि का मूल्य आवासीय दरों के आधार पर ₹ 62.04 करोड़ निर्धारित किया जाना देय था, जिस पर ₹ 3.82 करोड़ का स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहणीय था। परंतु ये विलेख कृषीय भूमि के लिए नियत दरों पर ₹ 18.76 करोड़ निर्धारित किया गया जिस पर ₹ 1.05 करोड़ स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहीत किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.77 करोड़ (₹ 3.82 करोड़ - ₹ 1.05 करोड़) के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, सभी एस.आरज ने अप्रैल 2017 में बताया कि मामले निर्णय के लिए आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत कलैक्टर को भेजे गए थे।

**4.6.2** 17 एस.आरज<sup>15</sup> में निष्पादित डीड लिखने वाले/अनुबंधों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 41.62 लाख का स्टाम्प शुल्क 47 हस्तांतरण विलेखों पर उद्ग्रहीत किया गया जो ₹ 9.90 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों के विक्रय के लिए (अक्टूबर 2013 तथा अगस्त 2016 के मध्य) पंजीकृत किए गए थे। संबंधित पार्टियों के मध्य जून 2013 तथा अगस्त 2016 के मध्य निष्पादित अनुबंधों के साथ इन विलेखों के क्रास सत्यापन ने दर्शाया कि कुल विक्रय मूल्य जैसा कि अनुबंधों में दर्शाया गया था ₹ 19.25 करोड़ था जिस पर ₹ 83.49 लाख का स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहणीय था। इस प्रकार हस्तांतरण विलेख उससे कम प्रतिफल पर निष्पादित और पंजीकृत किए गए जो पार्टियों के मध्य अनुबंध किए गए थे। हस्तांतरण विलेखों में अचल संपत्तियों के कम मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 41.87 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, एस.आरज, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र तथा रोहतक ने अप्रैल 2017 में बताया कि ₹ 48,125 की राशि वसूल कर ली गई थी तथा शेष सभी एस.आरज ने अक्टूबर 2016 तथा अप्रैल 2017 के मध्य बताया कि मामले निर्णय के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत कलैक्टर को भेजे गए थे।

मामला जनवरी 2016 तथा जनवरी 2017 के मध्य राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा मार्च 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

<sup>15</sup> बहादुरगढ़, बेरी, छछरौली, गन्नौर, गोहाना, गुरुग्राम, हिसार, जगाधरी, झज्जर, खानपुर कलां, मानेसर, पेहोवा, रोहतक, शाहबाद, सोहना, थानेसर तथा उकलाना।

#### 4.7 स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट

38 मामलों में किसानों, जिन्होंने आवासीय/वाणिज्यिक भूमि खरीदी, मुआवजे से अधिक राशि की कृषीय भूमि खरीदी तथा दो वर्षों की अनुमत्य अवधि के बाद कृषीय भूमि खरीदी, को स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप ₹ 1.85 करोड़ के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अनुदग्रहण/कम उदग्रहण हुआ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन जनवरी 2011 को जारी सरकारी आदेश के अनुसार सरकार उन किसानों द्वारा निष्पादित विक्रय विलेखों के संबंध में स्टाम्प शुल्क की छूट देती है, जिनकी भूमि हरियाणा सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत की जाती है और जो उनके द्वारा मुआवजा राशि की प्राप्ति के दो वर्षों के भीतर राज्य में कृषीय भूमि खरीदते हैं। छूट मुआवजा राशि तक सीमित होगी और नियमानुसार कृषीय भूमि की खरीद में शामिल अतिरिक्त राशि पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उदग्रहणीय होगी।

15 जे.एस.आरज/एस.आरज<sup>16</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 34 मामलों में किसानों ने, जिनकी भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत की गई थी, ₹ 32.09 करोड़ मूल्य की आवासीय/वाणिज्यिक भूमि खरीदी। तीन मामलों में, किसानों ने ₹ 37.29 लाख की राशि का मुआवजा प्राप्त किया तथा ₹ 1.19 करोड़ मूल्य की कृषीय भूमि खरीदी जो मुआवजा राशि से ₹ 81.27 लाख अधिक थी। एक अन्य मामले में कृषीय भूमि दो वर्षों बाद ₹ 4.03 करोड़ में खरीदी गई थी। तीन से सात प्रतिशत की दर पर ₹ 1.93 करोड़ राशि का स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस उदग्रहीत किया जाना था क्योंकि किसानों ने आवासीय/वाणिज्यिक भूमि खरीदी, मुआवजे से अधिक राशि की कृषीय भूमि खरीदी तथा दो वर्षों की अनुमत्य अवधि के बाद कृषीय भूमि खरीदी। तथापि, विभाग ने ₹ 1.93 करोड़ (स्टाम्प शुल्क: ₹ 1.90 करोड़ + पंजीकरण फीस: ₹ 0.03 करोड़) राशि के उदग्रहणीय स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस के विरुद्ध ₹ 7.64 लाख राशि (स्टाम्प शुल्क: ₹ 7.28 लाख + पंजीकरण फीस: ₹ 0.36 लाख) के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का उदग्रहण किया। इस स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप ₹ 1.85 करोड़ (स्टाम्प शुल्क: ₹ 1.82 करोड़ + पंजीकरण फीस: ₹ 0.03 करोड़) के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अनुदग्रहण/कम उदग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर सभी एस.आरज ने बताया (अप्रैल तथा जुलाई 2017 के मध्य) कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलैक्टर के पास भेजे गए थे।

मामला अप्रैल तथा नवंबर 2016 के मध्य राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा मार्च 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

<sup>16</sup> अंबाला, बराड़ा, बेरी, फारुखनगर, गुरुग्राम, जौंद, जगाधरी, झज्जर, जुलाना, मानेसर, मातनहेल, मुलाना, सोनीपत, सोहना तथा उचाना।

#### 4.8 'बिक्री पर हस्तांतरण' का निर्मुक्त विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने बिक्री पर हस्तांतरण का निर्मुक्त विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण किया और कलैक्टर दर के अनुसार ₹ 73.49 लाख की बजाय ₹ 5,220 के स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण किया परिणामस्वरूप ₹ 73.44 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए में अनुच्छेद 55 के बारे में दिसंबर 2005 में हरियाणा सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार, यदि पैतृक संपत्ति का दस्तावेज बहिन या भाई (परित्यक्त के माता-पिता के बच्चे) या परित्यक्त के पुत्र या पुत्री या पिता या माता या पति/पत्नी या पोता-पोती या भतीजा या भतीजी या सहभागी<sup>17</sup> के पक्ष में निष्पादित होता है, स्टाम्प शुल्क ₹ 15 की दर पर उद्ग्रहीत किया जाएगा और किसी अन्य मामले में वही शुल्क अचल संपत्ति की बिक्री के संबंध में हस्तांतरण के रूप में हिस्सा, ब्याज, त्यागे गए दावे या भाग के बाजार मूल्य के बराबर राशि पर उद्ग्रहीत किया जाएगा।

25 एस.आरज/जे.एस.आरज<sup>18</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि अप्रैल 2013 और मार्च 2016 के मध्य 48 निर्मुक्त विलेख जो कि सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार अनुमत हैं, से अन्य व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित किए गए। पंजीकरण प्राधिकारियों ने केवल ₹ 5,220 स्टाम्प शुल्क निर्मुक्त विलेखों के रूप में उद्ग्रहीत किए जबकि ये विलेख कलैक्टर दर पर ₹ 13.91 करोड़ की राशि के विक्रय पर हस्तांतरण के तौर पर तीन से सात प्रतिशत की दर पर ₹ 73.49 लाख के स्टाम्प शुल्क के लिए उद्ग्रह्य थी। 'विक्रय पर हस्तांतरण' के निर्मुक्त विलेखों के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 73.44 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर सभी एस.आरज ने अप्रैल तथा मई 2017 में बताया कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलैक्टर के पास भेजे गए थे।

मामला जनवरी तथा अक्टूबर 2016 के मध्य राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा मार्च 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

#### 4.9 स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट

खून के रिश्तों से अन्य व्यक्तियों के पक्ष में हस्तांतरण विलेखों के निष्पादन के लिए प्रावधान के उल्लंघन में स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप राज्य राजकोष को ₹ 66.61 लाख के राजस्व की हानि हुई।

16 जून 2014 के सरकारी आदेश के अनुसार सरकार किसी दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को छूट दे सकती है यदि यह मालिक द्वारा उसके जीवनकाल में किसी भी खून के

<sup>17</sup> एक व्यक्ति जिसे हिंदू आविभाजित परिवार से संपत्ति विरासत में मिली है।

<sup>18</sup> एस.आरज: अंबाला शहर, बराड़ा, बावल, बिलासपुर, घरौंड़ा, गुरुग्राम, कनीना, करनाल, कोसली, मतलौडा, मानेसर, मनेठी, नांगल चौधरी, नारनौल, निगदू, नीलोखेड़ी, पलवल, पेहोवा, सद्दौरा, सांपला, सोहना तथा थानेसर।

जे.एस.आरज: दहिना, नाहर तथा निसिंग।

रिश्तों जैसे माता-पिता, बच्चे, पोता-पोती, भाईयों, बहनों और पति/पत्नी के मध्य परिवार के भीतर अचल संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित हो।

वर्ष 2015-16 के लिए 14 एस.आरज/जे.एस.आरज<sup>19</sup> में हस्तांतरण विलेखों के पंजीकृत दस्तावेजों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि हस्तांतरण विलेखों के 51 दस्तावेज जो सरकार के उपर्युक्त आदेशों में अनुमत थे से अन्य व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित किए गए थे। स्टाम्प शुल्क की इस अनियमित छूट से ₹ 66.61 लाख तक के राजस्व की हानि हुई।

यह इंगित किए जाने पर सभी एस.आरज ने अप्रैल 2017 में बताया कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलैक्टर के पास भेजे गए थे।

मामला जनवरी 2016 तथा जनवरी 2017 के मध्य राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा अप्रैल 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

#### 4.10 प्राइम खसरा वाली भूमि पर नॉन प्राइम दरों के लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने प्राइम खसरा भूमि का गलत ढंग से कृषीय भूमि पर नियत दर से निर्धारण किया परिणामस्वरूप ₹ 54.31 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

नवंबर 2000 में जारी हरियाणा सरकार के अनुदेशों के अनुसार मूल्यांकन समिति को प्राइम भूमि अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों पर स्थित भूमि तथा विकसित कॉलोनियों/वार्डों/सैक्टरों के लिए पृथक दरें तय करनी होती हैं और स्टाम्प शुल्क के अपवंचन को रोकने के लिए कलैक्टर की दर सूची में खसरा नंबर लिखने होते हैं। आगे, हरियाणा राज्य को यथा लागू आई.एस. अधिनियम की धारा 27 प्रावधान करती है कि प्रभार्य शुल्क या शुल्क की राशि वाले किसी दस्तावेज की प्रभार्यता प्रभावित करने वाले प्रतिफल तथा अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियां इसमें पूर्णतया अथवा सत्यतः सामने रखी जानी चाहिए।

13 एस.आरज/जे.एस.आरज<sup>20</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 41 हस्तांतरण विलेख अप्रैल 2013 और मार्च 2016 के मध्य की अवधि के दौरान कृषीय भूमि के लिए नियत सामान्य खसरा दरों पर विक्रय के लिए पंजीकृत किए गए। तथापि, इन विलेखों में संपादित खसरा उच्चतर भूमि दरों वाले प्राइम खसरा के साथ मेल खाते थे। इस प्रकार, भूमि का मूल्य कलैक्टर द्वारा प्राइम भूमि के लिए नियत दरों पर ₹ 26.53 करोड़ निर्धारित किया जाना देय था जिस पर ₹ 1.27 करोड़ का स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहणीय था उसकी बजाय कृषीय भूमि के लिए नियत निर्धारित दरों पर ₹ 16.34 करोड़ जिस पर ₹ 72.77 लाख का स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहीत किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 54.31 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

<sup>19</sup> असंध, बालसमंद, बपोली, गुहला, गुरुग्राम, झज्जर, मनेठी, मातनहेल, मेहम, नाहद, पंडरी, राजौंद, सोहना तथा उकलाना।

<sup>20</sup> इंद्री, जौंद, कालका, मातनहेल, मेहम, नरवाना, नीलोखेड़ी, पीलोखेड़ी, सफीदों, साल्हावास, सांपला, शहजादपुर तथा थानेसर।

यह इंगित किए जाने पर एस.आर., सालावास ने जुलाई 2017 में बताया कि ₹ 8,359 की राशि वसूल कर ली गई थी तथा 11 एस.आरज<sup>21</sup> ने बताया (अप्रैल तथा जुलाई 2017 के मध्य) कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलैक्टर के पास भेजे गए थे। एस.आर. नरवाना के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2017)।

मामला जनवरी तथा नवंबर 2016 के मध्य राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा मार्च 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

---

<sup>21</sup> इंद्री, जींद, कालका, मातनहेल, मेहम, नीलोखेड़ी, पीलोखेड़ी, सफीदों, सांपला, शहजादपुर तथा थानेसर।

## अध्याय-5: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

### 5.1 कर प्रबंध

#### 5.1.1 वाहनों पर कर

मोटर वाहनों का पंजीकरण, परमिटों का निर्गम, ड्राईविंग/कंडक्टर लाईसैंसों का निर्गम, टोकन टैक्स, परमिट फीस तथा लाईसैंस फीस के उद्ग्रहण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एम.वी. अधिनियम), केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (सी.एम.वी.आर.), हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993, पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 (पी.एम.वी.टी. अधिनियम), हरियाणा राज्य में यथा लागू और पंजाब मोटर वाहन कराधान नियम, 1925 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होते हैं। अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग के प्रशासनिक मुखिया हैं तथा परिवहन आयुक्त, जो विभाग के कार्यचालन पर सामान्य अधीक्षण करते हैं, द्वारा सहायता प्राप्त हैं। गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग उप-मंडल अधिकारियों (सिविल) द्वारा किया जा रहा है जबकि माल वाहनों सहित परिवहन वाहनों के संबंध में आर.एल.ए. की शक्तियों का प्रयोग सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.एज) द्वारा किया जा रहा है।

#### 5.1.2 यात्री एवं माल कर

यात्री एवं माल कर (पी.जी.टी.) का उद्ग्रहण एवं संग्रहण, हरियाणा राज्य में यथा लागू, पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952 (पी.पी.जी.टी. अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग प्रशासनिक अध्यक्ष हैं। विभाग का समग्र प्रभार आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.), हरियाणा के पास निहित है। पी.जी.टी. के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित कार्य फील्ड में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (डी.ई.टी.सीज) के अधीन सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओज) द्वारा किया जाता है।

### 5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2016-17 के दौरान टोकन टैक्स, परमिट फीस, फिटनेस/नवीकरण फीस, यात्री एवं माल पर कर तथा पेनल्टी से संबंधित 220 इकाइयों में से 91 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 33,030 मामलों में ₹ 7.76 करोड़ से आवेष्टित अनियमितताएं प्रकट की जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत नीचे वर्णित हैं:

तालिका 5.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र.सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	परमिट फीस की अवसूली/कम वसूली	1,227	1.95
2.	पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के नवीकरण के कारण फिटनेस/नवीकरण फीस की अवसूली	25,125	0.49
3.	ओवरलोडिड वाहनों से जुर्माने की अवसूली	130	0.26

क्र.सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
4.	निम्नलिखित की अवसूली/कम वसूली <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्राइवेट वाहनों से टोकन टैक्स</li> <li>• यात्री कर</li> <li>• माल कर</li> </ul>	4,702	2.09
		588	1.13
		969	1.03
5.	विविध अनियमितताएं	289	0.81
<b>योग</b>		<b>33,030</b>	<b>7.76</b>

वर्ष के दौरान, विभाग ने 1,281 मामलों में ₹ 92.35 लाख के अवनिर्धारण तथा कमियां स्वीकार की, जिनमें से ₹ 90.67 लाख से आवेष्टित 1,242 मामले वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 87 मामलों में ₹ 4.60 लाख वसूल किए जिनमें से 48 मामलों में ₹ 2.92 लाख वर्ष 2016-17 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे।

₹ 1.27 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामले निम्नलिखित अनुच्छेदों में विचाराधीन हैं:

### परिवहन विभाग

#### 5.3 माल कर की अवसूली/कम वसूली

माल ढोने के लिए प्रयुक्त 619 सार्वजनिक अथवा निजी वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान माल कर जमा नहीं करवाया/कम जमा करवाया, परिणामस्वरूप ₹ 47.25 लाख के माल कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 27.88 लाख का ब्याज भी उद्गाह्य था।

मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार 25 मार्च 2011 से लोडिंग क्षमता के आधार पर निर्धारित दरों<sup>1</sup> पर राज्य में अथवा राज्य के अन्दर से जाने वाले सार्वजनिक अथवा निजी वाहनों पर एकमुश्त में माल कर उद्गाह्य है। कर, समान त्रैमासिक किशतों में, तिमाही जिससे भुगतान संबंधित हो, के आरंभ से 30 दिनों के अंदर भुगतान योग्य है। पी.पी.जी.टी. नियम, 1952 का नियम 22 प्रावधान करता है कि यदि अधिनियम अथवा इन नियमों के अंतर्गत किसी मालिक द्वारा कोई राशि देय है तो कर-निर्धारण प्राधिकारी मांग नोटिस जारी करेगा तथा नोटिस जारी करने की तारीख से कम से कम 15 दिन बाद की तारीख नियत करेगा जब तक मालिक ऐसे भुगतान के प्रमाण में प्राप्त किया गया चालान प्रस्तुत कर सकता है। आगे, पी.पी.जी.टी. अधिनियम की धारा 14 (बी) के अनुसार यदि निर्धारित समय के भीतर किसी कर अथवा पेनल्टी का भुगतान नहीं किया जाता है तो वाहन का मालिक कर का भुगतान न की गई राशि पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

<sup>1</sup> ₹ 4,000 प्रतिवर्ष (10 टन से अधिक नहीं), ₹ 5,600 प्रतिवर्ष (10 टन से अधिक लेकिन 17 टन से अधिक नहीं) और ₹ 12,000 प्रतिवर्ष (17 टन से अधिक)। ये दरें सकल वाहन भार के आधार पर 09 जुलाई 2015 को संशोधित की गई थी, छूट प्राप्त (1.2 टन तक): ₹ 6,000 प्रतिवर्ष (1.2 टन से अधिक लेकिन छ: टन से अधिक नहीं); ₹ 7,200 प्रतिवर्ष (छ: टन से अधिक लेकिन 16.2 टन से अधिक नहीं); ₹ 12,000 प्रतिवर्ष (16.2 टन से अधिक लेकिन 25 टन से अधिक नहीं) तथा ₹ 18,000 प्रतिवर्ष (25 टन से अधिक)।

11 डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.)<sup>2</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि माल ढोने के लिए प्रयुक्त 619 सार्वजनिक अथवा निजी वाहनों के मालिकों ने अप्रैल 2014 तथा मार्च 2016 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए ₹ 47.25 लाख का माल कर जमा नहीं करवाया। विभाग द्वारा कोई मांग नोटिस जारी नहीं किए गए थे, न ही देयों की वसूली की मॉनीटरिंग हेतु कोई प्रणाली थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 47.25 लाख के माल कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त पी.पी.जी.टी. अधिनियम के अनुसार ₹ 27.88 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर छ: डी.ई.टी.सीज (पी.जी.टी.)<sup>3</sup> ने अप्रैल तथा मई 2017 में बताया कि ब्याज सहित ₹ 2.77 लाख का माल कर वसूल किया गया था तथा ₹ 39.41 लाख की बकाया राशि को वसूल करने के लिए शेष वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे। वसूली पर अगली प्रगित रिपोर्ट तथा शेष पांच डी.ई.टी.सीज (पी.जी.टी.) से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2017)।

मामला अप्रैल तथा दिसंबर 2016 के मध्य परिवहन विभाग तथा मई 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

#### 5.4 टोकन टैक्स की अवसूली/कम वसूली

**742 माल ढोने वाले वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2015-16 के दौरान टोकन टैक्स या तो जमा नहीं करवाया या कम जमा करवाया, परिणामस्वरूप ₹ 17.16 लाख के टोकन टैक्स की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 34.32 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।**

हरियाणा राज्य में यथा लागू पी.एम.वी.टी. अधिनियम की धारा 3 (1) के अंतर्गत, प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन से आरंभ होने वाली तिमाही अवधियों के लिए समान किस्तों में प्रत्येक मोटर वाहन पर कर उद्ग्राह्य होगा। कर उद्ग्रहण के प्रयोजन हेतु ऐसी तिमाही अवधियों में किसी खंडित अवधि को संपूर्ण तिमाही के रूप में माना जाएगा। जनवरी 2006 में जारी हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार टोकन टैक्स सकल वाहन भार<sup>4</sup> के आधार पर समान तिमाही अथवा वार्षिक किस्तों में अग्रिम में उद्ग्राह्य होगा। प्रावधानों के अनुपालन में चूक के प्रकरण में प्रत्येक तिमाही के अगले माह के आरंभ से देय टोकन टैक्स के एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर पर पेनल्टी प्रभारित की जाएगी। तथापि, पेनल्टी की अधिकतम राशि, देय कर की दोगुनी राशि से अधिक नहीं होगी।

पांच सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.ए.)<sup>5</sup> के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि माल ढोने के लिए प्रयुक्त 742 वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2015-16

<sup>2</sup> भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम, हिसार, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी तथा रोहतक।

<sup>3</sup> फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), करनाल, पानीपत, रेवाड़ी तथा रोहतक।

<sup>4</sup> ₹ 300 प्रतिवर्ष (1.2 टन से अधिक नहीं), ₹ 1,200 प्रतिवर्ष (1.2 टन से अधिक लेकिन छ: टन से अधिक नहीं); ₹ 2,400 प्रतिवर्ष (छ: टन से अधिक लेकिन 16.2 टन से अधिक नहीं), ₹ 3,500 प्रतिवर्ष (16.2 टन से अधिक लेकिन 25 टन से अधिक नहीं) तथा ₹ 4,500 प्रतिवर्ष (25 टन से अधिक)।

<sup>5</sup> आर.टी.एज: अंबाला, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, रोहतक तथा सिरसा।



के दौरान टोकन टैक्स या तो जमा नहीं करवाया या कम जमा करवाया। टोकन टैक्स वसूल करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.16 लाख की राशि के टोकन टैक्स की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त अधिनियम के अनुसार ₹ 34.32 लाख की पेनल्टी भी उद्गाह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर सभी आर.टी.एज ने बताया (अप्रैल तथा अगस्त 2017 के मध्य) कि ₹ 8.49 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा संबंधित वाहन मालिकों से ₹ 42.99 लाख की बकाया राशि वसूल करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे।

मामला सितंबर 2016 तथा जनवरी 2017 के मध्य परिवहन विभाग तथा मई 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।

## अध्याय-6: अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

### 6.1 कर प्रबंध

इस अध्याय में मनोरंजन शुल्क, विद्युत (बिजली पर कर एवं शुल्क), खदान एवं भू-विज्ञान तथा भू-राजस्व से प्राप्तियां शामिल हैं। इन करों का प्रबंध एवं उद्ग्रहण प्रत्येक प्रशासनिक विभाग के लिए अलग से निर्मित संबंधित अधिनियमों/नियमों द्वारा शासित किया जाता है।

### 6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016-17 में खदान एवं भू-विज्ञान (32 इकाइयां), विद्युत विभाग (बिजली पर कर एवं शुल्क) (04 इकाइयां), भू-राजस्व (119 इकाइयां) तथा आबकारी एवं कराधान विभाग (मनोरंजन शुल्क) (23 इकाइयां) से संबंधित 178 इकाइयों में से 50 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 528 मामलों में ₹ 259.38 करोड़ से आवेष्टित कर प्राप्तियों तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली प्रकट की, जो नीचे तालिका 6.1 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 6.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	संविदा धन तथा ब्याज की अवसूली	17	173.80
2	रायल्टी तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली	149	0.61
3	खनन संविदाओं के पट्टा विलेखों पर स्टॉम्प शुल्क की अवसूली/कम वसूली	12	49.61
4	पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि की अवसूली/कम वसूली	05	11.99
5	प्रतिभूति जब्त न करना	02	23.02
6	नकल एवं म्यूटेशन फीस की अवसूली/कम वसूली	323	0.34
7	विविध अनियमितताएं	20	0.01
योग		528	259.38

वर्ष के दौरान, विभाग ने 111 मामलों में ₹ 76.76 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की, जिनमें 108 मामलों में आवेष्टित ₹ 76.75 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 17 मामलों में ₹ 40.09 लाख वसूल किए, जिनमें से 14 मामलों में आवेष्टित ₹ 39.54 लाख वर्ष 2016-17 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

₹ 36.27 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

6.3 संविदा धन तथा ब्याज की अवसूली

समय पर कार्रवाई करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 10.37 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 35.90 करोड़ के संविदा धन की वसूली नहीं हुई।

हरियाणा राज्य में खनन संविदाओं की मंजूरी खुली नीलामी नीति के अंतर्गत निदेशक खदान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ के कार्यालय द्वारा दी जा रही है तथा इसके संबंधित खनन अधिकारी (एम.ओ.)/सहायक खनन अभियंता (ए.एम.ई.) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। खदान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा निर्धारित मॉडल अनुबंध के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार संविदा की अवधि सक्षम अधिकारी द्वारा पर्यावरणीय क्लियरेंस (ई.सी.) की मंजूरी की तारीख या उच्चतर बोली की स्वीकृति/लैटर ऑफ इंटेन्ट (एल.ओ.आई.) के जारी करने से 12 माह की अवधि की समाप्ति की तारीख, जो भी पहले हो, से होगी। ठेकेदार, संविदा की अवस्थिति के दौरान संविदा धन की किश्तों का सरकार को अग्रिम में भुगतान करेगा। आगे, अनुबंध प्रावधान करता है कि देय तारीख (तारीखों) पर संविदा धन की किश्तों के भुगतान में चूक के मामले में 30 दिनों तथा 60 दिनों तक विलंब हेतु चूक की राशि पर क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभार्य होगा। 60 दिनों से अधिक विलंब ठेका अनुबंध के निरस्तीकरण हेतु कार्रवाई आमंत्रित करने के लिए ठेका-भंग के समान हो सकता है तथा चूक की संपूर्ण अवधि हेतु 21 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित राशि वसूलनीय होगी।

सहायक खनन अभियंता (ए.एम.ई.), फरीदाबाद के कार्यालय के वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के अभिलेखों की जनवरी 2017 में संवीक्षा ने प्रकट किया कि रेत के खनन हेतु खदानों के खनन अधिकारों की मंजूरी के लिए दिसंबर 2013 में आठ वर्षों की अवधि हेतु एक नीलामी आयोजित की गई थी। तदनुसार, ₹ 29.50 करोड़ के वार्षिक संविदा धन का उच्चतम निवेद 27 दिसंबर 2013 को स्वीकार किया गया था। एल.ओ.आई., 4 जनवरी 2014 को जारी किया गया था। संविदा की शर्तों के अनुसार, संविदा धन का भुगतान जनवरी 2015 से किया जाना था। तथापि, ठेकेदार ने सितंबर 2015 से जनवरी 2016 तक ₹ 7.37 लाख की प्रतिभूति तथा ₹ 11.26 करोड़ की मासिक किश्तों का आंशिक भुगतान किया। ठेकेदार ने जनवरी से अगस्त 2015 तथा फरवरी से मार्च 2016 तक की अवधि हेतु ₹ 25.53 करोड़ के संविदा धन की मासिक किश्तों का भुगतान नहीं किया। संविदा की शर्तों के अनुसार, संविदा धन जनवरी 2015 से देय था जबकि विभाग ने देयों की वसूली के लिए पहला नोटिस केवल दिसंबर 2015 में तथा उसके बाद अप्रैल 2017 तक कई नोटिस जारी किए।

आगे, विभाग ने 02 मार्च 2016 को संविदा के खनन परिचालनों को निलंबित कर दिया किंतु यह आदेश ठेकेदार से निरस्तीकरण की शर्तों को पूरा करवाए बिना 08 अप्रैल 2016 को

निरस्त किया गया था। ठेकेदार द्वारा (निरस्तीकरण हेतु दिए गए आश्वासन के अनुसार) मई 2016 में देयों के भुगतान की ओर दिए गए चैक भी बाउंस हो गए। तथापि, संविदा, जब यह अंतिम रूप से विभाग द्वारा निरस्त की गई थी, मई 2017 तक परिचालन में रही। इस प्रकार, राशि न तो वसूल की गई थी और न ही समय पर संविदा निरस्त की गई थी। इसके कारण बकाया देयों की बड़ी राशि संचित हो गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.90 करोड़ (₹ 10.37 करोड़ के ब्याज<sup>1</sup> सहित) के संविदा धन की वसूली नहीं हुई।

मामला जनवरी 2017, फरवरी 2017 तथा अप्रैल 2017 में खदान एवं भू-विज्ञान विभाग तथा जून 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि खनन संविदा अब (मई 2017) रद्द कर दी गई है तथा भू-राजस्व के बकायों के रूप में देय राशि की वसूली प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है (जून 2017)। यदि विभाग ने वसूली, तथा/या निरस्तीकरण के लिए संविदा के प्रावधानों के अनुसार समय पर कार्रवाई आरंभ की होती तो इतनी बड़ी राशि संचित नहीं होती।

#### 6.4 रायल्टी तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली

चार जिलों के संबंध में 67 ईट भट्ठा मालिकों से ₹ 37.22 लाख की रायल्टी तथा ब्याज की राशि की वसूली नहीं की गई थी जिन्हें अप्रैल 2014 तथा मार्च 2017 के मध्य परमिट जारी किए गए थे।

ईट भट्ठा मालिक (बी.के.ओज) प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल तक अग्रिम में निर्धारित दर पर रायल्टी की वार्षिक राशि का भुगतान करेंगे। यदि भुगतान सात दिनों के पश्चात किंतु देय तारीख के 30 दिनों तक, 30 दिनों के पश्चात किंतु देय तारीख के 60 दिनों के भीतर तथा देय तारीख के 60 दिनों के बाद किया जाता है तो चूक की अवधि हेतु क्रमशः 15, 18 तथा 21 प्रतिशत (चूक की संपूर्ण अवधि हेतु) प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभार्य है। रायल्टी के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिये प्रत्येक खनन कार्यालय में बी.के.ओज रजिस्टर का रख-रखाव किया जाता है। ऐसे बी.के.ओज, जो रायल्टी का भुगतान नहीं करते, के परमिट एक माह का नोटिस देकर विभाग द्वारा निरस्त किए जाने अपेक्षित हैं और परमिट धारकों से रायल्टी और उस पर ब्याज के कारण कोई राशि देय है, वह भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय है। सहायक खनन अभियंता (ए.एम.ईज)/खनन अधिकारी (एम.ओज) बकाया देयों की वसूली की मॉनीटरिंग के लिए उत्तरदायी हैं।

चार खनन अधिकारियों (एम.ओज)<sup>2</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 1,003 बी.के.ओज में से 67 बी.के.ओज ने अप्रैल 2014 तथा मार्च 2017 के मध्य रायल्टी की देय राशि का भुगतान नहीं किया। यद्यपि, मार्च 2017 तक 24 से 36 माह के मध्य


<sup>1</sup> मार्च 2016 तक देय संविदा धन तथा मार्च 2017 तक परिकलित ब्याज।

<sup>2</sup> भिवानी, फरीदाबाद, नारनौल तथा सोनीपत।

श्रृंखलित अवधि समाप्त हो चुकी थी, फिर भी ₹ 25.49 लाख की रायल्टी का न तो बी.के.ओज द्वारा भुगतान किया गया था और न ही विभाग द्वारा इसे वसूल करने के लिए या परमिटों को रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई की गई थी। विभाग की ओर से कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 25.49 लाख की रायल्टी की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 11.73 लाख का ब्याज भी नियमों के अनुसार उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर सभी एम.ओज ने बताया (नवंबर 2016 तथा अप्रैल 2017) कि ₹ 1.38 लाख की रायल्टी तथा ब्याज की वसूली की जा चुकी है तथा ₹ 35.84 लाख की बकाया राशि वसूल करने के लिए संबंधित बी.के.ओज को नोटिस जारी किए गए थे।

मामला नवंबर 2016 तथा अप्रैल 2017 के मध्य खदान एवं भू-विज्ञान विभाग तथा मई 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2017)।




(महुआ पाल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

चण्डीगढ़

दिनांक: 17 जनवरी 2018

प्रतिहस्ताक्षरित



(राजीव महर्षि)

नई दिल्ली

दिनांक: 22 जनवरी 2018

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

## अनुलग्नक I

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.7.4)

अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट हुए तथा जिन पर चर्चा लम्बित रही/30 सितंबर 2017 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए

कर का नाम		2012-13	2014-15	2015-16	योग
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	4	11	12	27
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	-	11	12	23
मोटर वाहनों पर कर	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	1	2	2	5
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	-	2	2	4
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	8	7	9	24
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	1	7	9	17
राज्य उत्पाद शुल्क/ पी.जी.टी	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	4	3	1	8
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	-	3	1	4
अन्य	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	1	1	1	3
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	1	1	1	3
योग	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	18	24	25	67
	ले.प.प्र. में सम्मिलित अनुच्छेदों की कृ.का.टि. प्राप्त नहीं हुई	02	24	25	51

अनुलग्नक II

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.7.4)

30 सितंबर 2017 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/सेक्टर) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण

क्र. सं.	लोक लेखा समिति रिपोर्ट	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	30.09.2017 को लोक लेखा समिति की 1979-80 से 2013-14 तक की रिपोर्टों के बकाया अनुच्छेदों की कुल संख्या
1	22वीं	1979-80	3
2	23वीं	1980-81	4
3	25वीं	1981-82	4
4	26वीं	1982-83	3
5	28वीं	1983-84	2
6	29वीं	1984-85	7
7	32वीं	1985-86	4
8	34वीं	1986-87	11
9	36वीं	1987-88	6
10	38वीं	1988-89	10
11	40वीं	1989-90	21
12	42वीं	1990-91, 91-92, 92-93	26
13	44वीं	1990- 91, 91-92, 92-93	39
14	46वीं	1993-94	9
15	48वीं	1993-94,1994-95	10
16	50वीं	1993-94, 1994-95, 1995-96	40
17	52वीं	1996-97	30
18	54वीं	1997-98	43
19	58वीं	1998-99 तथा 1999-2000	64
20	60वीं	2000-01	38
21	62वीं	2001-02	42
22	63वीं	2002-03	46
23	64वीं	2003-04	52
24	65वीं	2004-05	50
25	67वीं	2005-06	48
26	68वीं	2006-07 तथा 2007-08	100
27	70वीं	2008-09	56
28	71वीं	2009-10	51
29	72वीं	2010-11	59
30	73वीं	2011-12	35
31	74वीं	2013-14	50
<b>योग</b>			<b>963</b>

## अनुलग्नक III

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.7.4)

30 सितंबर 2017 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/ सेक्टर) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	1979-80 से 2013-14 तक की अवधि की बकाया कुल सिफारिशें
1	आबकारी एवं कराधान	449
2	राजस्व	207
3	खदान एवं भू-विज्ञान	50
4	कृषि	41
5	सिंचाई	16
6	चीफ इलेक्ट्रीकल इंस्पेक्टर (विद्युत)	18
7	जन-स्वास्थ्य	6
8	लोक निर्माण विभाग (भ. एवं स.)	5
9	पशुपालन	7
10	परिवहन	85
11	वित्त (लॉटरीज)	15
12	हरियाणा राज्य लॉटरीज	2
13	सहकारिता	20
14	वन	11
15	गृह	16
16	शहरी विकास	2
17	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	4
18	उद्योग	5
19	सामान्य	1
20	नगर एवं ग्राम आयोजना	3
	<b>योग</b>	<b>963</b>



## संकेताक्षरों की शब्दावली

ए.ए.	कर-निर्धारण प्राधिकारी
ए.ई.टी.ओ.	सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी
ए.एम.ई.	सहायक खनन अभियंता
कृ.का.टि.	कृत कार्रवाई टिप्पणी
बी.ई.	बजट अनुमान
बी.आई.एफ.आर.	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बी.के.ओ	ईट भट्ठा मालिक
सी.एल.	देशी शराब
सी.एल.यू.	भूमि प्रयोग का परिवर्तन
सी.एम.वी.आर.	केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989
सी.एस.टी. एक्ट	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956
डी.सी.	उपायुक्त
डी.ई.पी.बी.	शुल्क एवं हकदारी पासबुक
डी.ई.टी.सी.	उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त
द.ह.बि.वि.नि.लि.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
ई.सी.	शक्तिप्राप्त समिति/पर्यावरण क्लीयरेंस
ई.टी.सी.	आबकारी एवं कराधान आयुक्त
ई.टी.ओ.	आबकारी एवं कराधान अधिकारी
जी.एस.एम.	ग्राम प्रति वर्ग मीटर
भा.स.	भारत सरकार
जी.टी.ओ.	ग्रास टर्नओवर
एच.डी.पी.ई.	हाई डेंस्टी पोलिथिलिन पाइपस
एच.एल.एल. नियम	हरियाणा मद्य लाईसेंस नियम, 1970
एच.एस.ए.एम.बी.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड
एच.एस.आर.बी.सी.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल निगम
एच.वी.ए.टी. एक्ट	हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003
आई.जी.आर.	पंजीकरण महानिरीक्षक
आई.एम.एफ.एल.	भारत में निर्मित विदेशी शराब
आई.ओ.सी.एल.	भारतीय तेल निगम लिमिटेड
आई.आर. एक्ट	पंजीकरण अधिनियम, 1908
आई.आर.	निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.)

आई.एस. एक्ट	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
आई.टी.सी.	इनपुट टैक्स क्रेडिट
जे.ई.टी.सी.	संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त
जे.एस.आर.	संयुक्त उप-रजिस्ट्रार
एल.ओ.आई.	लैटर ऑफ इंटेन्ट
एम.सी.	नगर निगम
एम.आई.एस.	प्रबंध सूचना प्रणाली
एम.ओ.	खनन अधिकारी
एम.वी. एक्ट	मोटर वाहन अधिनियम, 1988
नि.ले.प.	निष्पादन लेखापरीक्षा
लो.ले.स.	लोक लेखा समिति
प्र.म.ले.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
पी.जी.टी.	यात्री एवं माल कर
पी.एल.आर एक्ट	पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887
पी.एम.वी.टी. एक्ट	पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924
पी.पी.जी.टी. एक्ट	पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952
आर.सी.	पंजीकरण प्रमाण-पत्र
आर.एफ.	पंजीकरण फीस
आर.एल.ए.	पंजीकरण एवं लाईसेंसिंग प्राधिकारी
आर.एम.सी.	रेडी मिक्स कंक्रीट
आर.टी.ए.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी
एस.डी.	स्टाम्प शुल्क
एस.ई.डी.	राज्य उत्पाद शुल्क
एस.ई.जैड.	विशेष आर्थिक जोन
एस.आर.	उप-रजिस्ट्रार
टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.	कर सूचना विनिमय प्रणाली
यू.टी.	संघ राज्य क्षेत्र
उ.ह.बि.वि.नि.लि.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
वी.ए.टी.	मूल्य वर्धित कर